खण्ड-448, अंक-10
शनिवार, 02 फाल्गुन, शक संवत् 1925
(21 फरवरी, 2004 ई0)

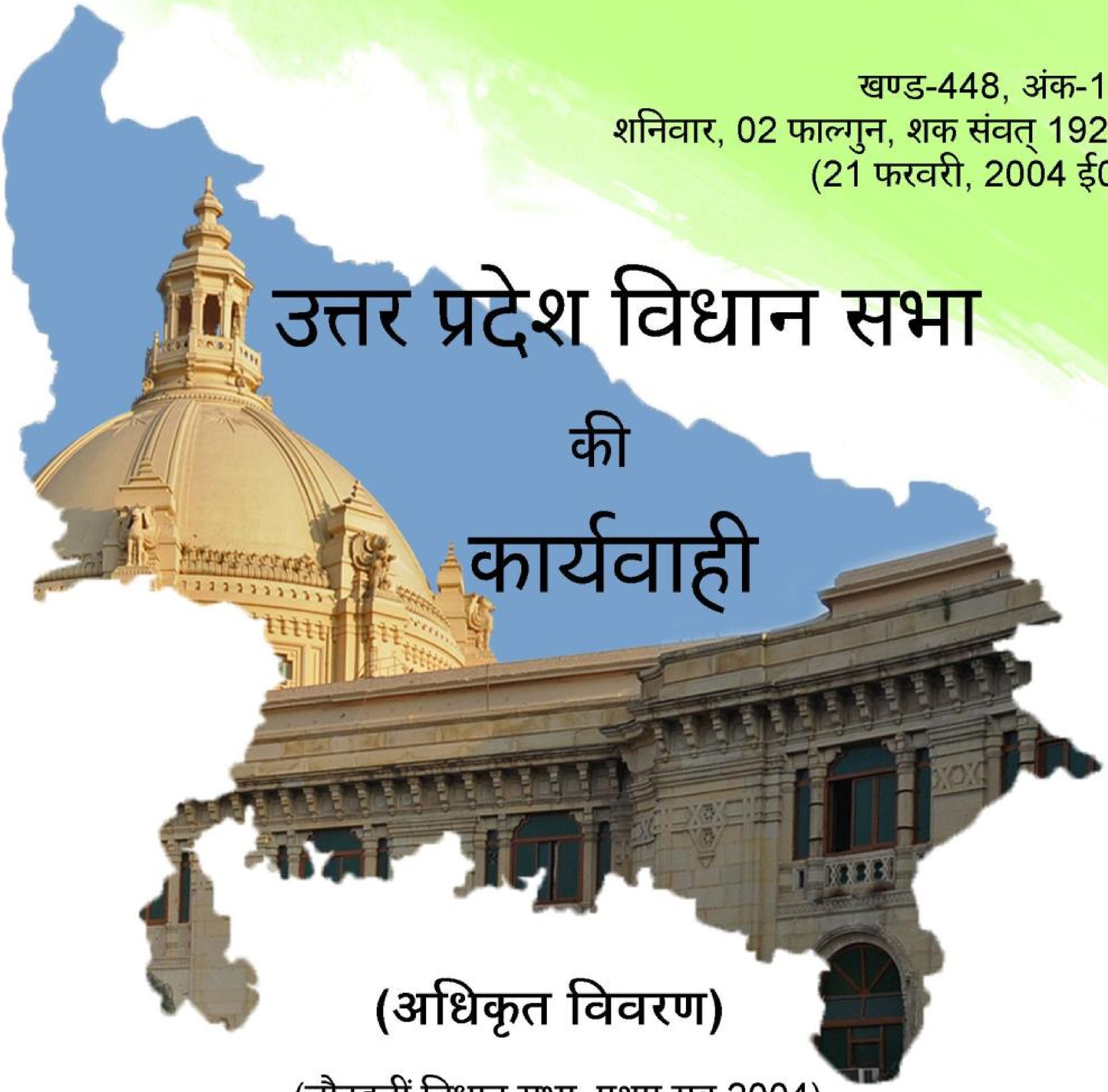

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2004)

खण्ड 448 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2004

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ङ
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, डा० अमर सिंह के निधन पर शोकोद्गार ...	1
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	1
जनपद गाजीपुर में जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत मरदह-कासमाबाद मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1–2
जनपद एवं तहसील उन्नाव के ग्राम तौरा में लम्बे समय से चल रही चकबन्दी प्रक्रिया पर रोक लगाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	2
जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनियां में कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	2
जनपद लखीमपुर में कतिपय खराब सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	2–3
जनपद अम्बेडकर नगर/फैजाबाद में टाण्डा-बसखारी-जलालपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	3
जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा घिनहापुर में स्टेडियम निर्माण कार्य आरम्भ कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	3
जनपद लखीमपुर खीरी में पैला खीरी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	4
जनपद गाजीपुर में मानपुर ग्राम के पास मगई नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	4
जनपद हरदोई में मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत कल्याणी नदी पर पुल निर्माण तथा शेष खड़ण्जा का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	4
जनपद आजमगढ़ के तहसील लालगंज में दयाराम पुत्र पुनवासी के चक नं० 60 की पूर्वी लाइन मिटवा कर घपला करने की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	4–5
जनपद जौनपुर की तहसील केराकत के ग्राम सोसापट्टी में हुए अग्निकाण्ड में 11 भैंसों की मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कार्यवाही न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	5–6

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या

आज की कार्य-सूची में विचार एवं पारण हेतु सूचीबद्ध विधेयकों पर संशोधन प्रस्तुत किये जाने हेतु समय उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... 6–9

शिवलालपुरवा, कर्नैलगंज (गोण्डा) में हुए भीषण अग्निकाण्ड विषयक दिनांक 17 सितम्बर, 2003 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शासन का ध्यानाकृष्ट किये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न 9

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... 10

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2003-2004) का तृतीय प्रतिवेदन (ऊर्जा विभाग) (प्रस्तुत किया गया) 10

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2003-2004) का चतुर्थ प्रतिवेदन (वन विभाग) (प्रस्तुत किया गया) 10

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील मेंहनगर में आजमगढ़-जौनपुर मार्ग पर 5 कि०मी० पिच कार्य कराये जाने विषयक श्री शिव नारायण निवासीगण जनपद आजमगढ़ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ... 10

कल ग्राम प्रधानों आदि के सम्बन्ध में (मुख्यमंत्री) द्वारा की गयी घोषणाओं का बजट में प्राविधान न होने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना 11–12

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)... 12–13

कार्य-मंत्रणा समिति की बिना सिफारिश कार्य-सूची में दो मदें सम्मिलित किये जाने तथा विधान सभा के उपवेशनों के आये दिन कम होने पर आपत्ति ... 13–15

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित तथा चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं... 15–29

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (पुरःस्थापित) 29

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 (पुरःस्थापित) ... 29–30

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत).. 30

लखनऊ स्थित विधायक निवासों की स्थिति खराब होने एवं इसके सुधार हेतु विधान सभा सचिवालय द्वारा अनुरक्षण कार्य कराये जाने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना 30–31

यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों पर हुई फायरिंग की रिपोर्ट पंजीकृत न किये जाने की शिकायत 31

इंटेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 (पारित) 32–61

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 (पारित) ...	61–70
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (पारित)	70–74
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 (पारित)	75–76
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	76–78
राज्य खनिज विकास निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों के प्रति सूडा के अधिकारियों द्वारा शासनादेश के विरुद्ध वेतन आदि में वित्तीय अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्याण सिंह दोहरे द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	78
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से लखनऊ शहर में आवासीय क्षेत्रों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य का स्थगन	78
जनपद फैजाबाद एवं अम्बेडकर नगर में टोन्स नदी के पानी को मिलों द्वारा गन्दा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य	78–79
जनपद प्रतापगढ़ स्थित पट्टी में स्वीकृत पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन ...	79
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के उत्तर-पूर्व अंचल कार्यालय में व्याप्त गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री फागू चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य	79
मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	80
जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में गाढ़ा ताल व टौंस नदी की बाढ़ से बचाने हेतु पक्का ड्रेन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री घूरा राम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री के केवल वक्तव्य का मंत्री के अनुरोध पर स्थगन	81
जनपद बलिया के चिकलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पकड़ी ताल से निकलने वाली ड्रेन की खुदाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री के केवल वक्तव्य का मंत्री के अनुरोध पर स्थगन	81
सदन संचालन में सहयोग हेतु मा० अध्यक्ष, विधान सभा एवं मा० सदस्यों तथा विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति मुख्यमंत्री एवं दलों के नेताओं द्वारा धन्यवाद व्यक्त करना	81–87
सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)..	88
राष्ट्रगान	88

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

शनिवार, दिनांक 21 फरवरी, 2004

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–321

अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
अजय कुमार, डा० — बागपत
अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री — बरेली
अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री — हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
अनुराधा चौधरी, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री — सन्त कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री — बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा० — जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा० — हरदोई
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
आर०एस० कुशवाहा, श्री — खीरी
आर० के० चौधरी, श्री — लखनऊ
आलम बदी, श्री — आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
आशीष यादव, श्री — बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा० — बिजनौर
इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
ऊषा वर्मा, श्रीमती — हरदोई
ओमकार सिंह यादव, श्री — बदायूं
ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री — सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ० पी० सिंह), श्री — सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशी राम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरीनाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, डा०	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा०	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह ठाकुर, श्री	अलीगढ़
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
ददू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भास्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
धर्म सिंह सैनी, डा०	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पी० के० राय, डा०	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू राम, एम०काम०, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार ब्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भैया, श्री	बागपत
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ०, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो० शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा०	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द बिन्द, डा०	मिर्जापुर
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री — लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
राजेश कुमार, श्री — खीरी
राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर
राम इकबाल सिंह, श्री — बलिया
राम करन आर्य, श्री — बस्ती
राम किशुन, श्री — वाराणसी
राम कृष्ण, श्री — सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
राम नरेश यादव, श्री — आजमगढ़
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
राम बाबू हरित, डा० — आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री — गोरखपुर
राम लाल अकेला, श्री — रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
रामहेत, श्री — सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
रिजवान अहमद खां, श्री — ज्योतिबा फूले नगर
रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
रेवती रमण सिंह, कुं० — इलाहाबाद
लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, डा० — मेरठ
लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री — जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती — फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा० — बहराइच
वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री — सन्त रविदासनगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री — कन्नौज
विजेन्द्र सिंह, श्री — हाथरस
विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
विनय शाक्य, श्री — औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री — गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री — इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री — जौनपुर
विनोद तिवारी, डा० — पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री — बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री — अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री — शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री — बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत राजा", श्री — ललितपुर
वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
शंख लाल मांझी, श्री — सन्त कबीर नगर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री — बहराइच
शमीमुल हक, श्री — मुरादाबाद
शहजिल इस्लाम, श्री — बरेली
शाकिर अली, श्री — देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती — गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री — चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
शिव प्रताप यादव, डा० — बलरामपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री — जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री — मथुरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सन्ध्या कठेरिया, कु०	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं०	मुरादाबाद
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सियाराम सागर, डा०	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुख देवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा०	सहारनपुर
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :–पर्यावरण मंत्री, (श्री राम प्यारे सिंह) परिवार कल्याण मंत्री, (श्री अहमद हसन) तथा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, (श्री राम आसरे विश्वकर्मा) भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य डा० अमर सिंह के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य डा० अमर सिंह का 18 फरवरी 2004 को निधन हो गया । वे लगभग 75 वर्ष के थे । डा० अमर सिंह का जन्म 15 जून, 1929 को ग्राम उलैढ़ा, जिला बिजनौर में हुआ था । उन्होंने इण्टरमीडिएट एवं बी०ई०एम०एस० की शिक्षा ग्रहण की थी । डा० अमर सिंह वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र चांदपुर जिला बिजनौर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । डा० अमर सिंह एक योग्य सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे । वे वर्ष 1943 से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े थे । वे वर्ष 1943 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध के विरोध में एक माह तथा वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान लगभग 6 माह तक कारागार में बंदी रहे थे । वे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे थे । वे श्री कल्याण सिंह मंत्रि मण्डल में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री थे । समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी । डा० अमर सिंह के निधन से जनपद बिजनौर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया ।

हम सब अपने पूर्व सदस्य की दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये दो मिनट मौन खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ।

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए)

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21 फरवरी, 2004 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुयीं । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं ।

(श्री काली चरण राजभर, श्री पीतम राम, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री आर०एस० कुशवाहा, श्री लालजी वर्मा, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री राजेश कुमार, श्री उमा शंकर कुशवाहा, श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री सुखदेव राजभर का नाम पुकारे जाने पर उपस्थित तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री रविन्द्र पुण्डीर, श्री शिवचरण प्रजापति, श्री देवकी नन्दन कोरी, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित पाये गये ।)

(उपस्थित उपर्युक्त सदस्यों की सूचनाओं को सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गई।)

श्री अध्यक्ष–

श्री अक्षयवर लाल, श्री डा० रमेश चन्द्र विन्द, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री राम हेत, श्री मुकुट बिहारी वर्मा की सूचनाएं अस्वीकार की गई हैं ।

जनपद गाजीपुर में जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत मरदह–कासमाबाद मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरण राजभर–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 213 जहूराबाद जनपद गाजीपुर में मरदह-कासमाबाद मार्ग से ड़ोड़सर, असना, महिपालपुर होते हुए टेवली, सलामतपुर तक जो मार्ग है वह अत्यन्त खराब है जिसमें

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आम जनता को चलने में काफी परेशानी होती है जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है । अतः आपसे चाहूंगा कि इस लोक महत्व की अविलम्बनीय मांग को ध्यान में रखते हुए सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं तथा इस मार्ग को बनवाने की भी मांग करता हूं ।]

जनपद एवं तहसील उन्नाव के ग्राम तौरा में लम्बे समय से चल रही चकबन्दी प्रक्रिया पर रोक लगाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पीतम राम–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करता हूं कि जनपद एवं तहसील उन्नाव के ग्राम तौरा में लगभग 22 वर्षों से चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है इस ग्राम में लगभग 70 प्रतिशत चकबन्दी लायक भूमि नहीं है । चकबन्दी प्रक्रिया के चलते अवैध निर्माण होना, बड़े काश्तकारों द्वारा छोटे किसानों की अच्छी भूमि की कम मालियत लगाकर का चक बनाना, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जाति का गलत ढंग से जमीन का हस्तान्तरण करना, अनुसूचित जाति की भूमिधरी अवंटित भूमि पर अराजक तत्वों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके लाखों रुपयों का धन्धा करना, वर्ग 3 की भूमि की मालियत लगाकर चक बनाने जैसे अनेकों अवैधानिक कार्यों से अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों में भारी असंतोष एवं क्षोभ, रोष का वातावरण व्याप्त हो गया है । चकबन्दी कार्य होने पर छोटे किसानों के परिवार के सैकड़ों लोग भुखमरी के शिकार हो जायेंगे ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व को सदन में उठाकर शासन से मांग करता हूं कि उक्त ग्राम की चकबन्दी प्रक्रिया अविलम्ब रोक दी जाय ।]

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनियां में कतिपय मांगों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र–96 डलमऊ, जनपद रायबरेली के विकास खण्ड–रोहनियां स्थित परसीपुर से मतरमपुर सम्पर्क मार्ग एवं विकास खण्ड–ऊंचाहार स्थित अकोढ़िया से गौरी शंकरन सम्पर्क मार्ग पर धन स्वीकृत होने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य लम्बित है उक्त सम्पर्क मार्ग जीर्ण-शीर्ण तथा क्षत-विक्षत एवं दयनीय स्थिति में है । फलस्वरूप आस-पास के गांव के लोगो का आना-जाना दूभर हो गया है । उक्त सम्पर्क मार्गों पर बड़े-बड़े बोल्डर पड़े हैं जिससे जनता को आने-जाने में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे वहां की जनता में आक्रोश व्याप्त है । अतः इस लोकहित एवं अविलम्बनीय महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्माण कार्य पूरा कराये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद लखीमपुर में कतिपय खराब सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर०एस० कुशवाहा–

[मान्यवर, जनपद लखीमपुर में पानी का जल स्तर नजदीक होने के कारण बरसात के महीनों में जल भराव व बाढ़ के कारण जनपद की ज्यादातर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं । सारी सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गये हैं तथा निम्न सड़कें ज्यादा खराब हैं ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

1–ढ़खेरवा चौराहे से निघासन,

2–निघासन से पलिया तक,

3–सिंगाही से तिकोनिया तक,

4–बेलरावां से बेला परसुआ तक,

5–निघासन से पचपेड़ी घाट तक,

6–मूड़ा बुजुर्ग से शारदा नहर तक बन्धा मार्ग,

7–निघासन से पलिया मार्ग से छेटुई पलिया तक,

8–पलिया से शारदा बैराज तक गोला रोड,

9–पलिया से सम्पूर्ण नगर से खूँजरिया तक,

10–बब्भनपुर से मदनापुर मार्ग ।

उक्त सड़कें खराब होने से क्षेत्रीय जनता में जनक्रोश काफी बढ़ा हुआ है स्थिति किसी भी क्षण विस्फोटक हो सकती है । अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद अम्बेडकरनगर/फैजाबाद में टाण्डा-बसखारी-जलालपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा–

[मान्यवर, जनपद-अम्बेडकरनगर/फैजाबाद में टांडा बसखारी जलालपुर मार्ग प्रमुख मार्ग है । उक्त मार्ग अति जर्जर एवं उबड़ खाबड़ हो गया है मार्ग बड़े-बड़े गड्ढे में बदल गया है । जिसके कारण आम जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से उक्त मार्ग को ठीक कराये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा घिनहापुर में स्टेडियम निर्माण कार्य आरम्भ कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी–

[मान्यवर, आजमगढ़ में क्षेत्रीय जनता के द्वारा एक स्टेडियम खुलवाने की मांग की गयी थी, जिसके संदर्भ में शासन से स्वीकृति है, इसके लिए ग्राम सभा घिनहांपुर ग्राम प्रधान की ओर से शासन को जमीन प्रस्तावित है, जो स्टेडियम के निर्माण हेतु मानक के अनुरूप मौके का है । भूमि समतलीकरण ग्राम सभा द्वारा करा लिया जायेगा । स्टेडियम का निर्माण होना जनहित मे अति आवश्यक है । अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व की अविलम्बनीय मांग को देखते हुए ग्राम सभा घिनहापुर में स्टेडियम निर्माण कार्य हेतु सदन में चर्चा कराने का कष्ट करें और तत्काल आदेश पारित किया जाय ।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद लखीमपुर खीरी में पैला खीरी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग के संबंध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश कुमार–

[महोदय, जनपद लखीमपुर खीरी में मेरे विधान सभा क्षेत्र-53 पैला खीरी के अन्तर्गत भीरा बिजवा पी०डब्लू०डी० मार्ग से जंगली नाथ मंदिर से होते हुए तारागंज गढ़िया तक मार्ग पर पत्थर एक कोड पड़ा था जहां पर मार्गों में विभिन्न जगहों पर गड्ढे एवं जल भराव हो गया है क्योंकि जंगलीनाथ मंदिर पौराणिक धार्मिक स्थल जहां पर साल में मेला भी लगता है जिससे लाखों श्रद्धालु वहां पर आते हैं उक्त अधूरी मार्ग के निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है । अस्तु इस अविलम्बनीय लोकहित के महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद गाजीपुर में मानपुर ग्राम के पास मगई नदी पर पुल बनवाये जाने की मांग के सबंध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर कुशवाहा–.

[महोदय, आपसे सादर अनुरोध करना है कि विधान सभा 217 गाजीपुर में मगई नदी पर मानपुर ग्राम के पास पुल न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को गाजीपुर मुख्यालय तथा जंगीपुर बाजार आने में लगभग 12 किमी० की अधिक दूरी तय करनी पड़ती है जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है । अतः आपसे अनुरोध है कि क्षेत्रीय जनता की परेशानी को देखते हुए क्षेत्र के विकास हेतु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के कार्य पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मगई नदी पर पुल बनवाने की कृपा करें ।]

जनपद हरदोई में मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत कल्याणी नदी पर पुल निर्माण तथा शेष खड़ण्जा का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा–

[महोदय, जनपद हरदोई के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र 75 मल्लावां में गौसगंज मल्लावां मेंहदीघाट मार्ग से पुरनमऊ होते हुए गंगा नदी तट तक लगभग 12 कि०मी० लम्बाई का मार्ग है । इस मार्ग का लगभग 7 कि०मी० भाग (डामरीकरण) लेपन स्तर तक पूर्ण हो चुका है । परन्तु प्रथम व दूसरा कि०मी० तथा अन्त के लगभग 3 कि०मी० का स्तर अभी खण्ड़जा स्तर तक ही पूर्ण है तथा इस मार्ग के दूसरे कि०मी० से होकर कल्याणी नदी गुजरती है, इस कारण से आवागमन नही हो पाता । जबकि हमारे क्षेत्र के लगभग सभी लोग गंगा स्नान व अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए गंगा तट पर जाते हैं । नदी पर पुल न होने के कारण गंगा तट की 12 कि०मी० की दूरी लगभग 22 कि०मी० में बदल जाती है हमारे क्षेत्र के नागरिकों में बहुत ही निराशा व असंतोष व्याप्त है । अतः जनकल्याण के इस अविलम्बनीय लोकहित के प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । इस मार्ग के कि०मी०–2 में कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण तथा शेष बने खड़ण्जा स्तर के पांचों कि०मी० का डामरीकरण अतिशीघ्र कराने का कष्ट करें ।]

जनपद आजमगढ़ के तहसील लालगंज में दयाराम पुत्र पुनवासी के चक नं० 60 की पूर्वी लाइन मिटवा कर घपला करने की शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर–

[महोदय, आज प्रदेश राजस्व अभिलेखों एवं मानचित्रों में जाल-साज एवं फर्जी इन्द्राज कराकर अवैध स्वामित्व एवं अवैध कब्जा करने का लम्बा कारोबार हो रहा है । जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण जनपद

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आजमगढ़ के तहसील लालगंज में दयाराम पुत्र पुनवासी के चक नम्बर 60 की पूर्वी लाईन मिटवा कर बगल का कास्तकार अपने नम्बर का रकबा उसमें बढ़वा लिया है । इस प्रकार चकबन्दी के समय जिन पुराने नम्बरों से यह नम्बर 60 बना है उसके अनुसार इस समय नक्शा नहीं है क्योंकि चक नम्बर 60 को पूर्वी लाइन मिला कर बढ़ाने से ही कास्तकार का रकबा कम हो गया है । इस फर्जी कार्यवाही के संदर्भ में दयाराम सक्षम अधिकारियों के यहां दरखास्त दे रहे हैं मगर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । नक्शे में जाल-फरेब होने से मौके पर एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है तथा काफी असंतोष बढ़ रहा है । किसी क्षण स्थिति विस्फोट कर सकती है, हो सकती है । अतः इस अविलम्बनीय एवं लोकहित के महत्व के प्रकरण पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु मांग करता हूं ।]

जनपद जौनपुर की तहसील केराकत के ग्राम सोसापट्टी में हुए अग्निकाण्ड में 11 भैंसों की मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप कार्यवाही न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21-2-2004 का नियम–300 के अन्तर्गत कुल तीन सूचनाएं प्राप्त हुईं । पहली सूचना श्री घनश्याम शुक्ला की है ।

(श्री घनश्याम शुक्ला के अनुपस्थित रहने पर)

दूसरी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है ।

श्री जगदीश नारायण राय–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में पिछले बजट सत्र में घोषणा की थी कि प्रदेश में किसी किसान का कोई पशु दैवी आपदा में मर जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति दिलाएंगें । इसी संदर्भ में मेरे जनपद में मेरे क्षेत्र में एक यादव परिवार की 11 भैंसे जलकर मर गई । मैंने नियम 51 में इसकी सूचना दी जिसकी राजस्व मंत्री जी की तरफ से जवाब आया कि इस तरह की क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था नहीं है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जगदीश नारायण राय जी ने जो बात रखी है दैवी आपदा में राहत दिए जाने के सम्बन्ध में नियम परिवर्तित कर दिए गए है और जितने मूल्य का जानवर होगा गाय, बकरी या अन्य जानवर उसका जितना मूल्य होगा उतने मूल्य की सहायता उसको दी जाएगी । अगर माननीय सदस्य कोई ऐसा प्रकरण देते है दैवी आपदा के सम्बन्ध में तो हम उस पर कार्यवाही करवा देंगे । मुख्य मंत्री द्वारा जो घोषणा की गई है उस सम्बन्ध में निर्देश जारी कर दिए हैं, जो नियमानुसार होगा उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे । आप मुझे दे दीजिए इस प्रकरण में अवश्य कार्यवाही करवाएंगे ।

श्री लाल जी वर्मा–

इसमें नियम 51 में राजस्व मंत्री का जो बयान आया कि नियमानुसार ऐसी कोई सुविधा अनुमन्य नहीं है जब मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि हम मुआवजा देंगे तो दोनों में कंट्राडिक्सन है । एक तरफ सदन में कहा गया कि हम देंगे दूसरी तरफ नियम 51 में आया कि ऐसी कोई सुविधा अनुमन्य नहीं हैं । इस पर राय साहब व्यवस्था चाहते हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

नियम 51 की जो बात आप कर रहे है वह सूचना हमारे सम्मुख नहीं है किन कारणों से अनुमन्य नहीं हो सका इसका उत्तर तत्कालिक रूप से आपको दिया जाना सम्भव नहीं है । जब भी राहत के लिए

कोई दरखास्त आती है तो उसकी जांच होती है उस पर तहसील से आख्या आती है उसी आधार पर मुआवजा अनुमन्य होता है ।

श्री अध्यक्ष–

सूचना की प्रति लगी है ।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

जब सरकार के पास कागज नहीं है तब कैसे उत्तर पूरा माने ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप धैर्य रखिए, मैं जवाब दे रहा हूं । मुझे कोई दिक्कत नहीं है । बीच में क्यों बोल रहे हैं । नियम 51 की जिस सूचना का आपने जिक्र किया वह सूचना हमारे सम्मुख नहीं है । मैंने यही निवेदन किया है । अगर सदन में सही बात को रखा जाए तो वाजपेयी जी को तो खुश होना चाहिए । मैंने आश्वासन दे दिया है कि इस पूरे प्रकरण में सारे तथ्य दिखवाकर मानवीय आधार पर विचार करके मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की है उसी के अनुरूप जितने मूल्य के मवेशी मरे है उतने मूल्य का अनुदान दिलवाया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं परन्तु यह सूचना .....

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

बतायें, क्या व्यवस्था का प्रश्न है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि नियम–51 की सूचना उनके पास नहीं है । मान्यवर, कल ही नियम–51 पर वक्तव्य आया है और 10 बजे आपके सचिवालय से 300 की सूचना पहुंच गई । एक घंटे में लखनऊ के अन्दर सरकार इसमें सूचना एकत्र नहीं करा सकी । यह तो ठीक है कि इन्होंने जो शंका थी उसका निराकरण किया । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब 300 की सूचना पहुंच गई तो नियम–51 का जो वक्तव्य था उसके अनुसार इन्हें सूचना देनी चाहिए थी ।

श्री अध्यक्ष–

थोड़ा कार्यालय को चुस्त दुरूस्त कर दें । मैं इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । यह नियम–300 में नहीं आती है इसलिये अग्राह्य करता हूं ।

आज की कार्य-सूची में विचार एवं पारण हेतु सूचीबद्ध विधेयकों पर संशोधन प्रस्तुत किये जाने हेतु समय उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की है ।

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैं आपकी, कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं । आज की कार्यसूची में दो विधेयक लगे हैं, एक तो इंटेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 और दूसरा उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 । मान्यवर, नियमावली के अनुसार सामान्यतया विधेयक की प्रति एक दिन पूर्व मिलनी चाहिए । उस पर एक व्यवस्था यह भी है कि माननीय अध्यक्ष जी की सहमति हो जाय, उनके आदेश हो जाय तो उसका परिपालन होगा । मान्यवर, लेकिन जो माननीय विधायकों का संशोधन लाने का अधिकार है तो जब तक विधायकों को उसकी एक प्रति नहीं मिलेगी तो जैसा कि आज की कार्य सूची में विधेयक विचार एवं पारण हेतु लगे है उस पर संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सके है तो इस विधेयक के सम्बन्ध में जो हम सुझाव देना चाहेंगे वे उसमें नहीं आ सकते हैं । मेरा निवेदन है कि यह बात तो ठीक है, आपका अधिकार है आपने उसके पारण की अनुमति दे दी लेकिन यह छूट नहीं मिलती कि शासन उस विधेयक की प्रति 24 घंटे पूर्व उपलब्ध न कराये । जब आपकी अनुमति प्राप्त कर ली गई तो इसका मतलब शासन तैयार था उसे लाने के लिये तो तुरन्त माननीय विधयकों को उसकी प्रतियां उपलब्ध करा देते । हमारे स्थानीय आवास पर ही उपलब्ध करा दी जानी चाहिए थी । आपसे सरकार ने जो आपका अधिकार है उसके अनुसार अनुमति लेकर विधेयक प्रस्तुत कर दिया लेकिन यह छूट नहीं है और न आपने यह छूट दी है कि सरकार उस विधेयक की एक प्रति हमको उपलब्ध न कराये । समय कम था, लेकिन सरकार उसके लिये तैयार थी तो उसकी प्रति हमारे स्थानीय आवास पर लगनी चाहिए थी । इसके साथ ही हमारा जो संशोधन रखने का अधिकार है, जिसके माध्यम से हम कुछ मूल्यवान आवश्यक सुझाव देते जिनको सरकार उसमें समावेश कर सकती, वह खत्म हो गया है । आज ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है । मेरा इतना निवेदन है कि जो संशोधन रखने का अधिकार हमारा है, उसकी छूट आपने नहीं दी है, इसमें कहां क्या कारण रहा इस पर आप व्यवस्था दे दें ।

* संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, इंटेग्रल विश्वविद्यालय की पत्रावलियां कल ही उपलब्ध थी । अब किसी कारण बाजपेयी जी नहीं देख सके तो हम क्या करें । इस समय भी उपलब्ध हैं दोनों की । बाजपेयी जी चाहेंगे तो अभी उपलब्ध करा दी जायगी । यह कल ही उपलब्ध हो गयी थी लेकिन चूंकि सदन समाप्त हो गया था और मैं यूं भी नहीं चाहता था कि सारा दिन सदन अच्छे माहौल में चला था । इस बात को लेकर सदन में किसी तरह की अव्यवस्था हो जिससे माहौल बिगड़े । वैसे भी इससे किसी तरह का वित्तीय भार नहीं पड़ने जा रहा है । एक प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन के फारमेशन की बात है । चांस्लर, वाइसचांस्लर और जो स्टाफ है उसकी व्यवस्था होगी । इसमें न तो महामहिम राज्यपाल से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं थी । हुकुम सिंह जी वरिष्ठ सदस्य है, जी नहीं चाहता उनसे ऐसे मामले पर, जो आखिरी वक्त पर आया है, कोई विवाद हो जाय ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, विधायकों का काम है कि विधेयक वगैरह हो तो उस पर विस्तार से चर्चा हो फिर उसको निस्तारित किया जाए । जल्दबाजी में यह लाया गया है, इंटेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक है इस संदर्भ में

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहना चाहूंगा कि बिना चर्चा के इस तरह से पारित करना उचित नहीं होगा । आगे जब कभी सत्र होगा तो इस पर विचार किया जाए ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

हमारी मंशा सरकार के विरोध की नहीं है विधेयक के पक्ष और विपक्ष में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं आपकी एक कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं सरकार की नियमावली में अधिकार है कोई विधेयक पारण के लिए प्रस्तुत कर सकते है इसमें जैसे अनुमति मिले 10-15 घंटे या 2-4 घंटे या कुछ समय पहले हो सकती है आपकी अनुमति प्राप्त कर ली है तो इसके तत्काल बाद सरकार की जिम्मेदारी है इसकी प्रतियां चाहे विधायकों के आवास में लगाए जाने की बात हो इसको लगाया जाना चाहिए था । दूसरी बात हमारे संशोधन लगाने के अधिकार को नहीं रखा है संशोधन के लिए एक दिन पूर्व का अधिकार है वह अधिकार किस तरह मिले जिससे संशोधन प्रस्तुत करें और विधेयक पर सुझाव दे सके ? यह अच्छा विधेयक है, पढ़ाई के लिए ला रहे है इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन जो कमी है, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में इसको रखा जा रहा है कि इस पर सामूहिक विचार होगा, उचित निर्णय लेंगे, वह मन्तव्य पूरा नहीं हो पा रहा है फिर इस विधान सभा में बैठने का क्या औचित्य है इससे प्रदेश की जनता के सामने क्या संदेश जाएगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह ठीक है कि प्रत्येक माननीय सदस्य का, किसी भी विधेयक पर संशोधन देने का अधिकार है । उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 139 में स्पष्ट लिखा है कि 'यदि विधेयक के किसी खण्ड या अनुसूची में किसी संशोधन की सूचना उस दिन से छत्तीस घण्टे पूर्व न दी गई हो जिस दिन कि विधेयक पर विचार किया जाना हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेंगे ।' वर्तमान प्रकरण में मुझे सूचना प्रासंगिक लगती है । इंटेग्रल विश्वविद्यालय विधेवक, 2004 की प्रतियां संसदीय अनुभाग में 19 फरवरी को अपराह्न 6.57 पर प्राप्त हुई । यह पिजेन होल में 20 फरवरी को पूर्वाह्न 9.30 पर वितरित कर दी गई है हो सकता है किसी माननीय सदस्य को न मिली हो ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

बाजपेयी जी को एक जानकारी देना चाहूंगा । बाजपेयी जी यहा बैठते थे इस वक्त वहां बैठे हैं । बाजपेयी जी की रूलिंग निकाल लें, उसको देख लें यह अब कागज में मुंह छिपाकर हँस रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने विधान सभा के पटल कार्यालय द्वारा इसको करवा दिया था । यह बात आपकी तरफ से आनी चाहिए थी । आपके कार्यालय ने आपको सूचित नही किया ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह नहीं किया जाना चाहिए कर चुके हैं इसलिए आज औचित्य के इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं उठता है ।

डा० श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

19 फरवरी को आ गया पिजेन होल में नहीं मिला, डा० नरेन्द्र सिंह गौर जी भी कह रहे हैं नही मिला लेकिन जो दूसरा विधेयक उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तर दायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक है यह कब मिला यह बता दें । दूसरे विषय का कब सरकार ने सप्लाई किया यह बता दें मैं सरकार की मंशा पर सरकार के पक्ष और विपक्ष पर कुछ नही कह रहा हूं । विधायिका का उपयोग 54 हजार रु० प्रति मिनट व्यय होता है । हमारी सबकी कार्यपद्धति से अप्रासंगिक तो नही हो जाएगा लेकिन मैं इस विन्दु पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

आपका पक्ष निर्मूल नही है मेरे पास सूचना नही है कि दूसरा विधेयक जो है इसकी प्रतियां कब प्राप्त हुई हैं । इसको भविष्य में सुनिश्चत करा लें ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बिल्कुल करा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

इसी के साथ इसको निस्तारित करते हैं ।

श्री घनश्याम शुक्ल-

अध्यक्ष, जी मेरी भी नियम-300 में सूचना है ।

श्री अध्यक्ष-

जब आपका नाम पुकारा गया था, आप अनुपस्थित थे बताइये क्या है ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी मैं आपके समक्ष इंट्रेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 पर संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दीजिए ।

शिव लाल पुरवा, कर्नैलगंज (गोण्डा) में हुए भीषण अग्निकाण्ड विषयक दिनांक 17 सितम्बर, 2003 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शासन का ध्यानाकृष्ट किये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री घनश्याम शुक्ल-

मान्यवर, 17 सितम्बर, 2003 को नियम-51 में मैंने एक सूचना शिवलाल पुरवा कर्नैलगंज में हुए भीषण अग्निकांड से हुई क्षति की भरपाई के संबंध में लगायी थी । उसका कोई भी जवाब नहीं आया है । इससे पीठ के निर्देश का उल्लंघन हुआ है । आज तक उस पीड़ित परिवार को, उस गांव के लोगों को कोई आर्थिक क्षति पूर्ति नही की गयी है । माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो नियम-51 के अन्तर्गत प्रश्न पूछा था, उसका कोई जवाब आज तक नही उपलब्ध हुआ है । मैं आपके माध्यम से व्यवस्था चाहता हूं कि आपकी पीठ के निर्देशों की अवहेलना क्यों की गयी और आज तक हम लोगों को कोई जवाब क्यों नही मिला ?

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी पीठ के आदेशों की अवहेलना का सवाल ही नही उठता । मैं दिखवा लूँगा ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य का कहना है कि इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया था, लेकिन क्या कार्यवाई हुई, उसकी सूचना माननीय सदस्य को नही दी गयी । इस पर मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । यद्यपि यह सूचना नियम-300 में नहीं आती । माननीय सदस्य को कार्यवाई की सूचना दे दीजिए ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 20 फरवरी 2004 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 20 फरवरी, 2004 विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 20 फरवरी, 2004 को वापस प्राप्त हो गया ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या-3 में कुछ नही है ।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2003-2004) का तृतीय प्रतिवेदन (ऊर्जा विभाग) †

श्री राधेश्याम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2003-2004) का तृतीय प्रतिवेदन, जो ऊर्जा विभाग के वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के प्राक्कलनों के परीक्षण के संबंध में है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2003-2004) का चतुर्थ प्रतिवेदन (वन विभाग)†

श्री राधेश्याम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2003-2004) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो वन विभाग के वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के प्राक्कलनों के परीक्षण के सबंध में है, प्रस्तुत करता हूं ।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील मेंहनगर में आजमगढ़-जौनपुर मार्ग पर 5 कि०मी० पिच कार्य कराये जाने विषयक श्री शिव नारायण आदि निवासीगण जनपद–आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्रीमती विद्या चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील मेंहनगर के आजमगढ़-जौनपुर मार्ग पर ठेकवा बाजार से शंकरपुर कनौन मदनपुर बरसवां होते हुए हरिश्चन्द्रपुर-दुर्गापुर-चकटीकर-अमेठी तक 5 कि०मी० पिच कार्य कराये जाने विषयक श्री शिव नारायण तथा श्री राजाराम निवासी गण जनपद–आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं ।

---

† छापे नही गये ।

कल ग्राम प्रधानों आदि के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं का बजट में प्राविधान न होने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मद सं०-7 में कुछ नही है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मद सं०-7 में हमें कुछ कहना है । मान्यवर, कल सदन की कार्यवाही को अगर संज्ञान लें तो मुख्य मंत्री जी ने सदन में, उनका जो अधिकार है, किसी समय भी कोई विषय रखना चाहते हैं तो उनको अधिकार है मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मुख्य मंत्री जी ने सदन में कल कुछ घोषणायें की हैं । क्षेत्र प्रमुख, ब्लाक प्रमुख ग्राम प्रधान के सबंध में कुछ सुविधाएं घोषित की हैं । लेकिन जब मैंने बजट के प्राविधानों को देखा और मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं तथा 2004-2005 का बजट जिसको हमने पारित किया है, कहीं पर भी प्राविधान नही है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घेषणाएं की हैं उसमें कहीं नही बताया गया है कि उन्हें किस तिथि से लागू करेंगे किस सत्र से लागू करेंगे । जब बजट में प्राविधान नहीं है और वित्तीय उपाशय उसमें होने वाला नही है तो फिर मुख्य मंत्री जी की सदन की इस तरह की घोषणाओ में जनता को जो संदेश देने का प्रयास किया गया है क्या उसे राजनीति से प्रेरित माना जाय ? अगर राजनीति से प्रेरित नही है तो बजट में प्राविधान बताये कि किसी तिथि से लागू करेंगे । अगर नही किया गया है तो यह घोषणायें ब्लाक प्रमुखों के साथ वोट की राजनीति है, जनता के साथ वोट की राजनीति है । यह राजनीति से प्रेरित होकर उठाया गया कदम है । इसी प्रकार अनुसूचित जातियों को शामिल करने का अधिकार प्रदेश सरकार का नही है । सरकार ने जो घोषणाएं की है वह केन्द्र सरकार की है । क्या यह कदम भी राजनीति से प्रेरित नही है ?

(श्री शाकिर अली तथा श्री कमाल यूसुफ मलिक तथा सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में कुछ समय के लिए व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

माननीय अध्यक्ष महोदय यह मेरा अधिकार है कृपा करके मुझे सुन लीजिए । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने की घोषणा की है, उन्होंने दाल तथा दलहन को लाइसेंस खत्म करने की बात कहीं है वह केन्द्र सरकार पहले ही कर चुकी है । मेरा कहना है मुख्य मंत्री जी ने नेता सदन का जो अधिकार है उसका उपयोग किया है लेकिन उसके माध्यम से प्रदेश की जनता में, व्यापारियों में भ्रम फैलाया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि किन बिन्दुओं के साथ हम इस बात को मानें कि सरकार ने इसके लिए बजट में प्राविधान किया है । इन व्यापारियों के साथ धोखा किया गया है । अनुसूचित जातियों के साथ धोखा किया गया है । इसमें मैं आपकी कृपापूर्वक व्यवस्था चाहता हूं और बिना बजट प्राविधान के घोषणायें की गयी हैं मैं उनका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

विशेषाधिकार की सूचना देने की प्रक्रिया है । अगर आप समझते हैं तो इसके लिए लिखित सूचना दे दीजिए तो जो प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्यवाही होगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं विशेषाधिकार की सूचना सदन में खड़े होकर देने के बाद लिखकर दे दूंगा ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने राजनीतिक सवाल उठाया है और सरकार की घोषणाओं को, माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणाओं को भ्रम फैलाने वाली और जनता को गलत संदेश देनें वाली घोषणायें कहा है क्योंकि बाजपेयी जी ने बहुत तफसील से बात की है इसलिए उनका उत्तर आना चाहिए । मान्यवर, जो घोषणायें सदन में हुयी हैं और इससे पहले जो घोषणायें हुयी थीं जनता में उसका जिस तरह से स्वागत हुआ, पूरा प्रदेश जानता है कि केवल स्वागत ही नही हुआ गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान हुआ, अस्पताल का पर्चा 8 रुपये था वह एक रुपये हुआ, बिजली 14 घण्टे दी जाएगी, ऐसा किया भी गया । अगले पांच सालों में ....

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

अगर आप घोषणाओं की बात कर रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा का क्या हुआ ? मान्यवर, मैं इस विषय पर आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

पहले संसदीय कार्य-मंत्री जी की बात समाप्त हो जाने दीजिए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जनता से वायदा किया गया है कि अगले पांच सालों में पूरे प्रदेश को बिजली दी जायेगी, नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया जायेगा । अन्याय नही होगा लोगों के साथ ज्यादती नही की जायेगी । अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो थानो में रिपोर्ट लिखी जायेगी । जो बालिकायें किसी भी धर्म या जाति की है अगर इण्टरमीडिएट पास कर लेंगी तो उन्हें बीस हजार रुपया दिया जायेगा, शुल्क माफ किया गया, छात्र यूनियन के चुनाव कराये गये । तो जो घोषणाएं चुनाव से पहले की गयी थीं उनका कार्यान्वयन हुआ । यह फर्जी घोषणाओं की सरकार नही थी, यह जनता के साथ अन्याय करने वाली सरकार नही है, यह सरकारी खजाने से जन्म दिन मनाने वाली सरकार नही है । यह अपराध छुपाने वाली सरकार नहीं है, इसलिए जो घोषणाएं मुख्य मंत्री जी ने की है उन घोषणाओं का क्रियान्वयन होगा । बजट में इसके लिए प्राविधान होगा इसके लिए कोई शुबह न करें । जो कुछ प्रदेश की जनता को कहा गया है वह पूरा होगा ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 20 फरवरी, 2004 को हुई अपनी बैठक में दिनांक 21 फरवरी, 2004 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैं :–

फरवरी, 2004

---

21 शनिवार

1–निधन के निर्देश ।

2–इंटेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 पर विचार एवं उसका पारण ।

3–उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना, जो माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा विषयक प्रस्ताव जो कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य-मंत्रणा समिति की बिना सिफारिश कार्य-सूची में दो मदें सम्मिलित किये जाने तथा विधान सभा के उपवेशनों के आये दिन कम होने पर आपत्ति

श्री हुकुम सिंह–

वैसे तो यह प्रस्ताव आ गया है और स्वीकृत भी हो गया लेकिन जब कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश नही आयी तो यह मद कैसे कार्य-सूची में शामिल है ? मैं केवल इसकी जानकारी दे रहा हूं । यह पहले से ही कार्य-सूची में शामिल है ।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन यह तो पहले से हमेशा शामिल होती रही है । आप तो स्वयं संसदीय कार्य मंत्री रह चुके है ।

श्री हुकुम सिंह–

लेकिन इस प्रकार से नही हुआ है कि प्रस्ताव बाद में आ रहा है और कार्य-सूची में पहले से शामिल हो ।

परिवहन मंत्री (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी अपना कार्यकाल याद नही करते हैं । जो बीत गया है उसके बारे में भूल जाते हैं । वे नेता विरोधी दल की ओवर शेडो करके बात करते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

एक कहावत है कि ''बीति ताहि बिसारि दे आगे की सुधि लेहु''

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

हम लोग नेता विरोधी दल की शेडो कर रहे हैं । हम नेता विरोधी दल की छतरी के नीचे उनके संरक्षण में काम करते हैं ।

*श्री सतीश महाना–

मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से पूरा सदन सहमत है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि विगत कई वर्षो से इस प्रकार की परम्परा रही है और जो आखिरी दिन होता है उसमें यह बात कही जाती है कि आने वाले समय में विधान सभा का कार्यकाल 90 दिन तक चलाया जाय । मैं कोई आरोप नही लगा रहा हूं केवल सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं । जब पहली बार शपथ ली गयी थी उसमें इस बात की चर्चा की गयी थी कि 90 दिन सदन चलाया जायेगा । हम लोग राजनीति क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपरिहार्य परिस्थितियां रहती हैं अतः उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इतना महत्वपूर्ण बजट दो दिन में पास करा लिया गया । मैं कोई टिप्पणी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

नही कर रहा हूं केवल ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं । सारे के सारे यहां पर माननीय सदस्य जो जनता के द्वारा चुन कर यहां पर भेजे जाते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या पूरे प्रदेश की समस्या के ऊपर विस्तृत चर्चा करके उस पर शासन का सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे । मान्यवर, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं । लेकिन इधर सदन चलाने का समय 90 दिन से घटकर 30-35 दिन आ गया है और इस वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत वह घटकर सिर्फ 10-15 दिन ही रह गया है । माननीय रेवती रमण सिंह जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं हम मानते हैं कि इधर लोकसभा के चुनाव के कारण ज्यादा समय नही मिल पा रहा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में ऐसा न करके सदन पूरे समय चलाया जाय ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि चुनाव के तत्काल बाद मई-जून के अन्तर्गत जब भी सदन की बैठक हो, एक औपचारिकता पूरी करने के लिए छः महीने के बाद सिर्फ 3-4 दिन के लिए ही सदन न बुलाया जाय । मान्यवर, इससे सदस्यों में एक तरह की उदासीनता सी आ गयी है, और इस उदासीनता के क्या कारण है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए । मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मई के बाद जो सदन हो उसमें हर विषय पर विस्तृत चर्चा हो और जो बात यहां पर कही जाय उसका महत्व हो । यहां पर जो कह दिया जायेगा उसकी एक कापी आ जायेगी, उसकी कापी लेकर हम अखबारों में छपा देंगे केवल इतना ही न हो मेरा बस यही कहना है ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिज्ञासा जताई है और बार-बार यह भी कहा है कि वह इस पर बल नही दे रहे हैं सिर्फ सरकार को जानकारी देना चाहते हैं । मान्यवर, यह जरूर हो गया है अभी ज्यादा दिन इन्हें सत्ता छोड़े हुए नही हुए है, इन्हें याद होगा कि एक ही दिन में राज्यपाल का अभिभाषण एक ही दिन में बजट का प्रस्तुतीकरण और एक ही दिन में उसका पारण हुआ है और यह सब इसी सदन में हो गया है और इसके लिए महीने की नही, दिनों की नहीं बस एक आध घण्टों में सब हो गया है । मान्यवर, उस समय तो बस एक आवाज आयी थी कि हो गया लेकिन यह नहीं पता चला कि क्या हुआ ? बस इतना ही सुनाई दिया कि हो गया । मान्यवर, यह सही है कि 90 दिन सदन चलना चाहिए और हम इसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं कि 90 दिन सदन चलना चाहिए और मान्यवर, आप के संज्ञान में भी है कि इस सदन को लम्बा चलाये जाने की हमारी सरकार की नीयत थी, लेकिन लोक सभा के चुनाव के कारण ऐसा संभव नही हो सका, मान्यवर, एक दिन ऐसा भी हुआ कि ग्यारह बजकर दस मिनट तक इस सदन का कोरम नही पूरा हुआ है, खुद कार्य-मंत्रणा में भी इस पर बात हुयी और सबने मिलकर यह तय किया है कि इस सदन को थोड़ा कम समय चलाया जाय । मान्यवर, कोई भी मंशा सदन को न चलाने की नही है न ही ऐसी परम्पराओं को समाप्त करने की मंशा है मान्यवर, परम्परायें तो अब शुरू हुयी हैं । 10-12 साल में अब जाकर ऐसा माहौल बना है प्यार का, मोहब्बत का और बिना किसी झगड़े का माहौल बना हुआ है, सरकार में होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर, उनके दिमाग पर उनके मन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ा, नहीं तो इससे पहले जो सरकारें थीं उनके चहरे दिमाग और मन पर यहां तक कि उनके शरीर पर भी बड़ा तनाव होता था, लेकिन आज ऐसा नही है ।

(व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर–

शरीर के तनाव से इनका क्या आशय है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, शरीर के तनाव पर यहां किसी को ऐतराज नही हुआ है सिर्फ राजभर जी को हुआ है ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, जो पहले हो रहा था, अब वह न हो सिर्फ इतना ही आश्वासन यह दे दें । मान्यवर, मैं उस पर कोई आरोप नही लगाना चाहता हूँ न बातचीत करना चाहता हूं । आईना देख रहा हूं आपकी तस्वीर भी है आगे के लिए आपसे अपेक्षा है कि सदन में सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हो सके इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा उपवेशन हो । ताकि विधान सभा का महत्व बढ़े इसका अस्तित्व बढ़े । आपने हमारे शरीर पर कहीं भी तनाव देखा हो तो कृपया बता दें ।

(व्यवधान)

* श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

मान्यवर, अभी केन्द्र सरकार ने अरबों-खरबों का बजट लेखानुदान और अंतरिम बजट के रूप में पास करा लिया सात महीने पहले ही लोकसभा भंग करा दी । वह इसलिए कि उत्तर प्रदेश में जो घोषणाएं हो रही हैं उन पर अमल रोका जा सके । मान्यवर, सरकार पांच साल के लिए बनी थी ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो जनहित में घोषणायें की हैं नीचे से ऊपर तक के सभी तबकों को फायदा पहुँचाया है । कहीं उनकी यह घोषणाएं केन्द्र के लिए मुश्किल न बन जाए इसी लिए सात महीने पहले ही लोक सभा भंग कराकर चुनाव की घोषणा करा दी ।

मान्यवर, यह जो फील गुड फैक्टर की बात कर रहे हैं । मान्यवर, आज वह अनुदानों की मांगें केन्द्र में पास होने के बाद सीमेन्ट के दाम 110 रुपये से बढ़कर 170 रुपये हो गये हैं, उसमें हजारों करोड़ों रुपये खाने के बाद यह स्थिति आ गयी है, 1900 रुपये प्रति कुन्तल से बढ़कर सरिया अब 2350 रुपये में मिल रही है अभी आगे देखिए क्या होता है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय गोयल जी की बात क्षम्य है । एक कहावत है ''मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त''

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपका अधिकार कितना बढ़ा दिया है । आपको विधान सभा के स्पीकर के साथ-साथ लोक सभा का भी स्पीकर मान लिया है ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, सात महीने पहले की बात कही है कभी-कभी सातवासा भी होता है ।

श्री अध्यक्ष–

हम वर्ष में 90 उपवेशन सदन के कर सके इस दृष्टि से प्रयास होता भी रहा है । हमने अपनी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में इस बात का प्राविधान भी कराया है कि हर दो महीने में लगभग 10 दिन के उपवेशन हो जाएं तो अच्छा होगा । हम किन्हीं कारणो से इन प्राविधानों को पूरा नही कर पा रहे हैं । जो भी सरकार हो, वह सदन को सक्रिय बनाने के लिए और इसको सार्थक स्वरूप प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक उपवेशन करे तो अच्छा रहेगा ।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित तथा चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21 फरवरी, 2004 को नियम 311 में प्राप्त दो सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत 16 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं । प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा ।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लाल जी वर्मा की जनपद फैजाबाद (अम्बेडकरनगर) में कोषागार समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं ।

---

* वक्ता ने भाषं का पुनर्वीक्षण नही किया ।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह प्रश्न जो मैंने उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण है । मान्यवर, प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नौ जिलों को समाप्त कर दिया जाय । मान्यवर, इन जिलों के कोषागारों को भी समाप्त कर दिया गया है ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपके निर्देश आपके आदेश से कोई विरोध नही है लेकिन चूंकि इसी सत्र में इस पर बाकायदा बहस हो चुकी है और आपने जिस विषय से बोलना शुरू किया है वह नौ जिलों से संबंधित है तो उन जिलों और मण्डलों की बात न करें ।

श्री अध्यक्ष–

यह उससे विषय थोड़ा भिन्न है और उससे उत्पन्न कठिनाई के बारे में बताया गया है ।

*श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, परेशानी यह उत्पन्न हो गयी है कि कर्मचारियों को वेतन नही मिल रहा है वहां पर जो कार्यरत हैं । इसके अलावा विधायक निधि का जो आपने आवंटन भेजा है उसका खर्च नही हो पा रहा है । विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को जैसे जिला पंचायत को पैसा आवंटन किया गया लेकिन खर्च नहीं हो पा रहा है । विकास का कार्य नही हो पा रहा है । लोक निर्माण विभाग में सड़कों के निर्माण के लिए पैसा था लेकिन वह भुगतान नही हो पा रहा है जिसके कारण सड़क नही बन पा रही है । यह एक अलग विषय है मैं उस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो विघटित जिले हैं उनमें टेजरी बन्द होने के कारण जैसे हमारा जिला था अम्बेडकर नगर, की ट्रेजरी बन्द हो गयी, अम्बेडकर नगर के विभिन्न कर्मचारियों के भुगतान को पास नही किया जा रहा है । फैजाबाद जिले की कोषागार द्वारा अम्बेडकर नगर की ट्रेजरी बन्द हो गयी जिसके कारण मान्यवर, पूरे कर्मचारियों का वेतन नही मिला दूसरी तरफ विधायक निधि के माध्यम से उस जनपद को आवंटन हुआ उस आवंटन के आधार पर जो पैसा वहां पर गया है, जो योजनाएं नही दे पाये थे उस योजना का पैसा वहां की ट्रेजरी पास नही कर रही है इसलिए कि ट्रेजरी बन्द हो गयी । दूसरी तरफ फैजाबाद की ट्रेजरी पास नही कर रही है उसका आवंटन नही हुआ था ।

इस तरह से मान्यवर, पूरे जनपद में एक विकास कार्य जो हो रहा था एक तरफ तो वह भी रुका है और दूसरी तरफ कर्मचारियों को इस महीने का वेतन का भुगतान नही हो पाया है । इसी तरह से जिला पंचायत के लिए आपने जो धन आवंटन किया, आपने जो घोषणाएं की जिसको कार्यान्वयन करने के लिए कहा लेकिन ट्रेजरी बन्द होने के कारण संबंधित वह कार्य नही हो पा रहा है । इसी तरह से पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत जिला अंश का आपने आवंटन किया । जिला अंश का जो आवंटन किया गया उसकी कमिश्नर के द्वारा स्वीकृति हो गयी लेकिन उसकी कार्यदायी संस्था का चेक नही कट पा रहा है इसलिए यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है । ट्रेजरी कैसे पास करेगी क्योंकि वहां की ट्रेजरी बन्द हो गयी है यह स्थिति सब जगह की है लेकिन मेरा सवाल अम्बेडकर नगर के बारे में है जो फैजाबाद में मिला दिया गया है । वहां का कार्य नहीं हो पा रहा है, जो हमारा जिला है । इसी तरह से समाज कल्याण विभाग को धन आवंटन किया निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी में अनुदान देने के लिए बीमारों को अनुदान देने के लिए, स्कालरशिप देने के लिए इस तरह का आवंटन आपने किया लेकिन वहां के लोगों को आवंटन कौन करेगा इस बारे मे सुनिश्चित नही हो पा रहा है कि कौन कोषागार से पास होगा, यह सुनिश्चित नही हो पा रहा है इसके कारण इस जनपद के एरिया में जो पहले का विघटित जनपद का एरिया है उस जनपद में कोई भी कार्य जो समाज कल्याण का कार्य हो वह सबसे

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ज्यादा प्रभावित हो रहा है । विकास का कार्य विकास निधि का कार्य प्रभावित हो रहा है । पूर्वांचल विकास निधि का कार्य प्रभावित हो रहा है, कर्मचारियों का वेतन प्रभावित हो रहा है ।

इस तरह से यह लोकमहत्व का है, अविलम्बनीय है, तात्कालिक है इसका समाधान होना आवश्यक है । हम इस सदन में आये हैं । हम इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं । इसका अगर समाधान नही होगा, आपके भी सदस्य हैं उनके सामने भी समस्या है । इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर कोई और उद्देश्य नही है कोई राजनैतिक उद्देश्य नही है लेकिन जो विकास की आपकी योजना है जिसको आप करना चाहते हैं उसके लिए कोई ऐसा विकल्प निकालिये कि जो धन आवंटन हुआ है अब एक माह रह गया है वह उसमें लैप्स हो जायेगा । इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसी मार्च माह के अन्तर्गत जो कार्य होना चाहिए, जो कर्मचारी वेतन नही पा रहे हैं, वह तो पीड़ित हैं ही इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके माध्यम से अगर इस विषय पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से उस एरिया के लोगों को चूँकि उन लोगों ने कोई पाप नही किया है खता नहीं किया है लेकिन सरकार के इस निर्णय के चलते अगर उनको कोई असुविधा हो रही है तो निश्चित रूप से उनके साथ यह ज्यादती हो रही है । वहां के कर्मचारियों ने कोई अपराध किया है ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विषय पर चर्चा हो जाय जिससे इसका समाधान निकल आवे इसमें किसी तरह की छटपटाहट नही होनी चाहिए ।

(इस समय 11 बजकर 54 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा की आवश्यकता है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह किसी एक जिले के लिये आदेश नहीं थे । सारे जिलों के लिये थे और जैसे ही जिला खत्म करने या पुराने जिलों में संविलयन करने का आदेश हुआ, सरकार से, तभी सारी व्यवस्थायें लागू कर दी गयीं थी । जो पुराने जिले थे, उनके जिलों को वह सारे अधिकार प्राप्त हो गये, जो नये बने हुये जिलों को प्राप्त थे । इसमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं है । न कोई विकास का कार्य रोका गया है । जितने विकास कार्य चल रहे थे, वह चल रहे हैं, केवल कार्यालय का नाम और जिले का नाम बदल गया ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, बात कह देना अलग बात है और मैं कह रहा हूं कि आप रिपोर्ट मंगा लें । अगर आपका उत्तर सही है तो हमें कोई आपत्ति नही है । आप डी०एम० से रिपोर्ट मंगा लें, जान लें कि क्या स्थिति है ? आप विद्वान हैं, आपको संसदीय जानकारी भी है, आप जवाब अपने मन से दे सकते हैं । लेकिन आप डी०एम० कमिश्नर से रिपोर्ट मंगा लें । अगर मेरी बात गलत साबित हो जाय तो मुझे कोई आपत्ति नही करनी है । मैं कोई पोलीटिकल इश्यू नही बना रहा हूँ पोलीटिकल इश्यू तो यह पहले ही बन चुका है, हमें उस पर कोई कमेन्ट नहीं करना है । वहां पर कर्मचारियों और लोगों की जो असुविधायें हैं, उन्हीं के बारे में अनुरोध कर रहा हूं । आप रिपोर्ट मंगा लें और जितने प्वाइन्ट्स मैंने बतायें हैं, उनके बारे जानकारी कर लें । मैंने भी डी०एम०, कमिश्नर से बात किया और उनसे कहा कि इसका समाधान निकलना चाहिये, तो कमिश्नर ने कहा कि कोषागार हमारे नियंत्रण में नही है, इसको वित्त विभाग देखता है । वहां से कोई डाइरेक्शन नही आये हैं, इसलिये मान्यवर, मैं आपसे कृपापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री केवल अपनी विद्वता के आधार पर नही, बल्कि इसकी जानकारी मंगाकर परीक्षण करके जवाब दें । हम सहमत हो जायेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है । अगर यह रिपोर्ट आ जाय, कि वहां किसी तरह की कोई असुविधा नही है तो फिर कोई बात नहीं है । मेरी आज ही सी०डी०ओ०, डी०एम० से वार्ता हुयी है, उसी के आधार पर मैंने एक निष्कर्ष निकाला और आज

इस बात को उठाया है । कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है केवल पुलिस महकमें को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को वेतन नही मिला है, टीचरों को वेतन नही मिला है, आज इस तरह की स्थिति वहां बनी है । आप ऐसा जवाब इसलिये न दें कि लालजी वर्मा इस बात को उठा रहे हैं आप पूरे तथ्यों से अवगत होकर जवाब दीजिये ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, मैं तो उत्तर दे चुका हूँ माननीय सदस्य ने वही प्रश्न दुबारा कर दिया है वहीं उत्तर मान लिया जाय, जो मैं दे चुका हूं ।

* श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, बात अभी स्पष्ट नही है । जो भी कल्याण से संबंधित चाहे महिला कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण से संबंधित कार्य थे, साथ ही साथ जो विकास के कार्य हैं, उनको समाप्त कर दिया गया है । स्थिति यह बन गई है कि वहां के जो कर्मचारी हैं, विकास के जो काम हैं, जितने भी कल्याणकारी हितकारी सरकार के द्वारा समय-समय पर जो लाभ दिये जाते हैं उनका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है । इसलिये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, इसलिये जरूरी है कि यह स्थिति स्पष्ट हो जाय कि वहां के कर्मचारियों को वेतन कहां से मिलेगा और साथ ही साथ वहां के कल्याणकारी कार्य कब तक बाधित रहेंगे और यदि कराया जायेगा तो कहां से कराया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

श्री लालजी वर्मा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा संसदीय कार्य-मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को इस निर्देश के साथ निरस्त करता हूं कि यदि कोई व्यवहारिक कठिनाई है तो उसे मंत्री जी देख लेंगे ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री मेरी बात को सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कह दिया है कि यदि कोई व्यवहारिक कठिनाई वहां पर होगी तो मंत्री जी उसे देख लेंगे ।

* श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, हमारे यहां 15 फरवरी को पतंगबाजी देख करके नाव पर सवार होकर 27 लोग लौट रहे थे । अभी बीच गंगा नदी में नाव पहुंची ही थी कि किन्हीं कारणवश नाव पलट गयी और सब लोग पानी के अन्दर चले गये । संयोगवश जो वहां पर उपस्थित मल्लाह लोग थे या जिन लोगों को तैरना आता था, उनके कारण 10 लोग बच करके इस पार आ सके और 17 लोग पानी के गाल में समा गये, जिससे कोहराम मच गया । चूंकि जहां पर दुर्घटना हुई थी उसके बगल में ही जल पुलिस का थाना था, वहां पर पीड़ित लोगों और नागरिक दौड़ करके आये और सूचना दी । मान्यवर, मैं आपका ध्यान और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जल पुलिस असहाय हो जाती है, जल पुलिस के पास कोई साधन नही है । जल पुलिस में जो इंस्पेक्टर वगैरह रखे जाते हैं उन सभी लोगों को तैरना नही आता और जब पानी डुबोता है तो उस समय यदि किसी को तैरना नही आता और गोताखोरी करना नही आता तो वह किसी प्रकार की सहायता पानी में नही पहुंचा सकता है । इस बात को माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी पहले सोमवार के एक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया कि ऐसे पुलिस वालों के कोर्स में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तैरना विषय शामिल है । वैसे किसी विषय में संस्कृत का पांच नम्बर होता है । इसका मतलब यह नहीं है कि संस्कृत लिखना या बोलना आता हो । उन्हें गोताखोरी की कोई ट्रेनिंग नही दी जाती है । मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराता आ रहा हूं कि वाराणसी जहां से मैं चुनकर आता हूं उसमें 80 घाट आते हैं और सारे घाट मेरे ही क्षेत्र में आच्छादित हैं । एक धार्मिक नगर, पर्यटन नगर होने के नाते बहुत से लोग वहां आते है और अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और वहां की जल पुलिस असहाय रहती है । इसीलिए मैंने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वहां पर घटनाएं दुर्घटनाएं इससे पहले भी होती रही है ।

वर्ष 1983 में 23 लोगों के साथ नाव डूब गयी उसमें से केवल 3 लोग बचाये जा सके, वर्ष 1989 में 17 लोग नाव पर सवार थे नाव पलट गयी आर 14 लोग डूब गये और उसमें से सिर्फ 3 लोग बचाये जा सके । वर्ष 2002 में 3 लोग डूब करके मर गये । यह तो कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, इसके अलावा जबगर्मियों की छुट्टी होती है तब कई लोग पर्यटन की दृष्टि से बच्चों को ले करके बनारस में आते हैं ।

(समय 12 बजे)

स्वभाविक है कि वह गंगा में नहाना भी चाहते है । कभी-कभी दुर्भाग्यवश दुर्घटना भी हो जाती है । मुझे याद है कि एक लड़का जो इन्जीनियरिंग का छात्र था और उसका अंतिम वर्ष था, वह डूब गया और मर गया । उसके मां-बाप पर क्या गुजरी होगी । इसका वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूं कि पिछली सरकारों के समय में भी मैंने इसे उठाया था लेकिन जितना राहत हो सकती थी वह नहीं हुआ । वर्तमान सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जो दुर्घटना 15 फरवरी, 2004 को हुई, उसमें पहले यह बात आयी कि 17 लोग डूब गये, बाद में संख्या में संशोधन हुआ कि 14 लोग डूबे है । 14 लोगों की लाशें मिल चुकी है । एक विडम्बना है उपाध्यक्ष महोदय, जिसका वर्णन जरूरी है तभी सरकार कदम उठा पायेगी, संवेदनशील हो पायेगी । माननीय रेवती रमण सिंह जी दुर्घटना के बाद वाराणसी गये थे, वह सारी परिस्थितियों से वाकिफ है । वहां जल-पुलिस थी लेकिन उसको तैरना नहीं आता, गोताखोरी नहीं आती है । उनके पास नाव नहीं है मोटरबोट नहीं है, महाजाल नहीं है और टार्च तक नहीं है । जिस दिन दुर्घटना हुई घाट की सारी बत्तियां बुझी हुई थीं । लोगों से टार्च उधार ले करके गंगाजी में रोशनी फेंक रहे थे ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस दुर्घटना की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और यह चाहता हूं कि जो लोग बचाये जा सके या लाशें जो अभी भी नहीं मिली है या जल पुलिस द्वारा रिकवर नहीं की जा सकी । मल्लाहों द्वारा अपनी जान पर खेलकर 3-4 दिन के बाद लोगों की लाशें निकाली गयी है । वह काबिले तारीफ है, प्रशंसनीय है और उन लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए । इसी के साथ मेरा सुझाव है कि जल पुलिस को तैरना नहीं आता, गोताखोरी करना नहीं आता, महाजाल, लाइफ जैकेट, मोटरबोट और मास्क भी नहीं है और यही स्थिति जहां-जहां जल पुलिस का गठन हुआ है चाहे इलाहाबाद हो, वाराणसी हो, कानपुर या लखनऊ हो जल-पुलिस की स्थिति कमोवेश यही है । मान्यवर, वाराणसी में जिस समय दुर्घटना हुई मैं एक शादी में इलाहाबाद में था, जब मुझे सूचना मिली तो मैंने एस०एस०पी० और डी०एम० को मोबाइल पर सूचना दी तब यह पता चला कि वह लखनऊ से बनारस लौट रहे हैं । मान्यवर, जल पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाये । अगर उनके पास साधन होता, उनके पास काबिलियत होती, जल-पुलिस सक्षम होती तो इतने लोग काल के गाल में समा नहीं गये होते । इस दुर्घटना में तीन छोटे-छोटे बच्चे डूब गये । तमाम औरतें विधवा हो गयीं, कई बच्चे बिना मां-बाप के हो गये । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जो गोताखोर मल्लाह है उन्हें आप पक्की नौकरी पर रख ले या फिर संविदा पर रखने की व्यवस्था करे । लोक कल्याणकारी सरकार के लिए लोगों की जान से बढ़कर कोई और चीज नहीं हो सकती है । इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है तथा इसका समाधान करना बहुत जरूरी है । जो लोग मर गये उनमें बहुत गरीब लोग भी है । मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि वह किस सम्प्रदाय के थे । मैं यह जानता हूं कि वह इंसान थे और इंसान के नाते उनके जान की कीमत नहीं लगायी जा सकती ।

कोई सरकार किसी की जान की कीमत नहीं लगा सकती और न किसी के जान की कीमत दे सकती है । माननीय रेवती रमण सिंह जी वहां गये थे और यह घोषणा भी की थी कि एक-एक लाख रुपया हर व्यक्ति को देंगे । मान्यवर, एक लाख रुपये में कुछ नहीं होता है इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिया जाये ताकि उनके परिवार का भविष्य कुछ ठीक-ठाक हो सके । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय रेवती रमण सिंह जी वहां गये थे । वह वहां घोषणा करके आये हैं जो अखबारों में छपी है । वहां जो लक्ष्मण मांझी था उसने अपनी जान पर खेलकर पांच लाशें निकाली हैं । अगर वहां मौके पर पर्याप्त व्यवस्था होती तो इतनी जाने न जातीं और कई लोगों की जानें बचायी जा सकती थीं । उस, लक्ष्मण मांझी को पुरस्कार दिया जाना चाहिए ।

मान्यवर, ऐसे हादसे आइन्दा न हों और लोगों की जान बचायी जा सके इसलिए जल पुलिस को सक्षम बनाने की दृष्टि से तैरने की ट्रेनिंग दी जाये । इसके अतिरिक्त वहां पर महाजाल, लाईफ बोट, लाईफ जैकेट, नाव, स्टीमर आदि साधन उपलब्ध कराये जायें । अभी वहां लाशें पूरी तरह से रिकवर नहीं की जा सकी हैं और कोहराम मचा है । मृतक परिवारों को एक लाख रुपया की सहायता देने की बात कही गयी है मेरा निवेदन है कि उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपये की सहायता दी जाये । यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है । इसलिए मेरी मांग है कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करके चर्चा करायी जाये कि आइन्दा ऐसी दुर्घटनाएं न हो । मेरा अन्त में यह निवेदन है कि जिन चीजों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है उन चीजों की व्यवस्था कराई जाये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने गम्भीर विषय उठाया है, यह तात्कालिक तो नहीं है बहुत अहम और बहुत आवश्यक है । मान्यवर, यह हादसे आये दिन होते रहते हैं तो ऐसी जगह जहां से लोगों के धार्मिक, मजहबी रिश्ते जुड़े हुए हैं, यह सरकारों की जिम्मेदारी है, कोई भी सत्ता में हो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी जगहों का खास ख्याल रखा जाये । मैं अपने विभाग की तरफ से अपने को शामिल करना चाहता हूं । मान्यवर, नगर विकास विभाग को स्टाम्प ड्यूटी का 2 प्रतिशत पैसा मिलता है लेकिन ढाई साल से यह पैसा नहीं मिल रहा है । हर जिले में एक बड़ी रकम बकाया है और बनारस में भी दो-ढाई करोड़ रुपया वाजिब था जो नहीं मिला है । मैंने नगर आयुक्त और महापौर से कहा है कि स्टाम्प ड्यूटी का पैसा मिलना चाहिए और इसका जी०ओ० भी जारी हो गया है । यह सारा पैसा बनारस के घाटों पर खर्च किया जायेगा अगर घाट सुधर जायेंगे, रोशनी का इन्तजाम हो जायेगा, उनका सौंदर्यीकरण हो जायेगा तो जो वहां श्रद्धालु आते हैं उनको भी सहूलियत हो जायेगी । (मेजों की थपथपाहट) जैसा आपने कहा वहां रोशनी की व्यवस्था नहीं है ।

मान्यवर, जाहिर है कि घाट पर जितनी अच्छी व्यवस्था रोशनी की होनी चाहिए उतनी नहीं है । धर्म से बिलकुल हटकर कि किसका क्या धर्म है, जिसका जो धर्म है जो आस्था है वह मजबूत रहे और धार्मिक आस्था का सम्मान रहे इस लिहाज से सभी धर्मों के लोगों को सहूलतें मिलनी चाहिए । मान्यवर, मैं कई मौकों पर विदेश गया । हिन्दुस्तान के बनारस की सबसे ज्यादा याद विदेशों में की जाती है, आगरे से भी ज्यादा बनारस को विदेशों में याद किया जाता है । बनारस दुनिया के उन चन्द शहरों में है कि जब भी आदमी इंसान बना होगा और जब इतिहास के पन्नों पर शहरों के नाम आने शुरू होंगे तो चन्द शहरों के साथ बनारस का नाम आया होगा । बनारस इतिहास के चन्द पुराने शहरों में से है । उसे अच्छा बनाने के लिए उसे यादगारी बनाने के लिए, कम से कम वहां मौतें हो ऐसे मौकों पर उसमें कोई कसर नहीं रखना चाहिए । क्या कमी रही है इस बहस का मौका नहीं है हमें भी सत्ता में आए हुए समय हो गया है थोड़े दिन बाद हम यह नहीं कह सकेंगे कि हम अभी सत्ता में आए हैं । यह गम्भीर मामला है

इसमें शक नहीं है कि इन्सान की जान से बढ़कर कुछ नहीं है । यहां तक कहा जाता है कि जहां एक बेगुनाह इनसान मारा जाता है वहां पूरी मानवता ह्यूमिनिटी मारी जाती है । एक बेगुनाह बन जाता है तो पूरी इन्सानियत चल जाती है । इस नाव के हादसे में मरने वालों के लिए सरकार की पूरी हमदर्दी है, दुख है जो भी किया जा सकता है जिस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो आपके सुझाव ही नहीं यह तो नियम होना चाहिए यह नियम होगा भी । अनट्रेड लोग इसमें न हो लाइफ सेविंग जैकेट बगैरह और मास्क बगैर किसी ऐसी पुलिस के गठन का कोई कांसेप्ट नहीं हो सकता है, तसव्वुर नहीं हो सकता है यह कमी है यह दूर होनी चाहिए .....

श्री श्याम देव राय चौधरी–

एक दो बात रह गई जो मलाह समुदाय के लोग जिनका जन्म ही पानी में होता है ऐसे लोगों को इसमें शामिल कर लें । जो सहायता राज्य सरकार ने दी है वह एक लाख रुपया दी है अगर आप महसूस करते हैं कि वह कम है तो उस राशि को बढ़ा दें और मल्लाह लोगों ने जो निःशुल्क काम किया है उनके हौसला आफजाई के लिए उनको पुरस्कार देने की घोषणा करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

कौन कब काम आएगा, इस तरह के काम मल्लाहों ने पहली बार नहीं किए है पहले भी इस तरह के काम करते रहे हैं, बड़े बड़े काम ज्यादातर छोटे लोगों ने किए है । मल्लाह समाज के लोगों ने पहली बार इस तरह के हादसों में मदद नहीं की है और जगहों पर भी उन्होंने मदद की है । यह सब उन्होंने अपने मन से अपने दिल से अपनी भावना से किया । उन्होंने यह इन्तजार नहीं किया है कि सरकार से उन्हें कोई सर्टीफिकेट मिलेगी उन्होंने मदद इन्सानियत के नाते की है वह किसी सर्टीफिकेट का इन्तजार नहीं करते हैं । इससे बड़ा सर्टीफिकेट क्या हो सकता है कि आज पूरा सदन और सरकार उनकी कर्जदार है, उनकी शुक्रगुजार है । सरकार ने दाह संस्कार के लिए पांच-पांच हजार रुपए दिए है । यह फौरी मदद थी जो नियमानुसार दी जाती है । बाकी आगे क्या मदद हो सकती है इस सिलसिले में नेता जी से बात करेंगे इसमें आपसे पूरा इत्तेफाक है किसी की जान किसी हादसे में चली जाए जान की कीमत क्या हो सकती है जो एक लाख रुपए बढ़ाने की बात है इस पर सरकार विचार करेगी और जो कुछ हो सकता है करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस सूचना पर श्री श्याम देव राय चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इसे निरस्त करता हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसमें एक बात माफी के साथ कहना चाहूंगा जैसा कि विदेशों में एन०जी०ओ० काफी संख्या में है चाहे शहरों की सफाई हो या अन्य कोई बात । पेरिस एक समय दुनियां का सबसे गन्दा शहर माना जाता था लेकिन वहां के लोग बैठे और उन्होंने फैसला लिया कि हमें अपने शहर को सुन्दर और अच्छा बनाना है उन्होंने अपनी एक संख्या बनाई और उन्होंने अपने शहर को खुद अपने हाथ से सुन्दर और अच्छा बनाया इसी तरह का कोई सुझाव हो सकता है । पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में इस तरह की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है । सरकार के अलावा भी कुछ ऐसी संस्थाएं है जो इस तरह की जिम्मेदारी ले सकें उसमें अगर मल्लाहों की मदद की आवश्यकता होगी तो जरूर लेंगे, मैं इसके पक्ष में हूँ।

* श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, चाहे पक्ष हो या विपक्ष सब इस बात से सहमत होंगे कि आज प्रदेश में सबसे विकराल और ज्वलन्त समस्या बेरोजगारी की है । लाखों नवजवान बेरोजगार है । लाखों नवजवानों की हर सुबह एक चुनौती के रूप में गुजरती है । उनके भविष्य के बारे में कोई नीतिगत नियम नहीं है । इस प्रदेश में अगर फर्स्ट क्लास टापर लड़का है, गोल्ड मेडिलिस्ट है, उसको भी 50 रुपये रोज की मजदूरी की गारन्टी नहीं है । आज जितने उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार लड़के हैं वे मानसिक रूप से कुंठित हैं । विभिन्न तरह के नशे के शिकार होते चले जा रहे हैं । इस समस्या पर पिछले दिनों सरकार ने बहुत बड़ा मानवीय रुख अख्तियार किया था पिछले सत्र में कि हम बेरोजगार लड़कों को बेरोजगारी भत्ता देंगे । श्रीमन् वह घोषणा सिर्फ पेपर तक रह गई । आज भी सुबह मेरे पास कई बेरोजगार लड़के आये थे कि क्या हुआ बेरोजगारी भत्ते का ? मैंने कहा कि उसका तो कोई जिक्र है नहीं । उन्होंने कहा कि प्रदेश से लेकर आप तक सबकी व्यवस्था तो हो गई । हमने कहा कि आपकी बात को हम जरूर उठायेंगे ताकि सरकार आपकी भी कुछ व्यवस्था करे । श्रीमन्, वह बेरोजगार लड़के इस सरकार से उम्मीद पाले हैं और श्रीमन् कई तरह के माफिया इस प्रदेश में हैं । श्रीमन्, कोई अपराध करता है ? कोई ठेकेदारी में रंगदारी कमीशन लेता है । एक तरह के माफिया और हैं जो शिक्षा माफिया हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

राम इकबाल जी, विषय आपने कुछ दिया है और बोल कुछ रहे हैं । नियम–56 में जो विषय आपने दिया था, आप उसके अलावा कुछ और बोल रहे हैं ।

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, मैं उसी पर बोल रहा हूं । यह तो भूमिका बता रहा था ।

श्री उपाध्यक्ष–

भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है । आप सीधे विषय पर आइये ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा इतना निवेदन है कि शिक्षक वर्ग को आप इतना खुलकर अपमानित न करें । शिक्षा माफिया कहकर शिक्षा प्रणाली को भी माफिया शब्द से न जोड़े । कहीं तो हम अपने शब्दों के बाण रोक कर रखें । जमीन के साथ माफिया कहें, बच्चे को उठाने वाले के साथ माफिया कहें, फिरौती वालों को अपहरण करने वालों को माफिया कहें लेकिन शिक्षा और शिक्षकों के साथ इस शब्द का प्रयोग न करें । यह अच्छा नहीं है ।

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, मैं विवाद में नहीं लाना चाहता लेकिन जो मैं कह रहा हूं वह बिल्कुल सही है । कुछ शिक्षा माफिया हैं । मैं शिक्षा माफिया उन गुरूजनों को नहीं कह रहा हूं, मेरा मतलब उनसे नहीं है । मैं आपसे कोई विवाद नहीं करना चाहता । मैं तो कह रहा था कि ऐसे लोग हैं जो कालेज चला रहे हैं पी०एच०डी० होल्डर लड़के, जो यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के मानक के अनुरूप हैं इनसे शिक्षा दिलाने का काम लिया जा रहा है । जैसे इंजीनियरिंग कालेज चलाये जा रहे हैं तो उसके लिये प्रदेश में सरकार के पास एक नीति है कि पूरे प्रदेश भर का एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट के अनुसार सारे छात्र लिये जाते हैं । बी०एड०, बी०पी०एड० और जो इस तरह की संस्थाएं चला रहे हैं उसके लिये इस तरह का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक रूल नहीं है । सरकार से हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में अच्छी शिक्षा के लिये प्रदेश भर का एक चयन वोर्ड बनायें और उसमें अधिक से अधिक वेस्ट छात्र चयनित हों न उसमें पढ़ाने वाले अध्यापकों का शोषण हो सके । श्रीमन्, 50 हजार रुपया, एक लाख रुपया बी०ए० के छात्रों से लिया जा रहा है । वित्त पोषित कालेजों में, लेकिन वहां पर पढ़ाने वाले अध्यापक जो हैं वह बेरोजगार हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी का अमूल्य समय लगाकर विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल की है उनका पूरी डिग्री के साथ चयन किया गया है लेकिन मान्यवर, उनको 2000 और 2,500 रुपये महीना मिलता है जबकि उनके जो रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं उसमें पांच हजार, दस हजार, आठ हजार रुपये पर कराये जाते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ऐसे लोग जो इन अध्यापकों का शोषण कर रहे हैं वह लोग इसको रोजी-रोटी का साधन बना लिए हैं तो ऐसे वित्त पोषित कालेज के सम्बन्ध में कोई नीति सरकार बनायेगी कि इन अध्यापकों को जो पेमेन्ट दिया जाता है, इनकी जो तनख्वाह है, उसको बैंक के माध्यम से कराने की व्यवस्था करा दें । जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वह मैनेजमेंट के रजिस्टर पर जो हस्ताक्षर करते हैं उनको वह पेमेन्ट नहीं दिया जाता है उससे कम पेमेन्ट दिया जाता है । इनके अलावा अगर मैनेजर के यहां शादी का काम है या और कोई कार्य होता है तो वह कार्य सभी अध्यापक करते है । मैनेजर चुनाव लड़ेंगे तो माइक बांधने का काम, प्रचार करने का काम इन्हीं अध्यापकों से वह कराते है । कोई राजनीतिक दल की सरकार इन अध्यापकों के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पाई है, वह अफसोस की बात है हर व्यक्ति आश्वासन देता आया है । सरकार को बच्चों की फीस भी बैंकों में जमा करनी चाहिए । क्योंकि छात्रों की फीस बताई कुछ जाती है, ली कुछ और जाती है । ऐसे अध्यापक जिनकी रोजी-रोटी नहीं चल रही है, आर्थिक संकट है कुछ छात्र मुझसे मिले भी थे, कुछ आज भी आए थे कई लोग हमारे साथ के हैं उनकी बेटियों की शादी फरवरी महीने में है वह भी कह रहे थे कि हस्ताक्षर और पेमेन्ट पर कराते है और पेमेन्ट दूसरा देते हैं ।

इस मानवीय समस्या की तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करे । आपने जिला उद्योग की घोषणा की थी बेरोजगारों में एक अच्छा संदेश गया था । बेरोजगारी भत्ते का जो सवाल है वह अलग सवाल है लेकिन प्रदेश में जो वित्त पोषित कालेज हैं पी०एच०डी०, नेट किए लड़कों का आर्थिक शोषण हो रहा है जो पैसा सरकार तय करती है जैसे मजदूरों का 65 रुपया तय किया है शिक्षण संस्थान में भी पढ़ाने वाले अध्यापकों का वेतन तय कर दिया जाए । नीचे की कक्षाओं के जो अध्यापक हैं उनका भी तय नहीं किया गया है जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल के अध्यापकों के लिए कोई गाइड लाइन सरकार के पास नहीं है । मैं सरकार से मांग करता हूं जो पेमेन्ट मैनेजमेंट देता है वह बैंक के माध्यम से दे वह अपने रजिस्टर में हस्ताक्षर कराकर पैसा कुछ और देते हैं और साइन कुछ और पर करते हैं, तो इसमें क्रान्तिकारी कदम उठाये जाने चाहिए । पेमेन्ट जो मैनेजमेंट दे वह बैंकों के माध्यम से दिया जाना चाहिए मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं सरकार की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं जो उचित कार्यवाही होगी वह सरकार करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

राम इकबाल जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह नियम–56 में यह नहीं आता है । इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है ।

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, इसको बैंक के माध्यम से करा दें । मान्यवर, बहुत कल्याणकारी कार्य होगा यदि आप बैंक द्वारा चेक से पेमेंट दे दें तो उनका शोषण बन्द हो जायेगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसका परीक्षण करा लेंगे । मान्यवर, बेरोजगारी कम करने के लिए घोषणाएं ही नहीं है, कहीं जगहें निकाली गयी हैं, कहीं भर्तियां शुरू हो गयी है और होने वाली हैं और जिस तरह से जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, कल जैसी घोषणाएं की गयी हैं, प्रधान से लेकर विधायकों तक को सहूलियतें मिल गयी हैं तो समाज के हर वर्ग को राहत मिले इसके लिए हम अग्रसर हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अगली सूचना श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय और श्री अनिल कुमार मौर्य की है । आप 2–2 मिनट बोल लें ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इस सदन में निश्चित रूप से माननीय सदस्यों द्वारा सूचनाओं के माध्यम से सुझाव आते हैं, हो सकता है कि सभी सूचनाओं पर चर्चा न हो पाये लेकिन यदि कोई जनहित की समस्या होती है तो हम उसे सदन में लाते हैं । विधेयक और घोषणाएं परिवर्तित भी होती रहती हैं । आज पूरे प्रदेश में एक बात का संकट है कि जो थोड़ी जमीन के लोग हैं यदि उनको दवा करानी है या बेटी की शादी के लिए पैसे की जरूरत है तो वह अपनी जमीन नहीं बेच सकते हैं, यह प्रतिबन्ध है । इसी प्रकार जो ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते और पार्ट में ऐसे लोगों से जमीन खरीद लेते हैं तो जब वह तहसील में दाखिल खारिज के लिए जाते हैं तो उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाता है और उसका बैनामा खारिज कर दिया जाता है । शहरों में तो 10 कड़ी, 5 कड़ी जमीन खरीद सकते हैं लेकिन देहातों में समस्या है कि यदि सवा तीन एकड़ से कम जमीन है तो बेच नहीं सकते हैं, यदि किसी ने पार्ट में जमीन खरीद भी लिया तो बैनामा भी रद्द हो जायेगा । इसलिए जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं किसी भी तहसील में पता कर ले, 500–600 बैनामें लम्बित पड़े है, वही जो लोग नाजायज पैसे दे रहे है, उनके पार्ट बैनामे को दाखिल खारिज हो जा रहे हैं । मैं स्वीकार करता हूं कि कोई व्यवस्था है कि फैगमेंटेशन न हो पाये, टुकड़े न हो पाये । लेकिन मान्यवर, यदि कम जमीन है, सवा तीन एकड़ है और वह अपनी बेटी की शादी के लिए या दवा के लिए उसमें से 10 बिस्वा निकालना चाहता है तथा दूसरी ओर जो व्यक्ति सवा तीन एकड़ जमीन खरीदने की क्षमता नहीं रखता और केवल 10 बिस्वा जमीन ही खरीदना चाहता है, उसे इस प्रकार के प्रतिबन्ध से काफी दिक्कत हो रही है । चाहे इधर के माननीय सदस्य हो या उधर के बैठे हुए माननीय सदस्य हों, हर तहसील में 500–600 प्रकरण इस प्रकार के पड़े है और उनके बैनामे खत्म हो रहे है कि आपने पार्ट में बैनामा ले लिया है । मैं चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में यदि कोई कानून या एक्ट बना है तो जो छोटे कास्तकार है, मौजूदा स्थिति में क्रेता और विक्रेता की स्थिति को देखते हुए उनके भी दाखिल खारिज हों । ऐसे प्रकरणों की एक लम्बी फेहरिस्त बन गयी है ।

मान्यवर, हमारे कई माननीय सदस्य बैठे हैं । रोज ऐसा हो रहा है । हम लोग भी कभी-कभी फंस जाते हैं 5-10 बिसवा लेना चाहें तो ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक मसला है इसमें बैकवर्ड, एस०सी० के ज्यादा लोग हैं । उन सबके बैनामे फंसे है । यह एक मसला है । इसमें ग्राह्यता या अग्राह्यता का सवाल नहीं है यह मैं मानवीय आधार पर लाया हूं । इसमें मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे तथा और लोगों का भी विचार ले लें । अगर इसमें निर्णय हो तो इससे प्रदेश में एक अच्छा मैसेज जायेगा । गरीबों को

राहत मिलेगी । एक व्यवहारिक रूप से परेशानी देहातों में पैदा हुयी है । इसमें विचार किया जाये । जब शहरों में 10-15 विस्वा का भी एप्लीकेशन होगा । राजस्व मंत्री जी बैठे हैं । अगर ऐसी व्यवस्था हो जाये तो निश्चित रूप से जो प्रदेश के गरीब लोगों के बैनामे के मामले पेंडिंग पड़े हैं उनको न्याय मिलेगा । हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों के भी विचार आ जाये तो बड़ी राहत होगी । इसकी ग्राह्यता होगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

मा० श्री जगदीश नारायण राय जी आप इससे कुछ अलग कहना चाहते हैं ।

श्री जगदीश नारायण राय–

जी मान्यवर । मान्यवर, इसमें एक एक्ट बना था प्रदेश के हित के लिए । वह तब बना था जब उसकी मंशा थी कि हमारे खेत के टुकड़े न होने पाये लेकिन आज परिस्थितियां बदल गयी हैं । विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में । यह सही है कि बैनामे होते हैं, गलत बैनामे तहरीर होते हैं । हम लोग चाहते हुए भी उस एक्ट के विरोध में कुछ नहीं कर रहे हैं । इसमें हम चाहते हैं कि विचार करें और इस एक्ट पर संशोधन लाने का विचार करें ।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, श्री सुखदेव राजभर तथा श्री जगदीश नारायण राय ने जिस समस्या का जिक्र किया है जैसाकि उन्होंने पहले ही कहा कि यह ग्राह्यता या अग्राह्यता का प्रश्न नहीं है बल्कि यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है । मैं इस सम्बन्ध में थोड़ी जानकारी आपके माध्यम से पूरे सदन को देना चाहता हूं । सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां औसत होल्डिंग 50 डिस्मिल के बाद से वहां 1/8 कड़ी की जो न्यूनतम बाध्यता है उसके नीचे किसी भी टुकड़े को बेचे जाने की बात है उसमें कबाला मंसूख नहीं हो रहा है । जो 168(ए) में प्रावधान है उस 168(ए) के चलते जो फ्रेगमेंटेशन में जो 1/8 से छोटा फ्रेगमेंट बेचता है वह हमारे ग्रामसभा में विलय हो जाता है । उसमें विक्रेता तो पैसे ले लेता है और क्रेता फंस जाता है । वह जमीन उसकी नहीं हो पाती है । यह शिकायत लम्बे समय से आ रही है । तहसीलों में इतना भ्रष्टाचार होता है कि जिन मामलों में रिश्वत ले ली जाती है । उसमें यह बात लिखी नहीं जाती है यह फ्रेगमेंटेशन है और लीपा पोती करके फाइल को पेंडिंग कर दिया जाता है । जिस मामले में रिश्वतखोरी नहीं मिलती है वह गांव सभा में विलय हो जाती है । एक बार फ्रेगमेंट में बैनामा कर दिया तो दोबारा वापस नहीं होता और वह गांव सभा में विलय हो जाता है तो यह बड़ी कठिन समस्या है । चकबन्दी की प्रक्रिया में जब छोटी-छोटी जोतों को लाभकर जोत बनाने की परिकल्पना के उद्देश्य से छोटी-छोटी जोतों को एक जगह करके बड़े जोत बनाने का काम किया । एक चक है उसमें अगर चक रोड या नाली है तो उसमें यह प्रभाव पड़ जाता है कि अगर फ्रेगमेंट बेच दिया जाता है तो एक हिस्सेदार के पास चक रोड और नाली दोनों हो जाती है और दूसरे के पास नहीं रह जाती है जिसके कारण उसका अपने खेत तक आने जाने में और फसलों को पानी देने में कठिनाई होती है । एक व्यतिक्रम यह है कि जो शहर के आस-पास नाजायज कालोनियों को बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो प्लाट खरीदता है तो उससे यह कहा जाता है कि 168(1) लगेगा बाद में यह कह दिया जाता है कि यह गांव सभा की जमीन है इससे किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है । 90 प्रतिशत से ज्यादा मामले आवासीय दर पर जमीन लेने वालों के हैं । तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह प्राविधान उसमें लगेगा या नहीं लगेगा उसके लिए सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और कानूनी हल इसका निकाला जायेगा । जो मामले लम्बित हैं जो रिश्वतखोरी की शिकायतें मिल रही है उसके लिए कैसे हल निकाला जाय इस पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है ताकि इसका हल बहुत जल्दी से निकल सके । आपको तो इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, एक कहावत है कि गांव में एक बुढ़िया थी तो उसने गांव वालों से कहा कि आपके रिश्तेदार अगर आये तो हमारे यहां से घी ले लेना हमारे पास घी है । एक दिन मेरा जैसा आदमी वहां पर पहुंच गया । उसने कहा कि हमारे यहां रिश्तेदार आये है थोड़ा सा घी दे दो । तो उसने कहा कि न हमारे पास गाय है और न भैंस हम घी कहां से दे दें । इसलिये इसका हम स्वागत नहीं कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रस्तुत सूचना पर माननीय सुखदेव राजभर जी, जगदीश नारायण राय जी और राजस्व मंत्री जी को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं। अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं।

* श्री नवाब सिंह नागर–

माननीय उपाध्यक्ष जी, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि दादरी में रिलायन्स कम्पनी विद्युत उत्पादन केन्द्र लगाने जा रही है। मान्यवर, इसका हम स्वागत करते हैं कि यह संयंत्र हमारे क्षेत्र में लग रहा है यह हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन कल ही माननीय मुख्य मंत्री जी इसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं और अभी तक एक इंच जमीन भी नहीं ली गयी है। किसानों को यह नहीं मालूम कि उनकी जमीन किस भाव में ली जायगी। सरकार उनके लिए पुनर्वास के बारे में क्या योजना बनायेगी, उसकी कोई नौकरी नहीं है, उनके बच्चों को जो नौकरी देने का प्राविधान है उसके बारे में संयंत्र में क्या स्थिति होगी, उसके बारे में कोई योजना नहीं है और मुख्य मंत्री जी कल वहां जा रहे हैं, पहले से ही जिला समाप्त होने के कारण वहां के लोगों में भारी तनाव है और लोगों में पहले से ही यह आशंका बनी हुई है कि कुछ औद्योगिक घरानों के लिए और उनको लाभ पहुंचाने के लिए ही यह जिला समाप्त किया गया है, गौतम बुद्ध नगर। मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था, मंत्री जी कैसे वाकआउट कर रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह पहले से ही तय था।

श्री नवाब सिंह नागर–

गौतम बुद्ध नगर में क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा होने की वजह से वहां का सर्किल रेट कुछ ज्यादा है और सरकार को ज्यादा मुआवजा न देना पड़े इसलिए गाजियाबाद को सम्मिलित किया गया है और यह आशंका सही साबित हो रही है, ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्री जी वहां जायें उससे पहले मैं चाहूंगा कि किसानों को मुआवजा देने के बारे में आज यहां घोषणा की जाय कि उनको नोएडा के बराबर मुआवजा देने की घोषणा करेंगे और वहां के आच्छादित परिवार हैं उनको पुनर्वासित करने की क्या योजना है, यह भी घोषणा करें और वशं के प्रत्येक परिवार को नौकरी देने की घोषणा करें और साथ ही जिला बहाली की भी घोषणा करें तो हम उनका स्वागत करेंगे। वहां पर बहुत भारी आक्रोश है जनता में इसलिए सरकार को इससे सम्बन्धित सारी घोषणायें पहले करनी चाहिए।

मान्यवर, कल जो एक औद्योगिक नीति की घोषणा हुई है उसने इस विषय में आग में घी डालने का काम किया है, उन्होंने कहा है कि जमीन जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए ली जायेगी उसमें किसानों के पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी और जो नौकरी देने की व्यवस्था है, वह भी समाप्त हो रही है। यह सरकार किसानों की बहुत हमदर्द होने की बात करती है, लेकिन आज वह कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है, ऐसी स्थिति में यह सरकार निश्चित तौर पर किसानों का शोषण करने का काम कर रही है। मान्यवर, हमने जो आपके माध्यम से निवेदन किया है, सरकार उनके बारे में घोषणा करे वरना वहां पर उनको जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। मान्यवर, किसानों के पास केवल एक जमीन ही होती है, यह उनकी मां है, इसी से वह अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं, इसके जाने के बाद वह दर-दर भटकेंगे, अगर उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली तो वह क्या करेंगे ? यह बहुत ही दुःखद स्थिति होगी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से निवेदन करता हूं कि मुख्य मंत्री जी के वहां जाने के पहले, वह इस सम्बन्ध में घोषणायें करें और सरकार इस पर चर्चा करे, जिससे यह विषय हल हो जाये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने स्वयं अपनी सूचना के बारे में जो बातें कही हैं, उससे यह तय हो जाता है कि यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है । सरकार की सभी नीतियों के बारे में, औद्योगिक नीति के बारे में और सरकार के जो सुविचारित फैसले थे, जिसमें नोएडा सहित नौ जनपद और चार मण्डलों को समाप्त किये जाने की घोषणा थी और सरकार के सुविचारित फैसले के बारे में महज यह इनकी प्रतिक्रिया मात्र है । मान्यवर, इस सूचना की कोई तात्कालिकता नहीं है न ही यह लोक महत्व की है, नियम–56 से इसका कोई सन्बन्ध नहीं है, इसलिए इस सूचना को निरस्त करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कल माननीय मुख्य मंत्री जी वहां भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, उन्होंने यह कहा है कि भूमि वहां है नहीं । तो जिस काम के लिए आप वहां भूमि पूजन करने जा रहे हैं तो जब भूमि वहां है नहीं तो क्या भूमि पूजन हेलीकाप्टर में होगा या फिर कहां होगा, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ? अगर भूमि वहां है तो वह एक्वायर की गयी होगी । मान्यवर, आप वहां के स्थानीय विधायक हैं आप सूचना दे रहे हैं कि वहां भूमि नहीं है उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए कल भूमि पूजन होने जा रहा है । मान्यवर, तात्कालिकता इसकी यह है कि कल ही सदन में इसकी उद्योग नीति की घोषणा हुई है । मेरा यह जानना है कि जिन लोगों की इसमें भूमि ली जायेगी उसका किस प्रकार से अधिग्रहण करेंगे कोई रोजगार उन लोगों को दिया जायेगा । यह जो अधिकार किसानों का चला आ रहा था वह भी आपने समाप्त करने की कोशिश की है । आप किसानों पर जुल्म ढा रहे हैं । उनके अधिकार आप छीन रहे हैं । जो शंका आज व्यक्त की जा रही है कि जो आपकी औद्योगिक विकास परिषद् बनी है उसमें जितने निदेशक हैं, अधिकारी हैं, सदस्य हैं जिस नाम से भी आप उनको सम्मानित करना चाहें, यह आप उन्हें दें, लेकिन इस प्रदेश को किस प्रकार से बेचा जा रहा है यह विचार की बात है ।

मान्यवर, जमीन किसानों की जायेगी उन किसानों को रोजगार भी नहीं मिलेगा इससे ज्यादा अत्याचार की बात और क्या हो सकती है ? आज सारा किसान वर्ग आन्दोलनरत है । जो उनके समान अधिकार थे उनको आप समाप्त कर रहे हैं । यह महत्वपूर्ण विषय है । जो किसानों का आन्दोलन होने जा रहा है आप पुलिस और पी०ए०सी० बल के आधार पर गोली चलवा दें आपने औरैया में गोली चलवा दी, चाहे आप उनकी गिफ्तारी करवा दें, इसमें आप माहिर हैं । लेकिन जन भावनाओं का आदर करते हुए वहां कोई बात कहें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी किसान को एक इंच भूमि उसको समुचित मुआवजा दिये बगैर नहीं लेंगे । मान्यवर, उद्योगों के लिए जिस भूमि का अधिग्रहण होना है, माननीय सदस्य भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है कि बगैर भूमि की व्यवस्था हुए कोई उद्योग का संयंत्र कहीं लग सकता है और मान्यवर, अगर यह उद्योग नहीं लगेंगे तो प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है । आज विकास के दौर में प्रदेश पिछड़ा हुआ है और उसका स्थान 17वें या 19वें स्थान पर है ।

मान्यवर, विकास के प्रति जो हमारी दृढ़ संकल्पता है उस संकल्प से यह सरकार विचलित होनी वाली नहीं है । अगर कहीं कोई एक प्रापर्टी डीलर का मामला फंस रहा है जो किसान की जमीन को सस्ते में लेकर उसे 20 गुने अधिक दाम में बेचना चाहता है और जिसमें केवल एक व्यक्ति का हित

प्रभावित हो रहा हो तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता । लेकिन जहां तक किसानों के हित की बात है उसमें हमारी सरकार कृत संकल्प है कि उसकी एक-एक इंच भूमि का मुआवजा दिया जायेगा और विकास किया जायेगा । मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश में विकास परिषद् का गठन हुआ है वह एक ऐतिहासिक फैसला है । लोग आने वाले दिनों में याद करेंगे कि माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार के इस फैसले से, जिसमें उत्तर प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश बनाने का संकल्प लिया गया है । कितने विकास के कार्य किये जा रहे हैं और कितना निवेश हमने आमंत्रित किया है ।

आपने तो विकास की योजनाएं नहीं बनाई केवल विदेशी पूंजीपतियों के आकर्षण में आप रहे । हमने प्रयास किया है कि उनके चंगुल में यह प्रदेश न फंस जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आप देखें जवाब क्या आ रहा है और हम क्या कह रहे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं एक आईना रख रहा हूं । यह तात्कालिक नहीं है और कोई सुनिश्चित विषय नहीं है इसलिए इसे नियम 56 में अग्राह्य करने का कष्ट करें ।

* नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, यह उचित प्रश्न है कि जहां भूमि पूजन की जा रही है क्या वह जमीन एक्वायर कर ली गयी है और वह जमीन आपके पास है जिस पर भूमि पूजन करने जा रहे हैं या यह केवल एक संदेश है कि भूमि पूजन हो गया । दूसरी बात आज अखबारों में जो समाचार छपा है उसमें यह स्पष्ट है । जिसकी जमीन एक्वायर की जाती है उस किसान के परिवार के एक बेटे को रोजगार दिया जाता था, नौकरी दी जाती थी । अगर कोई कारखाना बन रहा है तो उसमें नौकरी और पुनर्वास होता था वह नहीं होगा तो किसानों का जो फंडामेन्टल राइट्स है जिसने उस भूमि के ऊपर जिन्दगी भर खून पसीना बहाया है और उसको आज ये ले रहे हैं, फिर उद्योग के लिए ले रहे हैं तो उसका वह अधिकार तो बना रहे । यह 2-3 प्रश्न जो है इसका उत्तर देने के वजाय ये भाषण दे रहे है । इसकी तात्कालिकता क्यों नहीं है कल भूमि पूजन होने जा रहा है आज ही यह घोषणा अखबार में आई है कल घोषणा इन्होंने की है इससे ज्यादा तात्कालिक नहीं होगा । लोकमहत्व का इससे ज्यादा क्या होगा कि किसानों का यह अधिकार हमेशा के लिए छीनने जा रहे हैं कि किसानों की जमीन ली जायेगी और उनकी वैकल्पिक व्यवस्था और पुनर्वासन नहीं होगा इससे ज्यादा लोकमहत्व का और क्या होगा । अविलम्बनीय इससे ज्यादा क्या होगा कि कल भूमि पूजन करने जा रहे है । आज आपके पास कोई जमीन नहीं है अगर है तो बताये कि कहां भूमि है, कितनी भूमि है और किस रेट की है और किसानों को मुआवजा देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं तो नेता विरोधी दल के सामने जीवनपर्यन्त एक छात्र के रूप में रहूंगा उनसे सीखना ही है । आज उनसे मैं एक नई चीज सीखना चाहता हूं । मान्यवर, नियम 56 के मामले में रकबा क्या है, खसरा क्या है और उस खसरे पर किस रेट से मुआवजा दिया जा रहा है । मान्यवर, नियम 56 के माध्यम से सूचना के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर लेने की एक नई परम्परा कहां से हो गयी ?

(श्री हुकुम सिंह जी के बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अब आप सीखने भी नहीं देंगे आप लजाते क्यों है ? मान्यवर, प्रतिपक्ष इतना लज्जित हैं कि हमारा उत्तर भी सुनने की स्थिति में नहीं है । मेरा उत्तर ले लीजिए मैं उनका छात्र हूं । मैं सुनने की बात कर रहा हूं । इतनी विनम्रता से हुकुम सिंह जी को कह रहा हूं । इनको करने दीजिए यहां भी बरगलाने की बात करते थे और वहां भी वही कर रहे हैं ।

मैं नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि नियम–56 के माध्यम से नहीं प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न में खसरा नम्बर पूछते, मुआवजा का रेट पूछते तो मैं अनुपूरक में बताता । मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं नियम–56 के माध्यम से जो सूचना दी गयी है उसके बारे में मैंने निवेदन किया कि सरकार एक इंच जमीन भी बिना मुआवजे के नहीं लेगी, किसी ऐसी भूमि पर भूमि पूजन नहीं करेगी जो दूसरे की भूमि हो, जो उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहीत होगी उस पर भूमि पूजन किया जायेगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह नियम–56 में नहीं आती है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य, माननीय हुकुम सिंह, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर आता हूं कि नियम–56 में यह सूचना नहीं आती है ।

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के वेल में आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में व्यवधान बना रहा)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन को अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री नवाब सिंह नागर तथा श्री मुंशी लाल गौतम सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाते रहे)

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को आधे घन्टे के लिये स्थगित करता हूं ।

(इसके बाद 12 बजकर 55 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने 1 बजकर 25 मिनट तक के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी । 1 बजकर 25 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा० उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 40 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 1 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 21 फरवरी, 2004 को हुयी अपनी बैठक में दिनांक 21-02-04 की सदन की कार्य-सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किये जाने की सिफारिश की है :–

1–उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) (विधेयक), 2004 पर विचार एवं उसका पारण,

2–उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार एवं उसका पारण,

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ)

लखनऊ स्थित विधायक निवासों की स्थिति खराब होने एवं इसके सुधार हेतु विधान सभा सचिवालय द्वारा अनुरक्षण कार्य कराये जाने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत दो सूचनायें हैं । पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी की है । अगर आवश्यक समझें तो एक मिनट में अपनी बात रख दें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने विधायकों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे विशेष उल्लेख के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया । मैं इस सूचना के माध्यम से विधायक आवासों की दुर्दशा की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । विधायक आवासों की स्थिति यह हो गयी है कि अनधिकृत लोगों, आपराधिक तत्वों का कब्जा है और दिन भर निर्वाध आवागमन बना रहता है । मान्यवर, दारूलशफा विधायक आवास में दो छोटे-छोटे कमरे विधायकों को दिये गये है जिससे कठिनाई होती है । मेरा यह निवेदन है कि आपकी अध्यक्षता में संयुक्त आवास समिति बनी हुई है या तो वह समिति इस पर विचार कर ले या माननीय नेताओं की बैठक मुख्य मंत्री या माननीय अध्यक्ष जी बुला लें उसमें विचार हो जाये कि विधायक आवासों में विधायकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के आवंटन नहीं होंगे तथा जो निर्वाध आवागमन है उस पर रोकथाम हो और विधायक आवासों का आवंटन विधान सभा सचिवालय में निहित हो जाये ।

माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं, माननीय विधायकों की बीमा होनी चाहिए वह अपने वेतन भत्तों से उसका प्रीमियम जमा करें और जब तक वह विधायक हैं उनकी बीमा रहे ।

मान्यवर, मैंने एक पत्र के माध्यम से आग्रह किया था कि लोक सभा में वहां के अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्रेस की व्यवस्था है, विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के ड्रेस पर विचार कर लें ।

माननीय मुख्य मंत्री जी यहां विराजमान है, विधान सभा के बजट सत्र में अधिकारी/कर्मचारी काम करते हैं उनको पिछली बार मुख्य मंत्री जी की कृपा से कुछ मिला था । मैं चाहूंगा कि मा० मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में भी विचार कर लें ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

चूंकि माननीय नेता सदन यहां मौजूद हैं, दो प्रश्न हैं एक तो दारुलशफा से सम्बन्धित है दूसरा यह है कि विधायकों को निवास आवंटन करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को मिल जाये । मान्यवर, क्योंकि यह बहुत से मामलों से जुड़ा प्रश्न है और इस सिलसिले में नेता सदन की अध्यक्ष जी से बात हुई है, इसे फिलहाल विचार के लिए नेता सदन पर छोड़ना बेहतर होगा, वह निर्णय ले लेंगे । दूसरे यह हमारे साथी नीली वर्दी वाले भी हैं, उनके लिए हमारे नेता सदन ने फर्माया कि कुछ बढ़ाकर, जो हर साल दिया जाता है या जो तरीका रहा है उससे कुछ न कुछ बढ़ाकर 10 परसेंट बढ़ाकर दे दिया जाये ।

यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों पर हुई फायरिंग की रिपोर्ट पंजीकृत न किये जाने की शिकायत

* श्री विवेक बंसल–

मान्यवर, माननीय नेता सदन उपस्थित हैं मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों पर फायरिंग हुई और उसको चोटें आयी तथा उसको अस्पताल में एडमिट किया गया लेकिन मान्यवर, इस मामले की रिपोर्ट पंजीकृत न हुई । 14 जनवरी को डी०एम० ने मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी बैठा दी थी और कहा था कि रिपोर्ट दर्ज होगी लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं हुई है । मान्यवर, जब ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकी तो आम आदमियों का क्या होगा ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इन्टेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इंटेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 पर विचार किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय बाजपेयी जी और माननीय हुकुम सिंह जी, आप कुछ संशोधन पर कहना चाहते हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं उम्मीद तो यह करता हूं कि यह जो बिल पेश किया गया है आखिर इसकी मंशा क्या है ? जो उद्देश्य लिखा गया है उसकी ओर मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, इसके उद्देश्य और कारण में लिखा गया है कि "इंटेग्रल प्रौद्योगिक संस्थान, लखनऊ जो इस्लामिक काउन्सिल फार प्रोडक्टिव एजूकेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित की जा रही है और चलायी जा रही है, विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान कर रहा है । इस्लामिक काउन्सिल फार प्रोडक्टिव एजूकेशन, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक पंजीकृत अल्पसंख्यक सोसाइटी है, ने उक्त संस्थान, इंटेग्रल प्रौद्योगिकी संस्थान को उसके समस्त विद्यमान भवन, कार्यशाला, प्रयोगशालाओं और अन्य अवसंरचना आदि, जो अब तक उसके कब्जे में हो सहित प्रस्तावित विश्वविद्यालय में विलय करके इंटेग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम से एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय स्थापित करने और निगमित करने के लिए प्रायोजित किया है ।"

मान्यवर, सम्भवतः चुनाव को देखते हुए या कुछ राजनीतिक कार्यों से माननीय मुख्य मंत्री जी एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहे हैं जो समाज को अनावश्यक रूप से तोड़ने का काम कर रहे हैं । एक लम्बी कसरत के बाद देश के माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस पूरे देश में एक सौहार्द का माहौल बनाया गया है, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसकी प्रशंसा चारों ओर की जा रही है । तनाव को कम करके एक माहौल बनाया । प्रयास यह होना चाहिए कि सभी वर्गों के लोग आपस में मिलजुल कर रहें कोई ऐसा कदम न उठायें जिससे एक दूसरे के प्रति सन्देह हो । एक संस्था है वह संस्था 1860 के एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है । वह अपना काम कर रही है करती रहे यह स्वागत योग्य है इसके काम करने में जो भी सहयोग दिया जा सके दिया जाए । लेकिन एक विधेयक लाकर उसे विधान मण्डल में पारित कराकर उस संस्था के सारे अधिकारों को उसमें समाहित करके केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता है ।

विश्वविद्यालय सारे समाज के लिए होना चाहिए । आज के युग में 2004 में अगर हम मुस्लिम विश्वविद्यलय, क्रिश्चियन विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे तो समाज को बांटने का काम करेंगे । मैं इस सम्बन्ध में कोई कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा लेकिन मुझे पीड़ा है । आज इस समाज में अल्पसंख्यक नाम से, बहुसंख्यक नाम से विभाजित करने का काम न करें । इस विधेयक को जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । संविधान के अनुच्छेद 30 में प्राविधान है कि अल्पसंख्यक अपने चिकित्सा संस्थान या विद्यालय स्थापित कर सकते हैं पिछड़े वर्ग की रक्षा के लिए भी यह प्राविधान है लेकिन स्थापित तो वह करेंगे उसमें कहीं यह प्राविधान नहीं है न ही उसकी यह मंशा है कि हम विधान मण्डल दल में कानून पास करके केवल एक वर्ग विशेष के लिए कोई विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते हैं । यह कहीं प्राविधान नहीं है । संविधान की धाराओं, संविधान के अनुच्छेदों की मंशा के प्रतिकूल यह विधेयक लाया गया है । आपने संविधान निर्माताओं के विचार को

पढ़ लिया होता कितने कठोर परिश्रम से संविधान का निर्माण किया उनके विचारों को पढ़ लिया होता तो इस प्रकार का विधेयक न लाये होते जिससे यह सन्देश जाए कि विधान मण्डल दल केवल एक वर्ग विशेष के लिए किसी संस्था को स्थापित करने जा रहा है । इंटेग्रल प्रौद्योगिकी संस्था लखनऊ का विघटन कर दिया जाएगा वह रजिस्टर्ड संस्था है । उस रजिस्टर्ड संस्था का विघटन किस प्रकार करेंगे रजिस्ट्रेशन आफ सोसायटी एक्ट में जो प्राविधान है उसका पालन करते हुए क्या विघटन सम्भव है । आप विघटन करके हित नहीं अहित कर रहे हैं । जिन्होंने श्रम करके अपने परिश्रम से किसी संस्था को स्थापित किया है उसका रजिस्ट्रेशन कराया है और वर्ग विशेष के विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम कर रहा है उनके अधिकारों को छीनकर आप कानून के माध्यम से फिर एक संस्था स्थापित करने का काम कर रहे हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा अधिकार आपको है जिस अधिकार के तहत रजिस्टर्ड संस्था को विघटन के लिए विधेयक लेकर आये हैं । अभी तक शायद कोई संस्था इस देश में नहीं है जो सरकारी एक्ट के द्वारा स्थापित की गयी हो जिसमें यह अधिकार दिया गया हो कि प्रवेश के लिए आरक्षण दिया जाएगा । विश्वविद्यालय सबके लिए होता है आप यह कर सकते हैं कि मेरिट आधार होगा.....

अल्पसंख्यक, हज राज्य मंत्री (श्री हाजी याकूब)–

यह संविधान की बात कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जाएं ।

श्री हुकुम सिंह–

आप देख लें कोई अधिकार इस तरह का है ? केवल मजहब के आधार पर छात्र का आरक्षण आप देंगे । मैं इस बिल को पढ़कर सुना रहा हूं । इसमें प्राविधान है कि 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था आपने कर दी । 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है । लेकिन दूसरे वर्ग के जो लोग हैं वे किस आधार पर आयेंगे । वास्तव में यदि आपके इरादे साफ हैं केवल एक वर्ग विशेष में पैदा करने की बात नहीं है तो उस हिसाब से इसको करना चाहिए कि विश्वविद्यालय सबके लिये होगा सारे छात्रों को उसमें प्रवेश लेने का अधिकार होगा और एक अच्छी शिक्षा की तरफ आपका कदम होगा तो मैं मानूंगा । मेरी तीन आपत्तियां हैं । पहली तो यह है कि यह संविधान के प्रतिकूल है । दूसरा यह है कि संविधान में कहीं वह कोई प्राविधान नहीं है कि कोई विश्वविद्यालय एक वर्ग विशेष के लिये स्थापित हो सकता है । तीसरी आपत्ति यह है कि जब एक संस्था पहले ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कार्य कर रहा है, वह स्वयंसेवी संस्था है उसके सारे अधिकारों को लेकर आप कानून के माध्यम से इसको स्थापित करने जा रहे हैं । यह संविधान की मंशा के अनुरूप नहीं है । मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको देश की चिन्ता है, सबकी भावनाओं के प्रति आप गम्भीर है तो उसके अनुसार कार्य करें केवल वोट बटोरने के लिये तोड़ने की बात न करें, जोड़ने की बात करें । (एक सदस्य के कुछ बोलने पर) कल माननीय मंत्री जी जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था । एक अच्छी बात कही गयी कि जब सुचारू रूप से काम चल रहा हो और किसी बैंड का म्यूजिक बज रहा हो तो एक आवाज आती है । इस सदन में भी एक आवाज आती है, वह आवाज अलग होती है । क्या तर्क है, क्या विषय है ? इसके बारे में जानकारी न हो लेकिन बोलने के लिये खड़े जरूर हो जायेंगे बीच में ।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

हम आपके इरादे जानते हैं । मैं भी काफी समय से इस सदन का सदस्य हूं । आपने बड़ी जगह पाकर अपनी मनमानी की है ।

(डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर तीन लोगों के हस्ताक्षर हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

अभी तो प्रस्ताव ही प्रस्तुत नहीं हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया एक मिनट में कह दे गौर साहब ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय नेता सदन उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं । कुछ दिन पहले यहां सदन में एक बात कही थी कि बी०जे०पी० ने गुड फील की बात कही है । यह अंग्रेजी राज है । यह पहला विरोध यही है कि यह जो विधेयक है इसमें इंट्रेग्रल शब्द हिन्दी का नहीं अंग्रेजी का है । अभी हुकुम सिंह जी ने कहा कि कोई भी शिक्षण संस्थान .....

श्री उपाध्यक्ष–

गौर साहब अभी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ और आप भाषण देने लगे ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

ठीक है, पहले प्रस्ताव रखवा लीजिये ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इंट्रेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह में अपनी रिपोर्ट दे । सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रस्ताव इनकी तरफ से आया था कि उस पर विचार किया जाय तो हम भी कुछ विचार रख रहे थे । विचार करने का प्रस्ताव आया था संशोधन का प्रस्ताव तो अब रखा है ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, इस विधेयक के पृष्ठ–5 और क्रमांक 6 पर स्पष्ट दिया है कि विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग और प्रत्येक वंश, मत, जाति और वर्ग के व्यक्तियों के लिये होगा । और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए अध्यापक या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें, उसके बाद कहा है कि–'परन्तु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे आरक्षण के लिए समुचित उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी जो पचास प्रतिशत से अनधिक हो । इस सम्बन्ध में कितने आरक्षण संशोधन हैं उसमें 50 प्रतिशत आरक्षण है वह अनुसूचित जाति के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए है । 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक के लिए बात कही गई है, शिक्षण संस्थान किस स्तर का हो

वहां मेधा के आधार पर प्रवेश होना चाहिए, धर्म के आधार पर प्रवेश नहीं होना चाहिए । मैं भी शिक्षा मंत्री रहा हूं उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में मैंने देखा कि अच्छे लोग अल्पसंख्यक के आधार पर नियुक्त नहीं हो पाते हैं । अल्पसंख्यक है इस आधार पर नियुक्ति हो जाती है इससे शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होती है यह जो 50 प्रतिशत का आरक्षण है यह अगर मेधा के आधार पर किया जाएगा तो शिक्षा अच्छी होगी । शिक्षा व्यवस्था ठीक रहेगी इसलिए हम चाहते हैं कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए ।

(समय 2.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, जो विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 है इसमें कुलपति का कार्यकाल तीन वर्ष का है इसमें पांच वर्ष का है अगर इस तरह से विश्वविद्यालयों में अन्तर किया जाएगा तो यह सही नहीं है । टर्म एक होना चाहिए । एक बात और कहना चाहता हूं उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा किंग जार्ज डेन्टल विश्वविद्यालय जो बनाया जाए वह सोच समझकर बनायें जो प्रदेश के शिक्षाविद हैं उनसे समग्र रूप से विचार करके इसको किया जाए । मान्यवर, 25 शिक्षक और 60 छात्र हैं इसलिए मैं प्रस्तुत पूरे विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने की मांग करता हूं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यह जो इंटेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 है मैं सुझाव दे रहा हूं इसमें लिखा है कि–'मुस्लिम अल्पसंख्यकों को उनके उत्थान के लिए सभी आधुनिक और श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान कर भारत के समग्र विकास की मुख्य धारा में लाया जाना, इस विधेयक से कतई असहमत नहीं है । अल्पसंख्यक में सिक्ख, ईसाई, जैन सभी आ जाते हैं, आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है समाज में, इसमें मुस्लिम आरक्षण के लिए अलग से व्यवस्था नहीं है जो मूल आरक्षण व्यवस्था है उसमें समावेश कैसे होगा, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक लिखा है, मेरा कहना है, अल्पसंख्यकों के लिए सिक्ख, ईसाई, जैन दिया है । 50 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त ईसाई, सिक्ख, जैन भी लिखा हुआ है इसको देख लें ।'

नेता, विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, अल्पसंख्यक को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मौका दिया जाए, सरकार इसको संरक्षण दे इसमें आपत्ति या मतभेद नहीं है लेकिन जो काम हो वह संविधान की आत्मा के अनुसार हो, इसमें बराबरी का हक हो । कोई मजहब के आधार पर सरकार बनाए, उसके नाम से संस्था विख्यात हो जिस तरह से इसको बनाया जा रहा है इसमें सरकार की तरफ से मांग आती कि आप विश्वविद्यालय को बनाना चाहते हैं उसकी अनुमति लेने की बात थी इसमें अगर मुसलमान भाइयों के लिए कहें तो क्या विश्वविद्यालय और नहीं बने थे लेकिन क्या वह मुसलमानों के लिए थे क्या हिन्दुओं के लिए विश्वविद्यालय अलग से बना था लेकिन उसमें क्या केवल हिन्दू ही पढ़ें, उन्हीं के नाम पर संस्था हो ? कम से कम आपको सर सैयद के नाम को याद रखना चाहिए कि उन्होंने अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए कितना बड़ा काम किया था लेकिन उसमें तुष्टीकरण की बू नहीं थी । आज लोग फक्र करते है कि वह इस विश्वविद्यालय के छात्र रहे है ।

मैंने अनेकों मुस्लिम मित्रों से गर्व से कहते हुए सुना है कि वह काशी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं । इसी तरह हिन्दुओं से भी यह कहते हुए सुना है कि वह अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़े हैं । कोई शिक्षा संस्था मात्र एक शिक्षा संस्था होती है, वहां पढ़ने वालों में उसके प्रति प्रेम होता है । कल उनके

नाम पर अलग अस्पताल बनेगा, कल जब वह अपराध करेंगे तो उनके लिए अलग जेल हो जायेगी, कल उनके लिए अलग अदालत हो जायेगी, अगर हमारा दृष्टिकोण इस तरफ जायेगा तो वह बहुत ही घातक है । किसी को हमेशा इस बात का भय नहीं करना चाहिए कि कौन इसको पसन्द करेगा और कौन पसन्द नहीं करेगा । लेकिन जो चीज समाज के हित में न हो रही हो तो उस समाज में बैठे हुए लोग दोषी हैं, पापी हैं । आप इस पर पुनर्विचार कर लीजिए । धीरे-धीरे देश में जो एक सद्भाव बन गया है, देश में ही नहीं सीमा के पार तक सद्भाव बन रहा है, ऐसे कार्यों से उस पर कहीं न कहीं चोट पड़ रही है । आप खास एंगिल से ऐसा कर रहे हैं । लेकिन हमारी मंशा ऐसी नहीं है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जायें । आप सर्विस में देखें, कितना परसेण्ट कम होता चला जा रहा है, क्या यह यूनीवर्सिटी उसे पूरा कर सकती है ? जहां पर कठोर एजूकेशन का सिस्टम नहीं होगा, लोग डिग्री लेकर घूमते रहेंगे, वह कम्पटीशन में नहीं आ पायेंगे । इसलिए इसे प्रवर समिति को सौंप दे या एक बार फिर विचार कर लें । आज पास करा ही लेंगे, हम विरोध करेंगे तब भी । हमेशा हम एक सद्परामर्श देते है, आज भी दिया है । जो बात मैंने कही है, अध्ययन कर लें । आजम साहब, सर सैयद को पढ़ लीजिए ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

वही पढ़े है ।

श्री लालजी टण्डन–

वहां पढ़े हैं लेकिन सर सैयद को नहीं पढ़ा है किस भावना से उन्होंने यूनीवर्सिटी को बनाया था । यहां पर जितने लोग बैठे हैं, मुलायम सिंह जी पार्लियामेन्टेरियन हैं, लेकिन सब लोग नहीं बन जायेंगे । मैं तो केवल एक बात कह रहा हूं, अपने हृदय के ऊपर हाथ रखकर, अपनी अन्तर्रात्मा में झांक कर देखें, कहां-कहां से मांगे उठेगी, कहां तक आप पूरी करेंगे । आज समस्या पैदा हो रही है, कितना बदलाव समाज में आ गया है, चिन्तन में आ गया है, यदि इस तरह की बातें फिर से शुरू होंगी तो यह किसी के हित में नहीं है । आप 200 यूनीवर्सिटी खोल दें, अरबी और फारसी यूनीवर्सिटी खोल रहे हैं, जहां-जहां यह डिपार्टमेंट है, वह बन्द होते जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप तो कभी भी बोल सकते हैं । मुख्य मंत्री जी को किसी विशेष कार्य से जाना है ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री के प्रति पूरी शिष्टता रखता हूं जब यह जो कहते है मैं कर देता हूं ।

(हंसी)

मैं इस समय उन्हें समझा रहा हूं वह ठीक से इसे समझ रहे है । मत जज्बातों में जाइये । आप लोहिया जी को, आचार्य नरेन्द्र देव जी को स्मरण करिये जो कि बहुत बड़े सेक्युलरवादी थे उन्होंने क्या किया । आप इस पर एक बार पुनः विचार कर लीजिए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जो भी शकोशुबात रखे गये है माननीय सदस्यों की ओर से और माननीय नेता विरोधी दल की ओर से, मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह सारे शकोशुबात निरर्थक हैं और पूरे परीक्षण के बाद इसे तैयार किया गया है । आपकी इस जिज्ञासा का भी हल है जिसमें माननीय नेता विरोधी दल ने जानना चाहा है कि यह सरकार ने अपनी ओर से घोषणा की है कि या उनके लिए इन्स्टीटयूट से ऐसी कोई मांग हुयी है । इंटेग्रल शब्द अंगेजी का है और यूनिवर्सिटी शब्द भी अंग्रेजी का है

लेकिन हमारी कोशिश यह है कि पहचान के लिए हिन्दी की जिन्दगी के लिए हिन्दी की जगह हिन्दी को रखा जाये । हिन्दी को संस्कृत न बनाया जाये । इस तरह संस्कृत को संस्कृत की जगह रहने दिया जाय, उर्दू को उर्दू की जगह रहने दिया जाय, फारसी को फारसी की जगह रहने दिया जाये और अरबी को अरबी की जगह रहने दिया जाये । अगर उर्दू में फारसी का शब्द मिल जायेगा तो उर्दू की उर्दूइयत कम हो जायेगी । हमारे प्रदेश में लम्बी बहस होती है । उर्दू की लिपि बदल जाये, इसे देवनागरी में लिखा जाय । हिन्दी में ही इंटेग्रल विश्वविद्यालय लिखा गया है अंग्रेजी में नहीं लिखा गया है । जहां तक सर सैयद और मदन मोहन मालवीय जी का मामला है एक ही जमाने में अंग्रेजों की गुलामी के जमाने में उन्होंने हिन्दुस्तान के अशिक्षित लोगों को शिक्षा देनी चाही ताकि वह अंग्रेजों से लोहा ले सकें । वह जमाना था जब 1857 में पहली चिंगारी मेरठ में लगी थी । सर सैयद ने 'अस्बाबे बगावत ए हिन्द' में लिखा था । हिन्दुस्तान में बगावत क्यों हुयी ? सर सैयद ने कहा है कि मैं अपना वतन तब्दील करने वाला था लेकिन 1857 का गदर हो गया । बाहर संघर्ष में अपनों की लाशें थीं । मैंने अपना इरादा त्याग दिया । एक तरफ हिन्दुस्तान की पुरअमन सरहदों का जिक्र आया है । जब चाहें सरहदें नरम हो जायें । जब चाहें नवाज शरीफ के कारखानों से निकालकर शुगर खरीद लें । आखिर इतना पुरअमन कैसे हुआ यह बहस हो रही है बाहर । यहां यह चर्चा का मुद्दा नहीं है लेकिन आज हिन्दुस्तान–पाकिस्तान की सरहदों में पुरअमन है । लोकसभा के चुनाव सामने है । दोनों के हेड आफ स्टेट ने चुनाव के लिए माहौल बना दिया है । हमारी दुआ है कि यह माहौल बना रहे । यह माहौल सिर्फ चुनाव की तारीख तक न हो, चुनाव के नतीजे आने तक न हो ।

1942 तक अंग्रेज भी यही चाहते थे कि एक प्याली में खाने वाला हिन्दू-मुसलमान अलग हो जायें । दरअसल वही सबब बना हुआ है । सर सैयद अहमद खां तथा मदन मोहन मालवीय जी ने ठीक ही कहा था कि अंग्रेज हुक्मरान हमारी बरबादी के लिए हिन्दुस्तान आये थे और मैं इतिहास के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि वह जाने के लिए नहीं आये थे वह यहां पर गुलाम वतन बनाने के लिए आये थे और इसीलये उन्होंने मंसूरी, गोवा, बम्बई, दिल्ली, कनाट प्लेस और हजरतगंज बनाया था । वह क्यों गये ? वह इसलिए गये कि हिन्दू और मुसलमान एक प्याले में खाना खाने लगे थे । तब सर सैयद अहमद खां और मदन मोहन मालवीय ने अपनी-अपनी मसाइलों और शिक्षा की समस्या के हल के लिए अंग्रेजों से एक मांगे की । यह अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को मुसलमानों की समस्याओं के लिए नहीं, मदन मोहन मालवीय को हिन्दू समस्या के लिए नहीं, वह अंग्रेज बड़ा गैर मुनसिब था, उसने शहीद भगत सिंह को शहीद बनाने के लिए नहीं, अदालत में आवाज का बम फटा था, फांसी नहीं दी जा सकती थी उसमें पूरा कोर्ट ट्रायल हुआ था और पूरा मुकदमा सुनाया और फांसी के तख्ते पर लटका दिया था । अंग्रेज नहीं देना चाहता था । लेकिन याद रहे यह भी इतिहास रहा है, यह इंटीग्रल इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है, जब मदन मोहन मालवीय के लिए बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी बनी तो फिर सर सैयद खां के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है इसमें जो पहला मैडल, दूसरा मैडल और तीसरा मैडल मिला तो वह हिन्दू को मिला । यह भी इतिहास में रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो पहला ग्रेज्यूऐट निकला वह हिन्दू था । यह भी इतिहास रहा है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं केवल सैक्यूलर सोच है कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में फारसी और अरेबिक विभाग में मुसलमान विभागाध्यक्ष नहीं मिलेंगे लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कालेज में, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि साठ से सत्तर प्रतिशत तक के बच्चे हिन्दू धर्म के है । इंजीनियरिंग में 60 से 70 प्रतिशत बच्चे हिन्दू धर्म के मिलेंगे, साइंस में 60 से 70 प्रतिशत बच्चे हिन्दू धर्म के मिलेंगे । संविधान में धारा–29 के तहत माइनारटीज को अपनी-अपनी शिक्षण संस्थाओं का कायम करने का अधिकार मिला हुआ है । सरकार की यह पाबन्दी और जिम्मेदारी होगी कि उन शिक्षण संस्थाओं की मदद करे । लेकिन

इस विश्वविद्यालय के साथ यह शर्त रखी गयी है और उन लोगों का कहना है कि हमारे पास है, टण्डन जी तो लखनऊ का इतिहास और यहां की सभ्यता से किस हद तक वाकिफ है यह पता नहीं लेकिन इसका पहला पत्थर इसकी संगे बुनियाद मौलाना अली मियां ने लगायी थी । वह एक ऐसी शख्सियत थी जो पूरे हिन्दूस्तान की आबरू बनी जिसने पूरे हिन्दूस्तान में पहचान बनायी । ऐसे नेक फखीर और वलीय ने नीव का पत्थर लगाया था । इस नेक बुजुर्ग ने दामन फैलाकर हाथ फैलाकर आप देखें, कितने बड़े-बड़े इंजीनियरिंग कालेज खड़े किये गये है । यह जो इजारा है वहां पर भारी संख्या में हिन्दू धर्म के बच्चे पढ़ते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी अधिकार इस विश्वविद्यालय को प्राप्त होगा वह उत्तर प्रदेश विधान सभा से नहीं, यू०जी०सी० से प्राप्त होगा और इसमें सरकार का एक पैसा भी नहीं लगना है । इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे शकोशुबह और शंका की जाय । अगर मुसलमान पढ़ लेंगे तो यह जुम्मा की नमाज तो है नहीं । क्या मुसलमान को धरती का बोझा रखा जायेगा । क्या हिन्दुस्तान की आबादी का चार/पांच हिस्सा जाहिल रखा जायेगा, अपाहिज रखा जायेगा । वह भी देश की तरक्की कर सकता है । इसमें एक पैसा भी उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं देना है । देना है तो सिर्फ नाम देना है ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं, कि समाज के एक उपेक्षित वर्ग को अगर शिक्षा मिल जाय तो बी०जे०पी० को क्यों कष्ट हो रहा है ? अगर इनको अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर भारत की आजादी का मतलब क्या रह जायेगा ? संविधान के तहत उनको अधिकार है । जब उनको अधिकार नहीं मिल रहा था, माननीय नेता सदन में बोल रहे थे वह दर्द जाहिर कर रहे थे, कुछ लोगों ने पहचान बनाने की कोशिश की थी हिन्दुस्तान के बंटवारा 1947 में इसीलिये हुआ कि गत संघर्ष में यह कहा गया था कि आधी रोटी खायेंगे, लेकिन पाकिस्तान बनायेंगे, लेकिन कितने लोग इस सरहद से उस सरहद तक पाकिस्तान गए थे । वही नजारा होता नेता जी का जो आज हो रहा है जितने वोट मुलायम सिंह यादव जी ने हासिल किए हैं, हिन्दुस्तान के बंटवारे के वक्त । जिन्ना साहब के साथ पाकिस्तान उतने भी लोग नहीं गए थे, इसलिए मान्यवर, अगर कोई व्यक्ति हमारे दिलों में बसता है, अगर कोई व्यक्ति हमारे बारे में सोचता है कि कैसे हमारी राहों से कांटे साफ हो जायेंगे, आप उन्हें अपमानित करेंगे, देश का विरोधी बतायेंगे संविधान के विपरीत बतायेंगे, हमें भी उतना ही हक है । संविधान के तहत इस प्रदेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को, कमजोरों को, उनके लिए एक दमड़ी भी नहीं दी जा रही है । अगर सिर्फ नाम दिया जा रहा है, तो इस नाम के लिए इस सदन को स्वागत करना चाहिए । नेता जी का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए .....

श्री उपाध्यक्ष–

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़ी आदर्श वाणी में सर सैयद अहमद जी का और मदन मोहन मालवीय जी का नाम लिया और इन्होंने कहा कि इसमें कोई पावन्दी नहीं है किसी भी मजहब के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं फिर इसकी धारा–06 में जो पावन्दी आपने कर दी है कि 50 प्रतिशत तक बच्चों के आरक्षण केवल अल्पसंख्यकों के लिए होगा, दूसरी बात मान्यवर, यह कि जिस संस्था का रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऐक्ट है, के अन्तर्गत है वह संस्था स्वयं इस संस्था को चला रहा है, वह संस्था चल रही है उसके बाद उस संस्था को विघटित करके आप सारी सम्पत्ति को लेकर के विश्वविद्यालय में ला रहे हैं, विश्वविद्यालय का नाम दे रहे हैं । विश्वविद्यालय बहुत बड़ी चीज है, उसका अपना स्तर होता है, यू०जी०सी० उस स्तर को देखता है, खाली एक्ट ला करके, डिग्री देने का काम कर दें उसके बाद उसकी चिन्ता आपको न हो । पैसा तो उसके लिए आपको देना नहीं, तो अपने सीमित संसाधनों से कौन सा

विश्वविद्यालय उस स्तर को कायम रख सकेगा, उसके बाद की चिन्ता आपको होनी चाहिए । इसका उत्तर आप दे दें, इसका स्पष्टीकरण आप दे दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं इन्हें बता दूं, महामहिम राज्यपाल जी इसके कुलाध्यक्ष होंगे । जहां तक 50 प्रतिशत आरक्षण के प्राविधान की बात है इसमें मान्यवर, हैदराबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा फैसला है कि 50 प्रतिशत तक मैं स्पष्ट कर दूं, मुसलमान नहीं, अल्पसंख्यकों को दाखिले का अधिकार है, इसके अलावा मान्यवर, मैं यह शुबहा दिल से निकाल देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में अगर कोई बात गलत होती है, तो यू०जी०सी० उसकी मान्यता समाप्त कर देगा । मान्यवर, विश्वविद्यालय में कोई ऐसी अनियमितता नहीं हो सकती है नहीं तो उसकी मान्यता समाप्त हो जायेगी, उसकी डिग्रियों की मान्यता नहीं होगी । किसी जमाने में इसी भारत में हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स आफ इण्डिया में डिग्री होल्डर्स के लिए नाम लिखकर यह आता था कि 'नीड नाट टू अप्लाई' जो ऐसा भी हो चुका है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का शुबहा करने की जरूरत नहीं है । जहां तक आपका यह सवाल है कि यह बहुत बड़ी प्रापर्टी है तो मान्यवर, मैं कुछ देना चाहता हूं, मैं माननीय हुकुम सिंह जी से और श्री लालजी टण्डन जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसको देख लें बल्कि उस विश्वविद्यालय के संयोजकों से कहना चाहूंगा कि ले जाकर के आपको, यह सब दिखायें । आप उसे देखेंगे तो आंखें खुल जायेंगी आप उनको शाबासी देंगे और आप कहेंगे कि जो कुछ किया गया है वह कम है और इसमें लोगों को और आगे आना चाहिए । तो इस तरह का जो काम किया गया है उसका आप स्वागत करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

उपाध्यक्ष जी, मुझे आश्चर्य हुआ यह देख कर कि माननीय हुकुम सिंह जी ने कितने गंभीर आरोप लगाये हैं । बोलते वक्त शायद भूल गये और कह गये कि हम समाज को तोड़ना चाहते हैं यहां अलगाव पैदा करना चाहते हैं और चुनाव की दृष्टि से सारी घोषणाएं कर रहे हैं । मान्यवर, मैं लम्बा-चौड़ा नहीं बोलना चाहता हूं वैसे मैं इस बिन्दु पर बहुत कुछ बोल सकता हूं कि अलगाववादी कौन है और धर्म के आधार पर या विशेष वर्ग के नाम पर कौन काम कर रहा है ?

मान्यवर, यह जो बिल आया है, यह इंटेग्रल विश्वविद्यालय की घोषणा उस वक्त हुई थी जब इतनी जल्दी लोकसभा के चुनाव होने की मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि जल्दी ही चुनाव होंगे । मान्यवर, मैं उस समय वहां गया था और इसकी घोषणा की थी । मैंने वहां की इमारत को और वहां की शिक्षा व्यवस्था को देखा था । वहां शिक्षा देने वाले केवल मुस्लिम नहीं थे हिन्दू भी थे । जब उपाधियां दी गयीं और उनके नाम पुकारे गये लड़के -लड़कियों के नाम पुकारे गये तो उसमें जैसा कि अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया, ज्यादातर सब हिन्दू थे । वहां पर बड़ी तादाद में हम लोग थे । मैंने जो दो लड़कियां हिन्दू थीं उनको अलग से बुला कर पूछा कि आप यहां की स्थिति के बारे में हमें बतायें । मान्यवर, आप वहां की इमारत को देखिये, वहां के वातावरण को देखिए और वहां पढ़ने वाले हिन्दू लड़के-लड़कियों से बातचीत करें तो आप देखेंगे कि वह कितनी अच्छी बातें व्यक्त करते हैं । मैंने उससे पूछा कि यह मुस्लिम विश्वविद्यालय है आप मुझे थोड़ा अलग से बताये यहां की पढ़ाई के बारे में, यहां के आचार- विचार के बारे में, आपके साथ कैसा शिष्टता का व्यवहार होता है ? उन्होंने कहा सर, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी शिष्टता और इतना आदर बोलने में । मैंने पूछना शुरू किया कि मुस्लिम लड़कों का आपके प्रति क्या रवैया रहता है तो वह कहती हैं कि हमें भाई-बहन का आदर दिया जाता है तो यह

वहां का व्यवहार है । हुकुम सिंह जी आज वहां इतना बोल गये क्या आपने वहां का वातावरण देखा है । वहां कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है । क्यों ऐसी आप निष्ठा दिखा रहे हैं । यहां पर माननीय बाजपेयी जी, राम प्रकाश त्रिपाठी जी और माननीय नेता विरोधी दल बैठे हैं, कभी नहीं ऐसी भाषा बोलते हैं कि हम कोई अलगाव पैदा कर रहे हैं ।

मान्यवर, हमें तो कश्मीरी ब्राह्मणों की भी चिन्ता है । हम कुछ उनके बारे में भी घोषणा करने वाले हैं । आप देखें उन कश्मीरी ब्राह्मणों का कितना अपमान किया गया है, कितनी उपेक्षा हुई है वह रो-रो कर अपनी व्यथा बताते हैं । हमारे घर पर भी आये थे । हमारी पिछली सरकार में उन कश्मीरी ब्राह्मणों के पुनर्वास की व्यवस्था की गयी थी वह भी खत्म कर दी गयी । हमने जो दस हजार-बीस हजार की सहायता की व्यवस्था की थी वह भी खत्म कर दी गयी । आपकी दिल्ली में भी सरकार रही है और है और यहां भी कभी किसी के सांथ शामिल होकर या कभी अलग से यहां आपकी सरकार रहा है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उन कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए क्या किया ? आप देखें वह एक कपड़े का टेन्ट लगाकर रहते हैं फटी सी धोती में । उसी में मां-बाप भी हैं उसी में बेटा-बेटी, पत्नी भी हैं और जवान बेटी भी है । यह जिन्दगी वह बसर कर रहे हैं । आप कहा करते थे कि हमारी सरकार आयेगी तो कश्मीरी भाइयों हम आपकी समस्या झटके में हल कर देंगे । आपने क्या किया ? आप कहते थे कि हमें उनका दर्द है । हम जल्द ही उनसे मिलेंगे । उनकी समस्यायें हल करेंगे इसलिए कि हम समाज को जोड़ना चाहते हैं । हम कहना चाहते है कि चलिए श्रीनगर में, वहां का मुसलमान रह रह कर कश्मीरी ब्राह्मणों की याद करता है उनके एक भी मकान पर कब्जा नहीं हुआ है । अब मस्जिद गिराने की बात करते है, यह अलगाववाद है ।

हम सदन में सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहते हैं कि हम कोई राजनीति इसमें नहीं करते हैं लेकिन, यह जरूर कहना चाहता हूं कि जितना ही मुसलमानों को सख्ती की दृष्टि से देखेंगे उतना ही मामला खतरनाक होगा और जितना प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो इनसे ज्यादा देश पर कुर्बानी करने वाला और कोई नहीं होगा । आजादी की लड़ाई के इतिहास को आप देखें तो हरियाणा में जो दिल्ली के बगल मे है का नेतृत्व किसने किया था बहादुर शाह ने किया था । किसके नेतृत्व में देवाड़ी से लेकर, उसका नेता कौन था, मुसलमान था । यह हमारी संस्कृति है । हमारा इतिहास है । हम कभी नहीं कहते हैं कि हम औरंगजेब के पक्ष में हैं लेकिन उसका दूसरा पक्ष हिन्दुस्तान के सामने नहीं रखा गया । अगर देखना है तो बी०एन० पाण्डेय की किताब को पढ़ लें उसमें लिखा है । किताब पढ़िये । स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी राज्यपाल जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, सप्रू साहब ने क्या कहा उनके बारे में इतने बड़े कानूनविद् ने क्या कहा है, जरा पढ़िये किताब और जो गांधी जी के उम्मीदवार सीता रमैया की लिखी हुई किताब है उसको पढ़िये । इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से एक पक्ष हिन्दुस्तान के अन्दर रखा जा रहा है । हिन्दू राजा राजस्थान के गुजरात के सब मिलकर गये थे औरंगजेब के पास सभी ने उनसे कहा था कि हम यात्रा करना चाहते हैं औरंगजेब के नेतृत्व में हिन्दू राजा उनकी रानियां और परिवार चल पड़े और जब बनारस के पास काशी के पास आये तो हिन्दू राजा और रानियों ने कहा कि हम विश्वनाथ मन्दिर के दर्शन करना चाहते हैं इजाजत दे दी जाय । तो इजाजत दी गयी और वही कैम्प डाल दिया गया और वहां पर लोग दर्शन करने गये, महारानियां और रानियां दोनों थीं तो गुजरात के कच्छ की रानी सबसे कम उम्र की थी बहुत अच्छी हमारी बहन थी, रानी थी । सब रानियां चली आयीं लेकिन वह रानी नहीं लौटी, तो दहशत हो गयी । औरंगजेब ने अपनी फौज को आदेश दिया कि रानी को ढूंढ़ा जाय । तो जब ढूंढ़ने गये तो एक सीढ़ी थी उसमें एक खिड़की थी । खिड़की खोली गयी तो

नीचे एक कमरा मिला वहां रानी बेहोश पड़ी थी उसके साथ रेप किया गया था तो राजाओं ने कहा कि आज यह पाप हो गया और यह हिन्दुओं ने ही किया था । हमारे पास किताब होगी हम आपको पढ़ने को देंगे यह पक्ष रखना था जिससे विश्वनाथ मन्दिर को लेकर इतिहास बनता है ।

इसी तरह से इटावा नगर पालिका में बी० के० पाण्डेय चेयरमैन थे एक मन्दिर को लेकर महन्तों में विवाद खड़ा हो गया कि आधिपत्य हमारा रहेगा । उसके बाद जब उसकी खोजबीन की गयी, मुकदमा चल रहा था । सप्रू साहब एक तरफ से वकील थे । वहां जाकर बी० के०पाण्डेय को एक कागज मिला जिसमें लिखा हुआ था कि इस मन्दिर के पुजारियों के प्रसाद के लिए औरंगजेब मदद कर रहा था, उससे आश्चर्य हुआ । तब महापालिका नहीं थी नगर पालिका हुआ करती थी । बी० के० पाण्डेय ने सप्रू साहब के सामने कागज रखा । सप्रू साहब ने कहा पाण्डेय जी इसकी और खोजबीन कीजिये तो कन्नौज और उज्जैन के दो मन्दिर और निकले जिसमें पुजारियों के लिए प्रसाद का इन्तजाम करने के लिए औरंगजेब ने इन्तजाम किया था, गोवध भी बन्द कराया था । मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता के सामने यह पक्ष रखा है, मैं औरंगजेब की तारीफ नहीं कर रहा हूं, हमेशा एक पक्ष रखते हैं । यह वातावरण किसी ने खराब किया तो इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं । आज हम कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने मस्जिद को हाथ नहीं लगाया होता तो जो हुआ है वह न हुआ होता । हमारी सरकार उस समय नहीं थी, हम बैलेट पेपर से उसे बदल सकते थे । हम बार-बार दोहराना चाहते हैं कि माननीय हुकुम सिंह जी, इन बातों में अब सुधार हो रहा है । मुझे विकास के लिए, रिक्शा वाले के लिए, जिस समाज में हम आप बैठे हैं, उस समाज की चिन्ता है । उन तमाम एम०ए०बी०ए० पास बेरोजगारों की चिन्ता है । आपको बता दूं, 4-5 लड़के पुलिस द्वारा पकड़े गये थे, जब उनसे पूछा गया कि इतना पढ़े-लिखे होकर आप लोगों ने चोरी क्यों कि, तो उन लड़कों ने जवाब दिया कि हमने चोरी इसलिए की है कि जेल में कम से कम खाना कपड़ा तो मिल जायेगा । अब आप कौन हिन्दू, कौन मुसलमान, इसकी चिन्ता में मत पड़िये । आज हम कहना चाहते हैं कि आपके इस आचरण से पूरा हिन्दुस्तान दुखी है और सबसे ज्यादा हिन्दू दुखी हैं । इसीलिए हमने इनका पक्ष लिया है । अगर हिन्दुस्तान के मुसलमानों को यह अहसास होता कि उनकी मस्जिद तोड़ी जायेगी तो इसका और गम्भीर परिणाम होता । मैं सरकार में नहीं था, लेकिन मुझे इस बात की चिन्ता थी ।

मैं कहना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल एक न एक मुसलमान पैदा होगा और जो गरीब हिन्दुओं के साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ वह खड़ा हो जायेगा । क्या आपको इस बात की चिन्ता है । जब दंगे हो रहे थे तो तमाम हिन्दू छिपे बैठे थे, करोड़ों की कमाई थी, जब उन्हें पता लगा कि बाहर हिफाजत हो गयी तो वह बाहर निकले और फिर हिन्दू और मुसलमान आपस में गले मिले । मैं आपको इण्डोनेशिया की बात बताना चाहता हूं । इण्डोनेशिया के अन्दर सबसे ज्यादा मुसलमान हैं । वहां हिन्दू भी रहते हैं, इस पर आपके नेता बोलने लगे कि हम भी हैं 58 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ लेकिन मैं आपको बता दूं कि इण्डोनेशिया में हिन्दू और मुसलमान किस तरह आपस में साथ रहते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको पता है, हमारी स्थिति क्या है, आपकी गलत नीतियों के कारण हिन्दुस्तान महाशक्ति नहीं बन पा रहा है । आपके बगल में चाइना बैठा है । हम कहना नहीं चाहते लेकिन आपको बता दें कि उससे बड़ा खतरा है । जिससे हिन्दुस्तान से अलगाव खतम हो जायेगा, भेदभाव खत्म हो जायेगा, भाई-भाई एक हो जायेगा तो फिर चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता । हमारी सेना बहुत बहादुर है और हमारी जनता में वह शक्ति है कि हम सबसे आगे जा सकते हैं ।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के मामले पर हमने आपके प्रधान मंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को 32 बार अपना समर्थन दिया है । इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बहस हो, लेकिन समझ-बूझ के साथ हो । यह हमारी उत्तर प्रदेश की 17 करोड़ जनता का दुर्भाग्य है जो हम अभी तक इतने पीछे हैं । हमें यहां ऐसा कुछ नहीं करना और कहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम यहां कर रहे हैं, उसे पूरे प्रदेश की जनता देख रही है । इसलिए ऐसा वातावरण आप न बिगाड़ें । मैंने गौर साहब, बाजपेयी जी और नेता विरोधी दल सब को सुना, लेकिन हुकुम सिंह जी, इतनी नफरत भरी भाषा किसी की नहीं थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

बाजपेयी जी क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, मैंने केवल एक बिन्दु पर इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात कही थी, उसको संसदीय कार्य मंत्री ने मान लिया है । हैदराबाद हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की जो बात कही है, वह मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं है, अल्पसंख्यक आरक्षण की बात है । इस देश में सिक्ख और ईसाई भी अल्पसंख्यक हैं तो क्या सरकार सिक्ख और ईसाई को आरक्षण देने पर विचार करेगी ? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी समरसता करना चाहती है । मुस्लिम समाज का विरोध करके कोई सत्ता इस देश में नहीं रह सकती, यह भारतीय जनता पार्टी जानती है और उसका प्रयास हो रहा है । क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री ने मेरी बात को माना है इसलिए यदि संसदीय कार्यमंत्री उस पर विचार कर लेंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा और मैं इसको वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इंटेग्रल विश्वविद्यालय, 2004 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इंटेग्रल विश्वविद्यालय, 2004 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–46 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

इंटेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004

लखनऊ में एक शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत के गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम इंटेग्रल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 कहा जाएगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें ।

परिभाषाएं

2–जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) ''विद्या परिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् से है;

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड आदि से है;

(ग) ''कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति-कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के मशः कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है;

(घ) ''कोर्ट'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कोर्ट से है;

(ङ) निदेशक/प्राचार्य का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, विद्यालय, पालिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) ''विभाग'' का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसन्धान केन्द्र भी है;

(छ) ''शिक्षा सोसाइटी'' का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत इस्लामिक काउन्सिल फार प्रोडक्टिव एजूकेशन से है;

(ज) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा लगाये गये नियुक्त किसी व्यक्ति से है और उसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारिवृन्द भी हैं;

(झ) ''कार्यपरिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् से है;

(ञ) ''संकाय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्वानों/छात्रों के निवास से है;

(ठ) ''कोषाध्यक्ष'', ''कुलसचिव'', ''उप कुलसचिव'', वित्त अधिकारी'', ''परीक्षा नियंत्रक'', ''पुस्तकालयाध्यक्ष'' और ''कुलानुशासक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष और कुलानुशासक से है;

(ड) '' संस्था'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी शैक्षणिक संस्था से है;

(ढ) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ण) ''अभिलेखों और प्रकाशनों'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(त) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(थ) ''छात्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(न) ''विश्वविद्यालय के अध्यापकों'' का तात्पर्य आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों और ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय में शिक्षा अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिए नियुक्त किया जाय और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(य) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य इस्लामिक काउन्सिल फार प्रोडक्टिव एजूकेशन द्वारा इस अधिनियम के अधीन स्थापित इन्टेग्रल विश्वविद्यालय से है;

(र) ''कुलाध्यक्ष'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है ।

विश्वविद्यालय

3—(1) लखनऊ में इन्टेग्रल विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय इन्टेग्रल विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसके पास शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उसी नाम से वाद करेगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा ।

(3) इन्टेग्रल प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ का विघटन कर दिया जाएगा और समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्तियां विश्वविद्यालय में अन्तरित और निहित हो जाएगी और उनका उपयोग उन उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

4–(1) विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षा अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित की प्रोन्नति के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा :–

(क) शिक्षा में नवीनता की प्रोन्नति करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुर्नसंरचना अध्यापन और ज्ञानार्जन की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके,

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति करना,

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन को प्रोन्नति करना,

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव के प्रोन्नति करना,

(ङ) मुस्लिम अल्पसंख्यकों को उनके उत्थान के लिए सभी आधुनिक और श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान कर भारत के समग्र विकास की मुख्य धारा में लाया जाना,

5–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात :–

विश्वविद्यालय की शक्तियां

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना,

(ख) विज्ञान प्रौद्योगिकी चिकित्सा, प्रबन्धन और अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जिनके अन्तर्गत धर्म, संस्कृति, दर्शन और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम भी है, की शिक्षा प्रदान करना और उनकी प्रोन्नति करना,

(ग) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों को परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों, उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना,

(घ) प्रौढ़ शिक्षा की प्रोन्नति के लिए निवेश-वाह्य अध्ययन, विस्तार सेवा और अन्य उपायों की व्यवस्था करना और उन्हें प्रारम्भ करना;

(ङ) परिनियमों द्वारा विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं है, शिक्षण, जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे पाठ्यक्रम भी है जिसे विश्वविद्यालय अवधारित करे प्रदान करना;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डाक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियां करना;

(ज) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिनके पास विशिष्ट ज्ञान हो, की स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति करना या उन्हें लगाना;

(ञ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिए विद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां,पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना;

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति, किसी संस्था, विभाग या विद्यालय को केन्द्र घोषित करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए व्यवस्था करना;

(ध) छात्राओं के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाए;

(प) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए व्यवस्था करना;

(फ) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए संदान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का, जिसके अन्तर्गत न्यास और बन्दोबस्ती सम्पत्तियां भी हैं, अर्जन धारण, प्रबन्धन और निपटारा करना;

(ब) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए सोसाइटी की कार्यसमिति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति, उसके धन पर उधार लेना, बन्धक रखना या आधान करना;

(भ) ऐसे समस्त अन्य कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हो ।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

6–विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग और प्रत्येक वंश, मत, जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए अध्यापक या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे;

परन्तु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे आरक्षण के लिए समुचित उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी जो पचास प्रतिशत से अनधिक हो ।

7–(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे । कुलाध्यक्ष

(2) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की शिक्षा, अनुशासन शालीनता और समुचित कार्यप्रणाली के मानक को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किन्हीं संस्थाओं, महाविद्यालय, पोलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(3) कुलाध्यक्ष को कुलपति द्वारा उसे निर्दिष्ट मामलों के विवाद में कार्रवाई करने का अधिकार होगा ।

8–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :– विश्वविद्यालय के अधिकारी

(एक) कुलाधिपति

(दो) कुलपति

(तीन) प्रति-कुलपति

(चार) संस्थाओं के निदेशक/प्रधान

(पांच) कोषाध्यक्ष

(छः) कुलसचिव

(सात) संकायों के संकायाध्यक्ष

(आठ) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष

(नौ) कुलानुशासक

(दस) वित्त अधिकारी, और

(ग्यारह) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायं ।

9–(1) कुलाधिपति का निर्वाचन कोर्ट द्वारा ऐसी रीति से किया जाएगा जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाय । कुलाधिपति

(2) कुलाधिपति, अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय का प्रधान होगा ।

(3) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, तो डिग्रियां प्रदत्त करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा ।

10–(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा पांच वर्ष के अवधि के लिए ऐसी रीति से की जाएगी जैसी विहित की जाय । कुलपति

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस अधिकारी को अवगत करायेगा :

परन्तु यदि सम्बन्धित प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी तो वह मामले को कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकता है जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह ऐसे दिनांक, जिस पर ऐसे कार्यवाही के आधार पर विनिश्चय उसे संसूचित किया जाय, से एक माह के अन्तर्गत कुलाध्यक्ष को ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध अपील करे और इस पर कुलाध्यक्ष कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है, उसे अन्तरित कर सकता है या उसे उलट सकता है ।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जो विहित किया जाय ।

प्रति-कुलपति

11–(1) प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्य का संपादन करेगा जो विहित किया जाय ।

(2) प्रति-कुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वाहन में कुलपति की सहायता करेगा ।

कोषाध्यक्ष

12–(1)कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और यह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा, जैसा विहित किया जाय ।

(2) कोषाध्यक्ष वार्षिक बजट, वार्षिक सम्परीक्षा, निधियों आदि के आवंटन सहित समस्त वित्तीय मामलों में कुलपति की सहायता करेगा ।

कुलसचिव

13–(1) कुलसचिव की नियुक्ति इस रीति से की जाएगी जैसी विहित की जाय ।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए ।

(3) कुलसचिव कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा ।

14–प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति इस रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा, जैसा विहित किया जाय। संकायों के संकायाध्यक्ष

15–(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा, जैसा विहित किया जाय। वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

16–विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों को नियुक्ति और शक्तियों और कर्तव्यों की रीति वही होगी जैसी विहित की जाए। अन्य अधिकारी

17–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :– विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(एक) कोर्ट

(दो) कार्यपरिषद्

(तीन) विद्या परिषद्

(चार) वित्त समिति

(पांच) संकाय

(छः) नियोजन बोर्ड, और

(सात) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाएं।

18–(1) सभा का गठन और इसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसा विहित किया जाए। कोर्ट

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियों और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली उसके उन्नयन और विकास के लिए उपायों का सुझाव देना,

(ख) विश्वविद्यालय के वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर विचार करना और संकल्प पारित करना और ऐसे लेखाओं पर सम्परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना,

(ग) किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में कुलाध्यक्ष को परामर्श देना जो उसे परामर्श के लिए निर्दिष्ट किया जाय, और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो विहित किए जायं ।

कार्य-परिषद्

19–(1)कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा ।

(2) कार्यपरिषद् का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और इसके कतिपय और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किये जाए ।

विद्या-परिषद्

20–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस अधिनियम और परिनियमों के उपलब्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा ।

(2) विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्य की पदावधि और इसके शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे जैसा विहित किया जाए ।

योजना बोर्ड

21–(1) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा ।

(2) योजना बोर्ड का गठन, इसके सदस्यों की पदवधि और इसकी शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे जैसा विहित किये जाए ।

विश्वविद्यालय के संकाय और अन्य प्राधिकारी

22–संकायों का और ऐसे अन्य प्राधिकारियों जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय, का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कृत्य वही होंगे जैसा विहित किया जाय ।

परिनियम बनाने की शक्ति

23–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में निम्नलिखित समस्त या किसी मामले का उपबंध किया जा सकता है, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों, जिनका समय समय पर गठन किया जाए का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कृत्य,

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद का निर्वाचन और निरतंरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो,

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियां,

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियां,

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना का दायित्व ग्रहण करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति,

(च) पेंशन, बीमा और भविष्य निधि के लिए उपबंध सहित कर्मचारियों की सेवा शर्तें, सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक कार्यवाहियां;

(छः) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् की अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों और अन्य विधा सम्बन्धी विशिष्टताओं का वापस लेना;

(ठ) छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां, विधावृत्तियों, पदकों और पारितोषिक को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना;

(ढ) संकायों, विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनका समाप्त किया जाना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों ।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

24–(1) प्रथम परिनियम, राज्य सरकार के अनुमोदन से शिक्षा सोसाइटी द्वारा बनाये जायेंगे ।

(2) कार्य-परिषद्, समय-समय पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है :

परन्तु कार्य-परिषद्, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार किया जायेगा ।

(3) प्रत्येक नये परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी जो उस पर अपनी अनुमति दे सकता है या अपनी अनुमति रोक सकता है या कार्यपरिषद् को विचार करने के लिए वापस कर सकता है ।

(4) कोई नया परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम में संशोधन या निरसन का कोई परिनियम तब तक विधिमान्य न होगा जब तक कुलाध्यक्ष द्वारा उस पर अनुमति न दे दी गयी हो ।

(5) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी कुलाध्यक्ष, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पश्चात् तीन वर्ष के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट नये या अतिरिक्त परिनियमों को बना सकता है या परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकता है ।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय को अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियमों में उपबन्ध करने का निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद्, ऐसे किसी निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर ऐसे निदेश को लागू करने में असमर्थ रहे तो कुलाध्यक्ष ऐसे निदेश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए कार्यपरिषद् द्वारा संसूचित कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् परिनियमों को उपयुक्त रूप में बना सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है ।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

25–इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों को कार्य परिषद् द्वारा बनाया जायेगा जिसमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के लिए अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) अनुदेश और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले माध्यम;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं में प्रवेश और विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन [illegible] अन्तर्गत परीक्षा निकायों की पदावधि और नियुक्ति की रीति, और परीक्षकों और अनुसीमकों के कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) महिला छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यासन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अर्न्तशाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ सहयोग और सहभागिता जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी हैं;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के सुधार के लिए आवश्यक समझी जाय, के सृजन संरचना और कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीकारों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हो;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्थाओं का प्रबन्ध और ऐसे अन्य सभी विषय, जो इस अधिनियम या परिनियमों में अध्यादेशों द्वारा विहित किये जाने हों ।

वार्षिक रिपोर्ट

26–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् कोर्ट को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय और कोर्ट अपने वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी ।

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो वार्षिक रिपोर्ट कुलपति को प्रस्तुत करेगा ।

वार्षिक लेखा

27–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलनपत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह माह से अनधिक अन्तराल पर की जायेगी ।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखाओं की प्रति कार्य परिषद् के पर्यवेक्षणों सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी ।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाधिपति द्वारा किये गये पर्यवेक्षणों को कोर्ट और कार्य परिषद् के संज्ञान में लाया जायेगा और कार्य परिषद् द्वारा पुनरीक्षण किये जाने के पश्चात् पर्यवेक्षण, यदि कोई हों, कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जायेंगे ।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

28–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा ।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् को निर्दिष्ट किया जायेगा जो अपने निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी के लिए अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगा ।

(3) व्यथित कर्मचारी, कार्य परिषद्, के आदेश के विरुद्ध विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को अपील कर सकता है ।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय अन्तिम रूप से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

(5) कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद नहीं होगा ।

अपील करने का अधिकार

29–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थिति विद्यापरिषद्, कुलानुशासन बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेशों या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसके एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से विवर्जित कर दिया गया हो, लिखित रूप में अपने द्वारा ऐसे संकल्प की प्रति या ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर कुलपति को अपील कर सकता है जो यथास्थिति उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या पलट सकता है ।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा ।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

30–विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायं, ऐसी पेंशन या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसी वह उचित समझें ।

31–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा । विश्वविद्यालय और निकायों के गठन के बारे में विवाद

32–जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हों वहां ऐसी समितियाँ, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझें, गठित होंगी । समितियों का गठन

33–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को, ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं । नियुक्त, निर्वाचित या सह-योजित किया था, भरा जायगा । ऐसी रिक्ति में नियुक्त या सहयोजित व्यक्ति ऐसे, शेष पदावधि के लिए ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य होगा जिसके लिए वह नियुक्त या सहयोजित किया गया है । रिक्तियों का भरा जाना

34–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी । कार्यवाही की अविधिमान्यता

35–किसी ऐसी बात के लिए, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक की गयी है या की जाने के लिए तात्पर्यित है, विश्वविद्यालय के किसी निकाय अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी । वाद का वर्जन

36–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के अधिपत्य में हो, को यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्ट की विद्यमानता प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जाएगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती । विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की रीति

37–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित में उपलब्ध कराया जाएगा । परिनियम और अध्यादेशों का प्रकाशन

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जाएगा ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

38–(1) जब तक कि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हो जाता है, शिक्षा सोसाइटी का अध्यक्ष विश्वविद्यालय का प्रथम कुलाधिपति होगा और वह अपना पद तब तक धारण करेगा जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन नहीं हो जाता है । इस अधिनियम के अधीन वे ऐसे प्राधिकारियों की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कृत्यों का सम्पादन करता रहेगा ।

(2) जब तक कि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हो जाता है तब तक (विद्यमान इंस्टीट्यूट आफ इन्टेग्रल टेक्नोलोजी के कार्यपालक निदेशक और निदेशक अभियंत्रण विश्वविद्यालय के क्रमशः प्रथम कुलपति और प्रति कुलपति होंगे और वे इस अधिनियम के अनुसार चयन हो जाने तक अपना पद धारण करेंगे । वे इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारियों की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कृत्यों का सम्पादन करते रहेंगे ।

(3) जब तक कि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हो जाता है तब तक समिति का कोषाध्यक्ष इंटेग्रल विश्वविद्यालय का मानद कोषाध्यक्ष होगा और इस अधिनियम के अधीन चयन हो जाने तक वह अपना पद धारण करेगा । वह इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारियों की सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करता रहेगा ।

(4) इंस्टीट्यूट आफ इंटेग्रल टेक्नोलोजी के रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रशासन) डिप्टी रजिस्ट्रार (शैक्षणिक) और वित्त अधिकारी को विश्वविद्यालय के कुलसचिव उप कुलसचिव (प्रशासन), उप कुलसचिव (शैक्षणिक) और वित्त अधिकारी के रूप में आमेलित कर लिया जाएगा और वे अपना पद धारण करते रहेंगे और वे इस रूप में अपने कृत्यों का सम्पादन करते रहेंगे ।

(5) इंस्टीट्यूट आफ इंटेग्रल टेक्नोलोजी के संकायों के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष होंगे और वे पांच वर्षों की अवधि तक अपना पद धारण करेंगे । तत्पश्चात् उनकी सेवायें यदि उन्हें उनकी श्रेष्ठता और स्वास्थ्य के आधार पर उनकी सेवाओं अग्रतर निरन्तरता हेतु शिथिलता प्रदान नहीं की जाती है । परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार विनियमित कर दी जाएंगी ।

(6) इंस्टीट्यूट आफ इंटेग्रल टेक्नोलोजी का छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय का छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष होगा और वह पांच वर्षों की अवधि के लिए अपना पद धारण करेगा । तत्पश्चात् उनकी सेवायें यदि उन्हें उनकी श्रेष्ठता और स्वास्थ्य के आधार पर उनकी सेवाओं की अग्रतर निरन्तरता हेतु शिथिलता प्रदान नहीं की जाती है । परिनियम के उपबन्धों के अनुसार विनियमित कर दी जाएगी ।

(7) इंस्टीट्यूट आफ इंटेग्रल टेक्नोलोजी के अन्य अधिकारीगण/कर्मचारीवृन्द यथा शिक्षण, शिक्षण समर्थक, प्रशासनिक, प्रोवोस्ट, प्राक्टर, होस्टल वार्डेन, कुशल तथा अकुशल कर्मकारों इत्यादि को इंटेग्रल विश्वविद्यालय में या तो रख लिया जाएगा या उन्हीं शर्तों एवं निबन्धनों पर आमेलित कर लिया जाएगा ।

(8) जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का गठन नहीं हो जाता है । तब तक इंस्टीट्यूट आफ इंटेग्रल टेक्नोलोजी की कार्य समिति तथा विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के रूप में कार्य करेगी ।

(9) जब तक कि विश्वविद्यालय की कोर्ट का गठन नहीं हो जाता है तब तक संस्थान/शिक्षा सोसाइटी की विद्या परिषद् तथा कार्य समिति कोर्ट के रूप में कृत्यों का सम्पादन करेगी ।

स्थायी विन्यास निधि

39–(1) विश्वविद्यालय, कम से कम एक करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा बढ़ाया जा सकेगा;

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी;

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा;

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी ।

सामान्य निधि

40–(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :–

(क) सभी फीस, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) शिक्षा सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान ; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान ।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्यय के लिए किया जायेगा ।

विकास निधि

41–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :–

(क) विकास फीस, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाय;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) शिक्षा सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय ।

(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा ।

निधि का अनुरक्षण

42–धारा 40, 41 और 42 के अधीन स्थापित निधियां कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय ।

विश्वविद्यालय का विघटन

43–(1) विश्वविद्यालय राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा यदि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी नियमों द्वारा विहित की जाय ।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

44–(1) धारा 44 के अधीन उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके किया जा सकेगा ।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

45–(1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय कार्य नहीं कर रहा है, विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर, जो उचित समझें किन्तु जो दो मास से कम नहीं होगा, कारण बताये कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों, उसके अधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझें ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या उसके अधीन जारी किन्ही निर्देशों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त करेगी ।

(4) जहां राज्य सरकार के विचार से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी जांच के प्रयोजनों के लिये कोर्ट को निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, कोर्ट को निलम्बित करने का आदेश दे सकेगी और जांच पूरी होने तक के लिये विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जैसी वह आवश्यक समझे ।

(5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय किसी वाद का और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात् :–

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना,

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना,

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(ङ) कोई अन्य मामला जो नियमों द्वारा विहित किया जाय ।

(6) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध हुआ है या उसने इस अधिनियम और उसके अधीन परिनियमों, अध्यादेशों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया हो तो वह अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है ।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी । यदि विश्वविद्यालय की निधि, विश्वविद्यालय की अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का व्ययन कर सकेगी ।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

46–(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जहां तक संस्थाओं का संबंध है, के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा ।

(3) उपधारा (1)के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड 46 तक खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इंटेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इंटेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो एक माह में अपनी रिपोर्ट दे, सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से केवल एक सुझाव देना चाहूंगा कि संसद की भांति उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की व्यवस्था करने की शासन के द्वारा मंशा व्यक्त की गयी है । इसकी रिपोर्ट वर्ष में दो बार इस सदन के समक्ष आ जाया करे तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा । मैं इसकी मूल भावना का विरोध नहीं कर रहा हूं । अगर सरकार इससे सहमत भी हो जाय कि दो बार रखेंगे कहीं ऐसा न हो कि जिस प्रकार से 5-6 साल बाद सी०ए०जी० की रिपोर्ट हमें मिलती है उसी तरह से हो जाय । यदि यह नियमित तौर पर 6 माह में आने लगे तो मैं इसका स्वागत करूंगा ।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, सिर्फ डा० बाजपेयी जी ने एक प्रश्न उठाया है और बाकी पूरे प्रतिपक्ष ने समर्थन किया है । इसका उत्तर दे देना चाहता हूं । विधेयक के पृष्ठ–5 पर 6(2) देख लिया जाये । इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि "वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से संबंधित प्राप्तियों और व्यय के रुख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा । पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा विहित किया जाय ।"

इसमें सिर्फ एकमात्र सन्देह व्यक्त किया गया है कि 6 महीने में रिपोर्ट आ जाये । मैंने स्वयं इस विधेयक में स्टेटुयेटरी प्राविधान करते समय कहा है कि निश्चित रूप से प्रत्येक 6 महीने में सरकार इसको विधान मण्डल के दोनों सदनों के सम्मुख रखेगी । इसलिए इस ऐतिहासिक विधेयक को सर्व सम्मति से पारित किया जाना चाहिए । विपक्ष की ओर से जो चिन्ता थी उसका निराकरण स्वयं विधेयक में है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने इसको पढ़ा है । सरकार केवल इतना आश्वासन दे दे कि नियमित तौर पर 6 माह में इसकी रिपोर्ट रखी जायेगी । सी०ए०जी० की रिपोर्ट की तरह पांच साल में नहीं रखी जायेगी । दूसरा

विषय यह है कि नियमित परीक्षण में जिस अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा अगर शिथिलता पायी गयी तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही होगी ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन की ताकत और अधिकार किसी शख्स से ऊपर है, जब भी सदन चाहेगा किसी भी वक्त जानकारी ले सकेगा । आप और सदन इसमें सक्षम है । बाजपेयी जी इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की मांग करने का कोई औचित्य नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि सदन सक्षम है । लेकिन अगर सरकार यह कह दे कि नियमित रूप से 6 माह में रिपोर्ट विधान मण्डल के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जायेगा तो इसमें क्या कठिनाई है ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय बाजपेयी जी, अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने तो स्वयं कहा है कि संसद की भांति उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था किये जाने से सहमत हूं । सरकार यह भावना व्यक्त करे कि नियमित रूप से उसकी रिपोर्ट सदन के समक्ष लायेंगे । सदन की मान्य परम्पराओं के अनुसार मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपनी रिपोर्ट एक माह में दे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–10 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004

राजकोषीय स्थायित्व और संपोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर

में वृद्धि करने के संबंध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 कहा जाएगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

परिभाषाएं

2–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में, –

(क) ''वार्षिक बजट'' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन राज्य विधान-मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखे गये वार्षिक वित्तीय विवरण से है :

(ख) ''चालू वर्ष'' का तात्पर्य ऐसे वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से है जिसके लिए बजट और मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति प्रस्तुत की जा रही हो;

(ग) ''राजकोषीय घाटा'' का तात्पर्य,–

(एक) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण प्राप्तियों को छोडकर कुल प्राप्तियों से अधिक राज्य की समेकित निधि से कुल संवितरण (ऋण के प्रतिसंदाय को छोड़कर) से है; या

(दो) स्व कर और करेतर राजस्व प्राप्तियों, राज्य को भारत सरकार से न्यागमन और अन्य अनुदानों और किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियों, जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार की उधार संबंधी अपेक्षाओं व ऋण के शुद्ध प्रतिसंदाय को रूपित करती है, से अधिक राज्य सरकार की समेकित निधि से (उधारों को लेकर किन्तु ऋण के प्रतिसंदाय को छोड़कर) कुल व्यय से है ।

(घ) ''राजकोषीय सूचकों'' का तात्पर्य राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद या किसी अन्य किन्हीं अनुपातों की, जैसा विहित किया जाय, अधिकतम आंकिक सीमा और अनुपात जैसे मापों से है ।

(ङ) ''पूर्ववर्ती वर्ष'' का तात्पर्य चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से है ;

(च) ''राजस्व घाटा'' का तात्पर्य राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के मध्य अन्तर से है ;

(छ) ''कुल दायित्वों'' का तात्पर्य राज्य की समेकित निधि और राज्य लोक लेखा के अधीन दायित्वों से है ।

विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति

3–(1) राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति रखेगी ।

(2) मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति में विहित राजकोषीय सूचकों के लिए अन्तर्निहित धारणाओं के विनिर्देश के साथ पंचवर्षीय चल लक्ष्य उपवर्णित होंगे ।

(3) विशिष्टतः और उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित से संबंधित संपोषणीयता का निर्धारण भी होगा–

(एक) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के मध्य अतिशेष;

(दो) उत्पादकारी आस्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का, जिसके अन्तर्गत उधार भी है, प्रयोग ।

(4) मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित होंगे–

(क) राज्य सरकार के मध्यकालिक राजकोषीय उद्देशीय;

(ख) बजट में दिये गये लक्ष्य की तुलना में विहित राजकोषीय सूचकों के आधार पर निष्पादन का मूल्यांकन और पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार चालू वर्ष मे संभावित निष्पादन ।

(ग) हाल की आर्थिक प्रवृत्तियों और राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति को प्रभावित करने वाली वृद्धि एवं विकास की भावी संभावनाओं पर विवरण ।

(घ) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्रों में राज्य सरकार की युक्तिगत प्राथमिकताएं ।

(ङ) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कराधान, व्यय, उधारों और अन्य दायित्वों, उधार दिये जाने और निवेश, प्रशासित माल और सेवाओं के मूल्य निर्धारण, प्रत्याभूतियों और सार्वजनिक क्षेत्र के क्रियाकलापों जिनकी संभावित आय-व्ययक उपलक्षणा हो, से संबंधित राज्य सरकार की नीतियों और इनमें प्रत्येक से संबंधित मूल राजकोषीय अध्युपाय और लक्ष्य ।

(च) इस संबंध में यह मूल्यांकन कि राज्य सरकार की चालू नीतियां किस प्रकार धारा 4 में दिये गये राजकोषीय प्रबन्ध सिद्धान्तों और मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति में दिये नये वित्तीय उद्देश्यों के अनुरूप हैं ।

(5) मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति यथाविहित प्रपत्र में होगी ।

वित्तीय प्रबन्ध नीतियां

4–(1) राज्य सरकार निम्नलिखित राजकोषीय प्रबन्ध सिद्धान्तों द्वारा मार्ग दर्शित होगी:–

(क) प्रबुद्ध स्तरों पर सरकारी ऋण का अनुरक्षण करना ;

(ख) प्रत्याभूतियों और अन्य समाश्रित दायित्वों का, ऐसे दायित्वों की गुणवत्ता और उनके स्तर को विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए, प्रबन्ध करना ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि सरकार के नीति विषयक विनिश्चयों में भविष्य की पीढ़ी पर उसकी वित्तीय उपलक्षणा पर सम्यक् ध्यान दिया गया है ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि उधार का उपयोग ऐसे विकास संबंधी क्रियाकलापों पर, जिनके संबंध में यह मूल्यांकन किया गया हो कि वे स्वयं संपोषित हो जाएंगी और पूंजीगत आस्तियों के सृजन और उनकी वृद्धि पर किया जाय और उनका उपयोग वर्तमान व्यय के वित्त पोषण पर न किया जाय ;

(ङ) कर भार के स्तर में स्थायित्व और भविष्य सूचकता का उचित स्तर सुनिश्चित करना ;

(च) विशेष प्रोत्साहनों, रियायतों और छूटों को न्यूनीकृत करके कर प्रणाली की अक्षतता को बनाए रखना;

(छ) आर्थिक दक्षता और अनुपालन लागतों पर सम्यक् ध्यान देते हुए कर संबंधी नीतियों का अनुसरण करना ;

(ज) लागत वसूली और साम्या पर सम्यक् ध्यान देते हुए करेतर राजस्व नीतियों का अनुसरण करना ;

(झ) ऐसी व्यय संबंधी नीतियों का अनुसरण करना जिससे आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और मानव कल्याण में सुधार को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके ;

(ञ) पूँजी सृजन और उत्पादक व्यय में उपयोग के लिए राजस्व अधिशेष का सृजन करना ;

(ट) यह सुनिश्चित करना कि सरकार की भौतिक आस्तियों का अनुरक्षण उचित रूप से किया जाता है ;

(ठ) पर्याप्त सूचना का प्रकट करना जिससे कि जनता राजकोषीय नीति के संचालन और लोक वित्तीय स्थिति की संवीक्षा कर सके ;

(ड) यह सुनिश्चित करना कि सरकार संसाधनों का उपयोग ऐसे ढंग से करती है जिससे कि धन का सर्वाधिक मूल्य प्राप्त हो सके और यह भी सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक आस्तियों का सर्वाधिक उपयोग संभव हो ;

(ढ) लोक कल्याण और सेवा प्रदान कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और जनोपयोगी सेवाओं के संचालन से सम्बद्ध राजकोषीय जोखिम को न्यूनीकृत करना;

(ण) राजस्व वसूली के स्तर के अनुरूप व्यय का प्रबन्ध करना ;

(त) सामान्य आर्थिक दृष्टिकोण और राजस्व संभावनाओं पर सम्यक् ध्यान देते हुए यथार्थ और निरपेक्ष रीति से बजट तैयार करना और वर्ष के दौरान विचलन को न्यूनीकृत करना ;

(थ) चालू दायित्वों का समय से निस्तारण सुनिश्चित करना ।

(2) राज्य सरकार राजस्व घाटा दूर करने और संपोषणीय स्तर पर राजकोषीय घाटा नियंत्रित रखने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष निर्मित करने के समुचित उपाय करेगी ।

(3) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार-

(क) 1 अप्रैल, 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले पांच वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य करेगी ;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खण्ड (क) में दिये गये लक्ष्य के संगत रीति से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटे में कमी करेगी ;

(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनधिक तक राजकोषीय घाटे में कमी करेगी;

(घ) खण्ड (ग) में दिये गये लक्ष्य के संगत रीति से खंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटे में कमी करेगी;

(ङ) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं देगी ;

(च) 1 अप्रैल, 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले चौदह वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगी कि अंतिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व, उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो :

परन्तु यह कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य सरकार के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपबंध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से इस शर्त के अध्यधीन बढ़ सकता है, कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उद्भूत सीमाओं का आधिक्य वास्तविक राजकोषीय मूल्य जो आपदाओं के लिए आरोपित किया जा सकता हो, से अधिक नही होगा :

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों की यह संभाव्य हो जाने के पश्चात् कि ऐसी घाटे की धनराशि उपर्युक्त सीमाओं से बढ़ जायेगी, विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष, आधिक्य की संभावित सीमा और उसके कारणों को अधिकथित करते हुए, एक रिपोर्ट के साथ रखा जायगा ।

राजकोषीय पारदर्शिता के लिए उपाय

5–(1) राज्य सरकार लोकहित में अपने राजकोषीय प्रवर्तनों में अधिकाधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेगी और जहां तक साध्य हो वार्षिक बजट की तैयारी में गोपनीयता को कम करेगी ।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार, वार्षिक बजट तैयार किये जाने के समय ऐसे प्रपत्र में जो विहित किया जाय एक विवरण में निम्नलिखित प्रकट करेगी–

(क) विहित वित्तीय सूचकों को प्रभावित करने वाले या प्रभावित करने की संभावना वाले लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ;

(ख) जहां तक संभव हो, और लोकहित की संरक्षा के अनुरूप, प्रत्याभूतियों द्वारा सृजित आकस्मिक दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा उधार से उद्भूत होने वाले वास्तविक दायित्व और असामान्य उद्देश्य साधन और अन्य समकक्ष लिखित, जहां प्रतिसंदाय का दायित्व राज्य सरकार के आवंटनों पर हो तथा संभावित आय-व्ययक उपलक्षण वाली राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं जिनमें समुत्थापित किन्तु अनाप्त राजस्व मांग, कर व्यय सार्वजनिक माल एवं सेवाएं सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं उपक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराने में उपगत क्षतियां, वृहद् कार्यों और संविदाओं से संबंधित दायित्व, और आर्थिक सहायता के संदाय और धारा 4 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट लक्ष्यों सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति पर उक्त का प्रभाव ।

अनुपालन प्रवर्तित करने के उपाय

6–(1) वार्षिक बजट और बजट के समय घोषित नीतियां आगामी और भावी वर्षों के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप होंगी ।

(2) वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से संबंधित प्राप्तियों और व्यय के रुख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा । पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा विहित किया जाय ।

(3) पुनर्विलोकन रिपोर्ट में,–

(क) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर डाली गयी बाध्यताओं की पूर्ति करने में किसी विचलन या संभावित विचलन को स्पष्ट किया जावेगा ;

(ख) स्पष्ट किया जायेगा कि क्या ऐसा विचलन पर्याप्त है और वास्तविक या संभावी बजट संबंधी परिणामों से संबंधित है, और कितना विचलन सामान्य आर्थिक पर्यावरण और राज्य सरकार द्वारा नीति परिवर्तनों के कारण है ; और

(ग) उन उपचारी उपायों को स्पष्ट किया जायगा जिन्हें राज्य सरकार करने के लिए प्रस्तावित करें ।

(4) जब कभी राज्य सरकार के किसी नये नीति विनिश्चय, जिससे या तो राज्य सरकार या उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रभावित हों, के कारण किसी दिये गये वर्ष के लिए पूर्व विनिर्दिष्ट स्तरों से राजस्व में कमी या व्यय के आधिक्य की संभाव्यता हो तो राज्य सरकार, ऐसे नीति विनिश्चय करने के पूर्व ऐसी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए किसी अधिनियम के अधीन राज्य की समेकित निधि में से संदत्त और उपयोजित की जाने वाली प्राधिकृत धनराशियों में कमी करके, या राजस्व संवर्धन के अंतरिम उपाय करके या दोनों का सम्मिलित उपाय करके चालू और भावी वर्षों के लिए राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने का उपाय करेगी :

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) के अधीन राज्य की समेकित निधि से प्रभारित व्यय के लिए इस उपधारा की कोई भी बात लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि वित्तीय वर्षों से अनुषक्त रहने के दौरान राज्य सरकार मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति में, ''उच्च प्राथमिकता विकास व्यय'' के रूप में परिभाषित कतिपय व्यय में कमी से संरक्षित रखने को प्राथमिकता देगी या घटा सकेगी या आंशिक कमी अधिरोपित कर सकेगी ।

(5) जब कभी एक या उससे अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के संबंध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिए व्यय की तत्सम कमी और या राजस्व के सम्वर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

7–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या किसी मामले का उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात ::–

(क) धारा 3 की उपधारा (2) और धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए विहित किये जाने वाले राजकोषीय सूचक।

(ख) धारा 3 में निर्दिष्ट मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति की अवधि ।

(ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना अपेक्षित हो या विहित किया जा सकता है ।

सद्भावना से किये गये कार्य संरक्षण

8–इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए किसी बात के लिये राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

अन्य विधियों का जो वर्जित न हों, लागू किया जाना

9–इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त न कि उनके अल्पीकरण के लिए होंगे ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

10–(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकती है जैसा वह कठिनाई दूर करने के लिए उचित समझे और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नही किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–10 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इस समय 2 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2 से खण्ड–12 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 तथा उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह पहली अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त होगा।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम 1980 की जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में उपधारा (1) में शब्द 'दो हजार रुपये' के स्थान पर शब्द 'तीन हजार रुपये' रख दिये जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द 'पांच हजार रुपये' के स्थान पर शब्द 'सात हजार पांच सौ रुपये' रख दिये जायेंगे। धारा 4 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 5 में,– धारा 5 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक 'और 1 जून, 1998 से अट्ठासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक' के स्थान पर शब्द और अंक 1 जून, 1998 से अट्ठासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और 01 अप्रैल, 2004 से एक लाख बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक' रख दिये जायेंगे

(ख) उपधारा (2) में–

(1) शब्द 'दस हजार रुपये' के स्थान पर शब्द 'बीस हजार रुपये' रख दिये जायेंगे,

(2) प्रथम परन्तुक में खण्ड (ख) में शब्द 'तीन हजार रुपये' के स्थान पर शब्द 'पांच हजार रुपये' रख दिये जायेंगे।

5–मूल अधिनियम की धारा 14 में खण्ड (घ) में द्वितीय परन्तुक में शब्द 'दो से अधिक सदस्य' के स्थान पर शब्द 'पांच से अधिक सदस्य' रख दिये जायेंगे। धारा 14 का संशोधन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

धारा 15 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 15 में–

(क) उपधारा (1) में शब्द 'दो सौ पचास रुपये' के स्थान पर शब्द 'तीन सौ रुपये' रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) में शब्द 'दो सौ रुपये' के स्थान पर शब्द दो सौ पचास रुपये' रख दिये जायेंगे,

(ग) उपधारा (3) में शब्द 'दो सौ रुपये' के स्थान पर शब्द 'दो सौ पचास रुपये' रख दिये जायेंगे ।

धारा 15–क का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 15–क में शब्द 'एक हजार रुपये' के स्थान पर शब्द 'दो हजार पांच सौ रुपये' रख दिये जायेंगे ।

धारा 18–क का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 18–क में खण्ड (क) में शब्द 'एक हजार रुपये' के स्थान पर शब्द ''दो हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 24 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 24 में–

(क) उपधारा (1) में शब्द 'एक हजार पांच सौ रुपये' के स्थान पर शब्द 'दो हजार रुपये' रख दिये जायेंगे,

(ख) परन्तुक में शब्द 'दो सौ रुपये' के स्थान पर शब्द 'दो सौ पचास रुपये' रख दिये जायेंगे,

(ग) प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा अर्थात् :–

परन्तु यह और कि विधान सभा भंग होने की स्थिति में विधान सभा के भंग होने की तिथि से नयी विधान सभा के प्रथम उपवेशन तक की अवधि की गणना ऐसे सदस्य के पेंशन प्रयोजनों के लिये की जायेगी जो भंग विधान सभा का अध्यक्ष रहा हो और उक्त अवधि के दौरान इस रूप में अपने पद पर आसीन रहा हो ।

(घ) उपर्युक्त परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा अर्थात् :–

''**स्पष्टीकरण**–जहां किसी व्यक्ति ने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में छः माह या उससे अधिक किन्तु एक वर्ष से कम अवधि के लिए कार्य किया हो वहां इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने एक वर्ष के लिए सदस्य के रूप में कार्य किया है ।''

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अध्याय तीन

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का संशोधन

10–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में शब्द ''दो हजार पांच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1952 की धारा 2 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 4 में उपधारा (3) ने शब्द ''दो हजार पांच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 4 का संशोधन

अध्याय–चार

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 की धारा 3 का संशोधन

12–उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 में–

(क) उपधारा (1) में शब्द ''दो हजार पांच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''दो हजार दो सौ पच्चीस रुपये'' के स्थान पर शब्द ''चार हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–12 तक, खण्ड–1 प्रस्तावाना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुंशी लाल गौतम–

मान्यवर, मुझे थोड़ा सा समय दे दें । मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजियेगा ।

श्री मुंशी लाल गौतम–

मान्यवर, यह जो विधायकों की सुख-सुविधा विधेयक पेश किया गया है आज उत्तर प्रदेश के कल-कारखाने बन्द हो रहे हैं । बेरोजगारी बढ़ रही है । किसान वृद्ध जनता को जो पेंशन दी जा रही है वह आवश्यकता से कम दी जा रही है, हमारी सुविधायें बढ़ायी जा रही हैं । इससे जनता में आक्रोश व्याप्त है । जो विधायकों की सुविधायें बढ़ाने की घोषणा की गयी है उससे क्षेत्र की जनता हमसे जवाब मांगेगी । आज जहां भी जायें लोगों का कहना है कि प्रदेश के नेता देश को खा रहे हैं और प्रदेश को लूट रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आम जनता की सुविधायें बढ़ायी जाये और यह जो विधेयक, विधायकों की सुविधायें बढ़ाने के लिये लाया गया है इसको वापस ले लिया जाये । मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह विधेयक पास हो गया है । पारित होने के बाद सुझाव नहीं दिये जाते हैं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह जो हम लोगों को सुख-सुविधाओं के लिये विधेयक पास किया गया है इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि भविष्य के लिये इसको सुख-सुविधाओं के प्राइस इन्डेक्स से जोड़ दिया जाये, मूल्य सूचकांक से जोड़ देंगे तो दोबारा अपनी सुख-सुविधाओं को पास कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । जैसे प्राइस इन्डेक्स बढ़ेगा । आटोमेटिकली सुख-सुविधायें बढ़ जायेंगी । इस पर विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात अभिलेख में आ गयी । आपका सुझाव रिकार्ड पर आ गया ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, क्योंकि एक प्रश्न सदन में आया है तो उसका निस्तारण होना चाहिए । एक माननीय सदस्य ने जो यह सुविधायें बढ़ायी गयीं हैं उसका विरोध किया है । उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । ऐसे महान व्यक्ति को जिन्होंने इसका विरोध किया है । मैं चाहूंगा कि वह और महान हो जायें । लिखकर दे दें कि बढ़ी हुई सैलरी नहीं लेंगे । मैं चाहता हूं कि वह इससे भी महान बनें और यह लिखकर दें कि बिल्कुल सैलरी नहीं लेंगे, और महान बनें तो यह लिखकर दें कि हम पेंशन भी नहीं लेंगे तो मैं उनके लिए इस सदन में धन्यवाद का प्रस्ताव लाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष–

उससे भी महान बनें तो इस विधान सभा में निर्वाचित होकर आएं ही नहीं ।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 48 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 48 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

"(2–क) जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाए, आयोजित किसी जांच में उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी आधार पर यदि कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है तो वह यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का निष्पादन और निर्वहन करने से प्रविरत रहेगा, जिनके जब तक वह उपधारा (2) के अधीन उसे जारी की गई कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आरोपों से विमुक्त नहीं कर दिया जाता है, प्रयोग और निष्पादन जिला मजिस्ट्रेट या उसके नाम-निर्दिष्ट किसी अधिकारी जो उप कलेक्टर की श्रेणी से अनिम्न हो, द्वारा किया जाएगा ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड –2 खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21 फरवरी, 2004 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुई ।

पहली सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत हापुड़ रोड स्थित पशु वधशाला में खपत की मात्रा से अधिक पशु काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध मे है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

दूसरी सूचना श्री बैजनाथ दुबे की जनपद गोण्डा के ग्राम निदूरा निवासी श्री महबूब खां की जमीन पर किये अवैध कब्जे को हटाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

तीसरी सूचना श्री रामहेत की जनपद सीतापुर के हरगांव क्षेत्रान्तर्गत हरगांव दतेली पिपरझला मार्ग से सीतापुर गोला मार्ग तक लेपन स्तर तक पक्का कराये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

चौथी सूचना श्री रणबीर राणा की जनपद बाराबंकी के ग्राम सभा तोरईगांव में तैनात लेखपाल द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

पांचवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की नोएडा प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों की कीमत बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

छठीं सूचना श्री उमाशंकर कुशवाहा की जनपद गाजीपुर के ग्राम छावनी लाइन में गाटा सं० 552 व 536 से अवैध निर्माण हटाये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

सातवीं सूचना डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों की सेवा-निवृत्ति की अवधि सुनिश्चित करने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

आठवीं सूचना श्री राजेश कुमार की जनपद लखीमपुर खीरी के पैला क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों को मण्डी परिषद् के माध्यम से बनाये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

नौवीं सूचना डा० अजय कुमार की जनपद बागपत के विभिन्न विद्युत वितरण खण्डों में नलकूपों को अभी तक विद्युत कनेक्शन जारी न किये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

दसवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की वर्ष 2003 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का स्क्रूटनिंग परिणाम अभी तक घोषित न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

ग्यारहवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की जनपद आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत कुंवर नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

बारहवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जनपद हरदोई के हरपालपुर गांव में सी०एस०सी० के मानक के आधार पर जन स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

तेरहवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत रासेपुर बजार में पशु अस्पताल खुलवाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

चौदहवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत जगतपुर विकास खण्ड में फक्कड़दास की कुटी से लल्ली की चक्की तक स्वीकृत सम्पर्क मार्ग के निर्माण को कराये जाने के सबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

पंद्रहवीं सूचना श्री भगेलू राम की जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कुड़वार की ग्राम सभा राजापुर के प्रधान द्वारा फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्वाचित प्रधान पद से हटाये जाने के संबंध मे है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

सोलहवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद फैजाबाद (अम्बेडकरनगर) की क्षेत्र पंचायत टाण्डा द्वारा वर्ष 2002-2003 में समग्र ग्रामीण विकास योजना एवं सूखा राहत योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों का श्रमिकों को खाद्यान्न अंश का भुगतान न किये जाने के सबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

सत्रहवीं सूचना श्री काली चरण राजभर की गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत सिधागर घाट मार्ग से परजीशाह चट्टी, कटयां, राजापुर, जैरामपुर भंगवर होते हुए बरेसर तक के मार्ग को बनवाये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

अट्ठारहवीं सूचना श्रीमती विमला राकेश तथा श्री रविन्द्र पुण्डीर की राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों, पूर्ण स्थापित किशोर एवं विशेष गृहों के संबंध में जारी शासनादेश दिनांक 11 फरवरी, 2004 को निरस्त कर मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-5-89 को लागू किये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

उन्नीसवीं सूचना श्री राम इकबाल सिंह की किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में ट्रामा सेन्टर के नाम पर कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

बीसवीं सूचना डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा की जनपद जालौन में मलंगा नाले पर झरनहा घाट कुटरा के मध्य रपटा का निर्माण कराये जाने के सबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

इक्कीसवीं सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की प्राइमरी पाठशाला नवली इण्टर कालेज नवली, गाजीपुर के जूनियर अध्यापकों को सीनियर अध्यापकों से ज्यादा वेतन दिये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

बाइसवीं सूचना श्री घूरा राम की जनपद बलिया के ग्राम पहाड़पुर निवासी श्री सुभाष चन्द्र राम (विधायक के भाई) को निःशुल्क गनर दिये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

तेइसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ की पट्टी क्षेत्रान्तर्गत कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

चौबीसवीं सूचना श्री मुन्शी लाल गौतम की जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

पच्चीसवीं सूचना श्री प्रताप चौधरी, श्री मदन भइया, श्री समरपाल सिंह, श्री राजपाल सिंह, श्री यशवन्त सिंह, श्री प्रेम सिंह की जनपद मथुरा में उप जिलाधिकारी माठ द्वारा कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईः–

डा० अजय कुमार एवं श्री रणवीर राणा ।

राज्य खनिज विकास निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों के प्रति सूडा के अधिकारियों द्वारा शासनादेश के विरुद्ध वेतन आदि में वित्तीय अनियमितता किये जाने के संबंध में श्री कल्याण सिंह दोहरे द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी इस मद के संबंध में न तो कोई वक्तव्य ही प्राप्त हुआ है और न ही इसको स्थगित करने का कोई अनुरोध ही प्राप्त हुआ है ।

भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री (श्री कमाल यूसुफ मलिक)–

यह नगर विकास विभाग के मंत्री जी से संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष–

यह आपकी आन्तरिक कार्य-प्रणाली है । अगर आपके विभाग से संबंधित नहीं था तो विधान सभा सचिवालय को सूचित कर देते ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, भविष्य में ऐसा नहीं होगा । सूडा के बारे में जो जिज्ञासा है वह बिल्कुल सही है । इसमें कोई विरोध नहीं है । इन कमियों को दूर किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

इसको स्थगित कर देते हैं ।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से लखनऊ शहर में आवासीय क्षेत्रों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बन्द किये जाने के संबंध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–17 के बारे में स्थगन का अनुरोध प्राप्त हुआ है इसे स्थगित कर देते हैं ।

जनपद फैजाबाद एवं अम्बेडकरनगर में टोन्स नदी के पानी को मिलों द्वारा गन्दा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य

पर्यावरण मंत्री (श्री राम प्यारे सिंह)–

मान्यवर, जनपद फैजाबाद स्थित मै०के०एम० शुगर .....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं ।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[मिल (आसवनी इकाई) फैजाबाद का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, फैजाबाद द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2004 को किया गया । उक्त उद्योग जो कि एक आसवनी इकाई है, जिसमें औद्योगिक एल्कोहल 45 कि०ली०/दिन क्षमता पर उत्पादन किया जाता है । उद्योग से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उद्योग ने प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय चरण के शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किये है । उद्योग में प्राथमिक एवं द्वितीय शुद्धिकरण संयंत्र निरीक्षण के दौरान संचालित पाये गये थे परन्तु बायोकम्पोस्टिंग प्रक्रिया निरीक्षण के समय नहीं चल रही थी, जिस कारण उद्योग का उत्प्रवाह प्राथमिक एवं द्वितीय चरण के शुद्धिकरण के बाद तमसा/टोस नदी में निस्तारित होने के कारण इन नदियों का पानी भूरा हो गया था । बोर्ड द्वारा क्योंकि उद्योग का शून्य उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति दी गयी थी जिसका पालन न करने के कारण उद्योग को बोर्ड के पत्र दिनांक 19/20 फरवरी, 2004 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसमें उद्योग को 07 दिन का समय दिया गया है कि वह इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा उद्योग के विरुद्ध अधिनियम के तहत विधिक/निषेधात्मक कार्यवाही की जायेगी ।]

जनपद प्रतापगढ़ स्थित पट्टी में स्वीकृत पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

इसमें स्थगित किये जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है इसको स्थगित कर देते है ।

(समय 3.00 बजे)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, कोई सूचना नहीं है । वक्तव्य मिला नहीं है किसी का भी । कोई स्पष्टीकरण भी कैसे कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

वक्तव्य मिल रहे हैं । स्पष्टीकरण क्या पूछना है ? आप पढ़ लीजियेगा और सन्तुष्ट हो जाइयेगा ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के उत्तर-पूर्व अंचल कार्यालय में व्याप्त गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री फागू चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्री फागू चौहान, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के .....

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

[–अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के उत्तर पूर्व अंचल कार्यालय में व्याप्त गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में सूचना दी गई है ।

2–इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ के पत्र संख्या–82/कैम्प-प्र०नि०/जी०एफ०/रानिनि/04, दिनांक 21-2-04 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इस प्रकरण में सूचना एकत्र की जा रही है ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल माननीय विधायक ने नियम–51 के .....

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[अन्तर्गत निम्नानुसार सूचना दी है :–

"मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत आने वाली दस वार्डों की लगभग 6 लाख की जनसंख्या को नगर निगम, मेरठ द्वारा अभी तक पाइप लाइन से जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं है । जबकि महानगर के अन्य नौ वार्डों में आंशिक जल की पूर्ति की जाती है । इन वार्डों में भविष्य में भी जलापूर्ति की कोई योजना नगर निगम, मेरठ के पास नहीं है । शहरी इलाके में पानी की भारी कमी है मेरठ महानगर की जनसंख्या इस समय लगभग साढ़े पन्द्रह लाख है जिसे ढाई सौ एम०एल०डी० पानी की आवश्यकता है । जबकि नगर निगम मेरठ 68 नलकूपों द्वारा 158 एम०एल०डी० की पानी की सप्लाई कर रहा है । शेष को पानी की आपूर्ति के लिए 19 नलकूप, 140 कि०मी० पाइप लाइन 15 ओवर हेड टैंक की आवश्यकता है ।"

2–उक्त के सम्बन्ध में जल निगम से स्थिति स्पष्ट करायी गयी । सर्वेक्षण एवं नगर निगम द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार मेरठ नगर में 88 नलकूप कार्य कर रहे हैं एवं 18 नलकूपों का कार्य निर्माणाधीन है । पेयजल उत्पादन क्षमता 206.09 एम०एल०डी० है । इसके अतिरिक्त वर्तमान शहर में 600645 कि०ली० की भण्डारण क्षमता उपलब्ध है एवं सोलह हजार पांच सौ पचास कि०ली० क्षमता के जलाशय निर्माणाधीन है साथ ही वर्तमान में 948 कि०मी० पाइप लाइन बिछी है । मेरठ महानगर का लगातार विस्तार हो रहा है एवं इस महानगर में मेरठ नगर विधान सभा क्षेत्र, कैन्ट विधान सभा क्षेत्र, सरधना विधान सभा क्षेत्र, खरखौदा विधान सभा क्षेत्र एवं शिवालखास विधान सभा क्षेत्र का आंशिक क्षेत्र भी पड़ता है । मेरठ महानगर में पेयजल की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करना नगर निगम, मेरठ का दायित्व है ।

3–मेरठ महानगर की वर्ष 1991 की जनसंख्या गणना के अनुसार 7,51,282 है, जो वर्तमान में 15,50,000 अभिकलित है । इस महानगर की जलापूर्ति के स्रोत नलकूप हैं एवं आंशिक पूर्ति सरफेश वाटर से भी की जा रही है । नगर में 36 ओवर जलाशय हैं । नगर के कुछ क्षेत्रों में वितरण प्रणाली न होने के कारण इण्डिया मार्का–III हैण्ड पम्प से जलापूर्ति की जा रही है । वर्तमान में कुल 2578 इण्डिया मार्का–III हैण्ड पम्प अधिष्ठापित हैं । निर्धारित मानक की दर से जलापूर्ति हेतु वांछित कार्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है और यह कार्य संविधान के 74वें संशोधन लागू हो जाने के उपरान्त नगर निगम, मेरठ का उत्तरदायित्व है ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में गाढ़ा ताल व टौंस नदी की बाढ़ से बचाने हेतु पक्का ड्रेन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री घूरा राम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री के केवल वक्तव्य का मंत्री के अनुरोध पर स्थगन

जनपद बलिया के चिकलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पकड़ी ताल से निकलने वाली ड्रेन की खुदाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री के केवल वक्तव्य का मंत्री के अनुरोध पर स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–22 और मद संख्या–23 स्थगित कर दी गयी है । एक प्रश्न अब उपस्थित कर रहा हूं लेकिन उससे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहेंगे उसके बाद हम सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव करेंगे उसके बाद जन-गण-मन का गान करेंगे ।

सदन संचालन में सहयोग हेतु मा० अध्यक्ष, विधान सभा सदस्यों तथा विधान सभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति मुख्य मंत्री एवं दलों के नेताओं द्वारा धन्यवाद व्यक्त करना

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, अब यह सत्र कुछ ही क्षणों में उठेगा और सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में जनता के साथ मिल-जुल कर रहेंगे और उनसे सम्पर्क करेंगे, उनकी समस्या का हल करेंगे । साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि लोक सभा का चुनाव भी है और लोक सभा के चुनाव में हो सकता है कि कई माननीय सदस्य चुनाव के मैदान में जायें । हमारी शुभकायनायें हैं कि अगर चुनाव में जायें तो जीत कर आयें और संसद की शोभा बढ़ायें । अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत समय तक हम इस सदन में रहे । नेता प्रतिपक्ष, अन्य नेताओं तथा सभी माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से वातावरण यहां पर बनाये रखा और जिस प्रकार से सहयोग हमको विपक्ष ने दिया है, मैं दिल से कह रहा हूं कि ऐसा समर्थन पहले नहीं मिला है (मेजें थपथपाई गयीं) एक ऐसा वातावरण बनाने की हमारी कोशिश थी और उसमें सभी सदस्यों का हमको सहयोग मिला है । संख्या तो मैंने पूछी नहीं लेकिन मुझे जहां तक याद है शायद 9 विधेयक इतने अल्प सत्र में सभी के सभी जो पास किये गये हैं वह माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेताओं और सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से हुए हैं । जो बहस हुई है वह अच्छी तरह की बहस है । मुझे नहीं पता था कि पिछले सालों से यह परम्परा इस सदन में खत्म हो गयी क्योंकि मुझे यह सदन छोड़े कई वर्ष हो गये थे । उस वक्त परम्परायें थीं, हमारे कई साथी जो उस समय के हैं वे जानते हैं कि उस समय परम्पराएं थीं इस सदन में और यह सदन ऐसा है जो आदर्श सदन माना जाता रहा है हिन्दुस्तान की विधान सभाओं में । वही स्थान इसके लिए हम सब मिलकर स्थापित करना चाहते हैं और मुझे विश्वास हो गया है कि माननीय सदस्य चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों यही भावना रहेगी तो हमारा यह सदन आदर्श बनेगा । हिन्दुस्तान की सारी विधान सभाओं के लिए । जहां तक हम लोग यह सब कर सके हैं एक अच्छा वातावरण बनाने में, उस सबमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही है । आपने चैम्बर में बुलाकर सभी माननीय सदस्यों को उत्तेजनात्मक क्षणों को शान्त कराया है । ऐसा सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश की है । हम पूरे सदन की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देते हैं (मेजें थपथपाई गयीं)

आपके ज्ञान और आपके काम करने के तरीके से हम आज से परिचित नहीं हमारा आपका साथ बहुत दिनों से है, पहली बार जब हम मंत्री बने थे, हम दोनों कैबिनेट मंत्री थे तब हम और आप साथ-साथ बैठते थे । उस समय भी हमारे और आपके बीच यही स्थिति थी जो आज है और हम हमेशा आपके शिष्टाचार, विनम्रता, शालीनता, धीरज, संयम और काम करने का तरीका, उससे हमेशा प्रभावित

रहे हैं । हमने वह दिन भी देखे हैं जब स्वर्गीय माननीय बाबूराम जी, जो अब सदन में नहीं हैं का मामला संज्ञान में लाया गया था, हम उस समय पीछे बैठते थे हम खड़े होकर कुछ कहना चाहते थे, उस समय विधायक दल का नेता बेनी प्रसाद जी को बनाया दिया था और यहां पर आखिरी सीट पर बैठना स्वीकार किया था उस समय ऐसा नहीं था, हम खड़े हुए आप नहीं देख सके थे तब आपने मुझे अपने चैम्बर में बुलाकर कहा कि मुझसे भूल हो गयी मैं आपको देख नहीं पाया वरना आपको बोलने का मौका देता । इसलिए मैं आपसे परिचित हूं आप जिस आसन पर बैठे हैं आपने इस आसन का सम्मान बढ़ाया है.....

(मेजें थपथपाई गईं)

अभी भी हमारी आपकी बात होती है, आपकी जो इच्छा है सदन को चलाने के लिए मैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारी तरफ से हमारे दल की तरफ से, अपने सहयोगी दलों की तरफ से विश्वास दिलाते हैं हम हर समय आपके आदर्शों को समर्थन देते रहेंगे.....

(मेजें थपथपाई गईं)

हमारे जितने सहयोगी हैं उनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा है जिससे थोड़े समय में ही इस प्रदेश के महत्वपूर्ण बजट को रख सके हैं । यह बहुत महत्वपूर्ण बजट है इसके महत्व को सभी माननीय सदस्यों ने समझा है और इसलिए कल एजेण्डे पर नहीं था लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एन०आर०आई० बहुत बड़े उद्योगपति आये थे, उनको थोड़ा समय दिया प्रदेश के विकास के लिए ही उनसे आग्रह करने गये थे, आपने तत्काल नियमों को शिथिल करते हुए, हमने नेता विरोधी दल से प्रार्थना की, माननीय सदस्यों से प्रार्थना की उसको स्वीकार किया गया, आपके सहयोग से ही हम इतने महत्वपूर्ण बजट को पास कर सके हैं, सरकार की तरफ से, हिन्दुस्तान तो नहीं कह सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहला बजट है जो समय पर पास हुआ है, इसलिए इस बजट का विरोध करने का किसी को अवसर नहीं मिला ।

(मेजें थपथपाई गईं)

सरकार द्वारा कुछ ऐसी घाषणायें थीं जो हो सकती थीं वह भी कर देंगे । क्योंकि वह जनहित में थी । हमें खुशी है कि एक वातावरण बना है कि उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे । उत्तर प्रदेश ही नहीं सदन नहीं पूरे हिन्दुस्तान की अपेक्षा करते हैं यह विचारधारा केन्द्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रियों की है कि हिन्दुस्तान का विकास करना है तो उत्तर प्रदेश का विकास करना होगा, इसलिए जो बजट आपने नियमों को शिथिल करके पास कराया उसके लिए हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं । आपका स्वागत करते हैं कि आप हमेशा सहयोग देंगे और इस आसन को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे । इस सदन के जो आदर्श थे पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त, पं० कमलापति त्रिपाठी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी तक इतने महत्वपूर्ण लोगों ने इस महत्वपूर्ण सदन से निकल कर राजनीति में राष्ट्रहित में भूमिका निभाई है । मुझे थोड़े दिनों के लिए दिल्ली जाने का मौका मिला हम बहुत महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रह चुके हैं और इसीलिए कभी सीमाओं की चर्चा चलती थी, मैंने बहुत अध्ययन किया था कि कैसे सीमाएं सुरक्षित रहे । सबके सहयोग से सीमाएं सुरक्षित रखीं । इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद देता हूं । नीली वर्दी के सम्बन्ध में घोषणा कर ही दी है, हम राय लेने गये थे, आप सभी से । मैंने सोचा कि महंगाई बढ़ी है और 10 फीसदी इनके लिए पुरस्कार के रूप में दिया जाए । ऐसा नहीं है कि यह बख्शीश के रूप है, पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की जा चुकी है । मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं, नेता प्रतिपक्ष का और सभी माननीय सदस्यों का । हमें विश्वास है कि इसी तरह का वातावरण इस सदन का चलता रहेगा और हम मिलकर जो आजादी के समय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गयी थी, उसे और मजबूत

करते रहेंगे तथा इस महान उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा और खुशहाली के लिए सब मिलकर निष्ठा से काम करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं ।

नेता विरोधी दल(श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत दिनों बाद सदन में कुछ बहस का सिलसिला शुरू हुआ है और स्वाभाविक है कि सदन को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस महत्वपूर्ण पीठ की होती है, इसलिए आप बधाई के पात्र है । आपने सदन को बड़े सुचारू ढंग से चलाया । कई ऐसे अवसर आए और जब टेन्शन की स्थिति भी हुई, हँस कर बात छोड़ निकल गये और कोई कटुता का वातावरण नहीं बना । मैं इसके लिए माननीय नेता सदन को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कई मौकों के ऊपर जो बात उचित थी, उसको वहीं पर मान लिया । अगर अगले सदन में इसमें थोड़ा और विकास हो जायेगा तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक आदर्श लोकतंत्र कायम होगा । विकास के मामले में एक सर्वानुमति जैसे इस बार बनी है, इसके पहले कभी नहीं बनी । विकास के मामले में जो आपकी नीतियां रहीं है, यदि उसमें कहीं कोई खामियां थी, उसको हम सामने लाए है । प्रदेश में बिजली, रोजगार और अन्य चीजों की जो जरूरत है, उसके हल के लिए आप दो कदम चलते है तो हम भी कदम पे कदम चलने को तैयार है । विपक्ष के कारण कोई आपके काम में बाधा नहीं पड़ी कुछ चीजें ऐसी है, जिस पर हम सब अगर इस पद पर बैठे है तो शासन के बजट से मुझे भी जो भी लाभ मिलती है, वह इसलिए मिलते है कि मैं नेता सदन और सत्ता पक्ष को खुश रखने के लिए कुछ कहूं, इसलिए यह मेरा धर्म है । मैं दलीय नेताओं, सभी माननीय सदस्यों तथा यहां के कर्मचारियों, रक्षकों सभी को धन्यवाद देता हूं । माननीय उपाध्यक्ष के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि जिस शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने सदन को चलाने में अपनी महारत को दिखाया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं अपने भाषण में भूल गया था अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे भाषण में भी जोड़ ले, माननीय उपाध्यक्ष जी ने सदन का चलाने में बड़ा सहयोग दिया है ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात के लिए बधायी के पात्र है कि वह बेवजह ही कभी-कभी गर्मी पैदा करते है । इन पदों पर बैठे हुए लोगों को कलेजा पक्का करके बैठना होता है । इसके बाद मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि यह सदन बहुत शालीनता के साथ चला ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

वैसे मुझे यह उम्मीद थी नहीं आपसे कि आप ऐसा कहेंगे ।

(हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष एवं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण वर्ष 2004-05 का बजट सत्र भले ही चुनावी दृष्टि से कहीं छोटा रहा हो लेकिन प्रदेश से सम्बन्धित सभी जनसमस्याओं पर हमने यहां पर विपक्ष और सत्तापक्ष सभी लोगों ने मिलकर के बहस की । जनसमस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया और समस्याओं के प्रति उभयपक्ष की संवेदनशीलता रही । आपका भरपूर संरक्षण रहा और आपने जिस तरह से सत्तापक्ष को संरक्षण दिया उतना ही विपक्ष को संरक्षण दिया । आपके इस कुशल निर्देशन में सदन की कार्यवाही सफल रही उसके लिए हम आपके और आपके सचिवालय को बहुत-बहुत धन्यवाद करते है । सम्मानित विधान सभा उपाध्यक्ष महोदय जी ने भी पक्ष और विपक्ष दोनों का भरपूर संरक्षण दिया और साथ ही साथ समय-समय

पर हमारे अधिष्ठाता मण्डल के लोगों ने भी पीठ पर बैठने के बाद अपनी योग्यता और कुशल निर्देशन में सदन की कार्यवाही को संचालित किया उन्हें भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते है ।

सत्तापक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक चलती रहती है लेकिन यह सब जो कुछ होता है यह जनसमस्याओं को लेकर होता है । जनहित के लिए होता है । सभी जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के प्रति उनकी जो जवाबदेही होती है उनको संरक्षण देने के लिए, न्याय के लिए कहीं-कहीं नोक-झोंक की स्थिति पैदा हो जाती है । लेकिन प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनहित में यह स्वाभाविक प्रक्रिया है । हमें एक स्वस्थ परम्परा के लिए, अपने व्यवहारिक जीवन में खरा उतरने के लिए तैयार रहना चाहिए । अन्यथा नहीं लेना चाहिए इसलिए हम सभी आपसी सौहार्द में इसी तरीके से समय-समय पर जब भी इस सदन में बैठे अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे रहेंगे । सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथियों ने प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं के प्रति चिन्ता जाहिर की, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । नेता सदन कभी-कभी विपक्ष की बातों को अन्यथा लेकर जो कुछ भी कहते रहे हैं वह नेता सदन भी है, नेता सदन होने के नाते सभी विधायकों के संरक्षक भी हैं लेकिन कभी भी विपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य की कही गयी बातों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए । चूंकि नेता सदन है और नेता सदन होने के नाते उनकी जिम्मेदारी भी है इसलिए जो भी विपक्ष के लोग जो अपनी बातों को रखते है उसका ज्यादा गम्भीरता से लेना चाहिए । क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग तो उनके हैं ही । गम्भीरता वहां पर देनी है जहां समस्याओं को नजरअन्दाज किया जाता रहा है ।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

तो माननीय अध्यक्ष जी, यह तो एक स्वस्थ्य परम्परा प्रजातंत्र की रही है कि नोक-झोंक होती रही है, वाद-विवाद होता रहा है, हल्ला बोल में कार्यवाही चली है लेकिन उसके बावजूद हम सबने मिलकर एक स्वस्थ्य परम्परा को निभाया है इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । साथ ही साथ विधान सभा सचिवालय कर्मी, चाहे वह सुरक्षा कर्मी हो, चाहे सहयोगी कर्मी हो चाहे जो यहां की कार्यवाही को संचालित करते है, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे प्रमुख सचिव महोदय और उनके सहयोगी सचिव और विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, अनुसचिव इत्यादि मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण हमें इसी तरह से मिलता रहेगा और हम सब मिलकर इस प्रदेश की जो ज्वलन्त समस्याएं है उसको उठाते रहेंगे और उसका निदान करते रहेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ।

*श्री राम नरेश यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता बसपा श्री मौर्य जी ने अपने उद्गार व्यक्त किये हैं और धन्यवाद ज्ञापित किया है मैं भी उसी कड़ी में खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय, इसे देश की संसदीय परम्परा और इतिहास में इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा का गौरवशाली इतिहास रहा है और साथ ही साथ जिस पीठ पर आप बैठे हैं उस पीठ को भी उस गौरवशाली इतिहास को जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि उस पीठ पर बैठकर सदन का संचालन होता है नियमन होता है और विशेष रूप से यह जो सत्र था उसका कुशल नेतृत्व में, क्योंकि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप बहुत ही अनुभवी है और मेरा भी बहुत अनुभव है, हम लोग साथ में रहे है, जिस तरह से आपने संचालन किया है मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी बात रही है । कई ऐसे भी क्षण आये हैं जब उत्तेजना के क्षण गूंजे थे क्योंकि यह विधान सभा जो है, जनता की आकांक्षाओं, आशाओं का प्रतीक है और जब प्रतीक है तो कुछ न कुछ समस्यायें चाहे जनता की हों, किसानों की हों, होनी स्वाभाविक है । ऐसे समय में कभी-कभी कुछ ऐसी बातों का हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट ने, उस पीठ पर बैठकर के दी गई आपके द्वारा व्यवस्था ने उन समस्याओं का निराकरण किया और कुशलतापूर्वक किया और जिस तरह से आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को एक साथ लेकर के सदन को चलाने का जो काम किया है वह बहुत ही सराहनीय है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते है ।

माननीय उपाध्यक्ष जी यहां बैठे है उनको भी और जो भी पीठासीन अधिकारी रहे हैं उनको भी सदन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं । मैं माननीय नेता सदन को भी धन्यवाद और बधाई देता हूं और इसलिए देता हूं कि कभी-कभी हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री लालजी टण्डन, हुकुम सिंह और डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी जो बैठे हैं, यह लोग अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं तो माननीय नेता सदन ने उसी वक्त कुछ ऐसा जवाब देकर उनको निरूत्तर कर दिया । हमें माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री लालजी टण्डन जी को भी बधाई और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो काम सत्ता पक्ष का था, उसको भी कर दिया, संसदीय लोकतंत्र में जहां बहुमत होता है, वहां पर अल्पमत के लोगों का भी सामना करना पड़ता है और इधर के लोगों को जो भी बहुमत का निर्णय होता है उसका स्वागत करना पड़ता है । लालजी टण्डन जी बहुत अनुभवी है, जो कभी इधर बैठते थे आज उधर बैठे हैं लेकिन उन्होंने सत्ता पक्ष की बातों को बहुत धैर्यपूर्वक और शान्तिपूर्वक सुना तो इसके लिए में फिर उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं समझता हूं कि आज इस सदन का अन्तिम दिन है, बजट आया, बजट भाषण पर चर्चा हुयी, हमारे सारे सम्मानित सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए और अनेकों सुझाव भी दिये । बजट पास भी हुआ, घोषणायें भी हुईं, तमाम घोषणाओं के बारे में चिन्ता की जा रही है कि इन घोषणाओं का क्या होगा ? घोषणा विधान सभा की ऐसी नहीं होती हैं कि जिनका पालन न किया जाये, उनका पालन किया जाता है । गरिमामय सदस्यों की उपस्थिति के साथ जो सदन चला है उसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं । हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी उधर बैठे हैं उनसे कहूंगा कि कभी-कभी अपनी बातों को हंसते हुए भी कहा करें तो अच्छा लगेगा, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि जब कभी भविष्य में सदन बैठे और मान्यवर, आप पीठ पर होंगे, संचालन करेंगे और माननीय मुख्य मंत्री भी यहां रहेंगे और उस समय मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे मौर्य जी कुछ विशेष स्थिति में तैयार होकर यहां आयें ताकि उनकी बातों से लोगों को आनन्द आये और विधान सभा भी हमारी जीवन्त बन जाये क्योंकि जब तक विधान सभा जीवन्त नहीं होगी तब तक लोकतन्त्र की महत्ता का प्रभाव भी नहीं होगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को, जिन्होंने समय-समय पर शालीनता के साथ माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दिया और अच्छा उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं और बधाई के भी पात्र हैं । प्रमुख सचिव जी से लेकर नीचे के सभी विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों को, मार्शल को, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (श्री कौकब हमीद)–

मान्यवर, मैं यहां काफी जमाने से आता रहा हूं और काफी अरसे बाद इस माहौल में आज विदाई हो रही है । (हंसी)

इस सत्र की विदाई हो रही है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इस विदाई शब्द के बारे में मैं इसलिए बात साफ कर दूं कि हम मुबारकबाद देते हैं कौकब हमीद साहब जी की कि उनकी बेटी की विदाई अभी चन्द रोज पहले हुई थी ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, इस सत्र का जो समापन हुआ है ऐसा मोहौल बहुत जमाने के बाद देखने को मिला है जिसमें मान्यवर, योगदान आपका, माननीय उपाध्यक्ष जी का और खासतौर से नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा योगदान मान्यवर, रहा है ।

मान्यवर, कभी-कभी कोई ऐसे शब्द भी आ जाते थे और कभी बहस ज्यादा लम्बी और तीव्र हो जाया करती थी लेकिन बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ यह सत्र सम्पन्न हुआ है । जिसमें हमारा बजट पास हुआ है और कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुए हैं और मान्यवर, जो एक उपलब्धि रही है वह यह है कि पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को मान रहा है पूरा विपक्ष मान रहा हैं और यह सब सदन में भी साबित हो गया है कि प्रदेश बढ़िया चल रहा है और इस फैक्टर को हम सब मान रहे हैं तो यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सरकार की है । मान्यवर, विपक्ष भी आज मान रहा है कि प्रदेश का भविष्य उज्जवल हो रहा है आगे बढ़ रहा है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं ।

* श्री राम स्वरूप सिंह—

मान्यवर, जब से यह सरकार बनी है मैं इस सरकार को समझने और देखने में लगा रहा और चुप रहा है । मान्यवर, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं था चूंकि पिछली विधान सभा में जो कार्यकलाप थे उनको देखकर मैं ऐसा महसूस करने लगा था कि उत्तर प्रदेश में विधान सभा में लोकतन्त्र है कि नहीं ? तानाशाही है या और कोई चीज है । इस दशा में मैं डरने लगा था । विधान सभा में हमारे क्या अधिकार हैं ? यहां की जनता की समस्यायें उठाई जायेंगी या नहीं ? क्योंकि इतनी लोकतन्त्र की हत्या इस विधान सभा में होते हुए हमने देखी है और आपने भी देखी है और आपने भी महसूस की है अध्यक्ष जी । मान्यवर, मुझे खुशी है इस वर्तमान सरकार में मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि लोकतन्त्र उत्तर प्रदेश में और विधान सभा में भी है । (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) और मुझे महसूस हो रहा है कि लोकतन्त्र आगे बढ़ेगा और जनवादी शक्तियां आगे बढ़ेंगी जिसमें गरीब जनता का काम होगा और उनका हित साधन होगा ।

मान्यवर, आज इस अवसर पर मैं नेता सदन, नेता विपक्ष, मौर्य जी को और सभी दलों के नेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि किसानों और मजदूरों के हित में सरकार का रुख जो बना है वह चलते रहने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए । अभी तो थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है, यह काम आगे बढ़ना चाहिए । ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रदेश में किसानों मजदूरों की बातें सुनने वाला कोई न हो उनका गला घोंटा जा रहा हो और उन पर गोलियां बरसाई जाती रही हैं । मुझे विश्वास है कि लोकतन्त्र यहां पर जिन्दा रहेगा और कमजोर वर्ग की बातें सुनी जायेंगी । आखिर में मैं आप सभी को तथा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं तथा आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपाध्यक्ष जी, इस विधान सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे सभी राजनीतिक दल के माननीय नेतागण ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

बजट सत्र का आज अन्तिम उपवेशन है । हम सबकी इच्छा थी, माननीय नेता सदन की भी, माननीय नेता प्रतिपक्ष की और सभी सदस्यों की कि यह सत्र लम्बा चले । लेकिन राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई । फिर भी हम इस सत्र को लगभग 10 दिन चला सके हैं । हमारा सदन इस सत्र में कुल 51 घण्टे चला है और जिसमें 15 घण्टे 21 मिनट स्थगित रहा है । इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूं यह रही कि हम सबने एक-दूसरे के साथ बहुत ही सकारात्मक सहयोग और सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम किया । माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने स्वस्थ्य संसदीय परम्पराओं को बनाये रखने में जहां-जहां आवश्यक पड़ा, अपने दल के लोगों को निर्देश दिया, मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को निर्देश दिया ।

(सदन में मेजों की थपथपाहट)

उनकी पीड़ा मैं समझता हूं और मेरी पीड़ा वह समझते हैं । सबकी इच्छा होती है कि सदन नियमों के अनुसार चले लेकिन जब समय कम रहता है तो स्वाभाविक है कि हमारे माननीय सदस्यों की इच्छा होती है कि अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रथमिकता से रखें, पहले रखें । मैं समझता हूं कि जब हमारा अगला सत्र होगा, लम्बा सत्र चलेगा । माननीय नेता सदन ने अनेक अवसर पर, जो उचित मांगें प्रतिपक्ष की थीं, उनको सदन में ही तत्काल स्वीकार करके अपने हृदय की उदारता का परिचय दिया । माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी लखनऊ की तहजीब का पूरा प्रदर्शन इस सदन में किया । बहुत से लोगों को कुछ अटपटा लगेगा कि यह बजट सत्र था, यह छोटा क्यों है ? एक ही दिन में सारी अनुदान की मांगें प्रस्तुत कर दी गयीं, विनियोग विधेयक भी प्रस्तुत कर दिया गया । जितने माननीय नेतागण हैं इस बात पर जागरुक हैं कि हमारी आवश्यकतायें क्या हैं ? इस समय, समय की आवश्यकता थी इसलिए नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों के माननीय नेताओं ने एक आम राय बनायी, उनकी सहमति रही कि हम शीघ्र ही इस बजट को पारित कर देंगे । इसमें मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने सहयोगात्मक रवैया अपनाया है ।

माननीय उपाध्यक्ष जी का भी मैं विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने भी अपने उत्तरदायित्व का बहुत ही सुन्दर ढंग से निर्वाह किया और सदन की कार्यवाही को नियमानुसार चलाने में मेरी सहायता की । मेरे मन में कभी दुख भी हुआ लेकिन द्वेष नहीं हुआ, किसी के प्रति नहीं हुआ । मेरी भी इच्छा रही है कि सदन की जो गरिमामयी स्थिति है उसके अनुसार सदन आचरण करे और निश्चित रूप से इस बार सन्देश बेहतर गया है । हमारे सभी माननीय सदस्यों ने सदन के संचालन में अपना सहयोग दिया है । माननीय उपाध्यक्ष, अधिष्ठाता मण्डल के माननीय सदस्य और सभी सदस्यों के प्रति इसके लिए आभार प्रकट करता हूं । विधान सभा के प्रमुख सचिव, हमारे अधिकारी/कर्मचारी हमारे सुरक्षा कर्मचारी, मार्शल आदि को लेकर सभी ने सदन का ठीक से संचालन करने में हमारा आपका सबके प्रति सहयोग दिया, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं । मुझे विश्वास है कि हम लोग शीघ्र ही लोक सभा के चुनाव के बाद फिर मिलेंगे और एक अच्छे वातावरण में मिलेंगे ।

कटुता और द्वेष स्वस्थ संसदीय परम्पराओं के लिए घातक होते हैं । माननीय मौर्य जी का विशेष रूप से उल्लेख किया गया । माननीय मौर्य जी का हृदय टटोल कर जिसने देखने की कोशिश की है उसने देखा होगा कि वह निर्मल हृदय के हैं । उनकी आवाज जोरदार है उन्होंने एक बड़े विपक्षी दल के नेता के रूप में अपनी बातों को यहां दृढ़तापूर्वक रखा और उन्होंने अपना दायित्व एक बड़े विपक्षी दल के नेता के रूप में निभाया है । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य और उनके नेता ने भी जहां सरकार को सहायता और समर्थन की आवश्यकता थी, वहां दिया और जहां अपने सुझाव दिये उन्होंने बहुत रचनात्मक सुझाव दिये । इसी प्रकार राष्ट्रीय लोकदल तो सत्ता में शामिल ही है । मैं इतना ही कहूंगा कि सभी का रवैया बहुत सहयोगात्मक रहा और सभी ने अपना रचनात्मक सहयोग दिया ।

संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रति भी मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक विषम परिस्थितियों को भी संभालने की चेष्टा की है और उसमें सफल रहे हैं । मैं समझता हूं कि उनका संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कार्य हम सबको स्मरण रहेगा । मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह कृपया प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, प्रस्ताव ले आयें ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब हम खड़े होकर राष्ट्रगान करेंगे, उसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जायेगी ।

राष्ट्रगान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे ।
भारत-भाग्य विधाता ॥
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा
द्राविड़–उत्कल-वंग ।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि–तरंग ॥
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ॥
गाहे तव जय गाथा ॥
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य विधाता ॥
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ॥

श्री अध्यक्ष–

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते है ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 3 बजकर 40 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 21 फरवरी, 2004

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

पी०एस०यू०पी०–एल० 43 विधान सभा (85)–2004–813–(डी०टी०पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा